वार्षिक रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद

सन् १९५५-५६



मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
१९५८

प्राक्कथन

भारत संविधान के अनुच्छेद ३२३, खंड (२) के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, सन् १९५५–५६ ई० की अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करते हैं।

नफ़ीसुल हसन, अध्यक्ष
तेजस्वी प्रसाद भल्ला, सदस्य
राधा कृष्ण, सदस्य
सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, सदस्य
गिरीशचन्द्र, सदस्य।

इलाहाबाद:
३० अक्तूबर, १९५७ ई०

विषय-सूची

परिशिष्ट



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन् १९५५-५६ के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट

१—आयोग के सदस्य

श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०, आयोग के अध्यक्ष तथा सर्वश्री पीताम्बर दत्त पान्डे, एम० ए० और टी० पी० भल्ला, एम० ए०, एल-एल० बी०, उसके सदस्य वर्ष भर बने रहे। श्री पीताम्बर दत्त पान्डे १७ नवम्बर से ८ दिसम्बर, १९५५ तक पूरे वेतन पर छुट्टी पर रहे।

(२) श्री राधाकृष्ण, एम० ए०, एल-एल० बी० ने ३० दिसम्बर, १९५५ को चौथे सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

२—आयोग के कर्मचारिवर्ग

श्री रामनरेश लाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, आयोग के सचिव, श्री शिव लाल उसके सहायक सचिव तथा श्री ज़हूरुल हसनैन अतिरिक्त सहायक सचिव के रूप में वर्ष भर बने रहे।

(२) सामान्य विभाग के निर्देश लिपिक का अस्थायी पद १ अप्रैल, १९५५ से स्थायी कर दिया गया। अतिरिक्त सहायक सचिव तथा दो अवर वर्ग सहायकों के अस्थायी पदों की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई।

(३) आलोच्य वर्ष में एक प्रवर वर्ग सहायक, एक अवर वर्ग सहायक तथा चतुर्थ सदस्य के एक वैयक्तिक सहायक के नये अस्थायी पद सृजित किये गये।

(४) अतिरिक्त सहायक सचिव के अस्थायी पद को स्थायी करने तथा अन्य स्थायी पदों को एक वर्ष तक और चलते रहने देने के प्रस्ताव १९५६-५७ की नयी मांगों की सूची में रक्खे गये।

(५) चूंकि आयोग के कार्यालय के कार्य में द्रुतगति से वृद्धि हो रही थी, इसलिये वह पिंड-राशि अनुदान (लम्प सम ग्रान्ट), जो आकस्मिक कार्याधिक्य हो जाने पर उसको निवटाने के लिये, जब जब आवश्यकता पड़ी, अतिरिक्त अस्थायी अराजपत्रित (नानगजटेड) कर्मचारि-वर्ग की नियुक्ति करने के लिये अध्यक्ष के अधिकार में रखखा गया था, २,००० रु० से बढ़ा कर ७,००० रु० कर दिया गया। आयोग के १९५५-५६ के कार्यों का एक संचनित विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया है।

३—आय तथा व्यय

इस वर्ष आयोग की आय ३,८७,५९७ रु० थी और व्यय ५,४०,४८५ रु० था, जबकि गत वर्ष क्रमशः ४,०७,६४५ रु० तथा ४,५८,१९७ रु० था। गत वर्ष कलेक्शन नायब तहसीलदार के पदों के लिये परीक्षा हो जाने के कारण आय में ६५,००० रु० की वृद्धि हो गई थी। चालू वर्ष में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई। व्यय में वृद्धि के कारण ये हैं—सदस्य के एक अतिरिक्त पद तथा सचिवालय कर्मचारिवर्ग के अन्य अस्थायी पदों का सृजन तथा विज्ञापनों एवं डाक टिकटों में अधिक व्यय का होना।

४—आयोग की बैठकें

विभिन्न परीक्षाओं तथा चुनावों, जिनमें बिना विज्ञापन के भर्ती, पदोन्नति द्वारा भर्ती, विलीनीकृत राज्यों के भूतपूर्व कर्मचारियों के विलीनीकरण तथा अस्थायी कर्मचारियों के पुष्टिकरण के लिये चुनाव सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व तथा मौखिक परीक्षायें लेने के लिये आयोग ने इस वर्ष २१० दिन अपनी बैठकें कीं। जो मामले पत्रावलियों के चलाने से निबटाये न जा सके, उन पर विचार-विनिमय करने के लिये भी, जब जब आवश्यकता पड़ी, आयोग ने अपनी बैठकें कीं। आयोग के एक परिषद् ने परिशिष्ट ३ के मद संख्या २५, २६, २८, ३० से ३४ तथा ३६ के सामने दिखलाये हुये पदों के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार गर्मियों में नैनीताल में किया। शेष सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार इलाहाबाद में ही हुये।

(२) उपर्युक्त के अतिरिक्त, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) के पदों पर पदोन्नति के लिये कर्मचारियों का चुनाव करने के हेतु १ से ५ नवम्बर, १९५५ तक लखनऊ में आयोग के अध्यक्ष, श्री नकीसुल हसन के सभापतित्व में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया।

५—परीक्षा द्वारा भरती

आयोग ने इस वर्ष निम्नलिखित सेवाओं और पदों के लिये परीक्षायें लीं :—

(१) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का हिन्दी आशुलिपिक।
(२) कानूनगो।
(३) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा में आबकारी निरीक्षक।
(४) उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट लोकल फंड आडिट सर्विस में सहायक आडिटर।
(५) वरिष्ठ वन सेवा (सुपीरियर फारेस्ट सर्विस) (डिप्लोमा) कोर्स, १९५६-५९।
(६) उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक।
(७) (१) उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, तथा
(२) लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायक (केवल विभागीय अभ्यर्थियों के लिये) के लिये संयुक्त परीक्षा।
(८) फारेस्ट रेन्जर्स कोर्स, १९५६-५८।
(९) (१) उत्तर प्रदेश सिविल (एक्जीक्यूटिव) सेवा,
(२) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, तथा
(३) उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा (फाइनेन्स ऐन्ड एकाउन्ट्स) सेवा के लिये संयुक्त परीक्षा।
(१०) उत्तर प्रदेश पंचायत अंकेक्षण संगठन में अंकेक्षक (आडीटर)।
(११) (१) उत्तर प्रदेश असैनिक न्यायिक (सिविल जुडीशियल) सेवा, तथा
(२) उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी (जुडीशियल आफिसर्स) सेवा के लिये संयुक्त परीक्षा।

इस प्रकार इस वर्ष कुल ११ परीक्षायें ली गयीं। इन परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये कुल ५,५९५ अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये, जिनमें से ४,८१६ अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मिली, परन्तु केवल ४,०१३ अभ्यर्थी ही वास्तव में बैठे। इन परीक्षाओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आंकड़े सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट २ की मद संख्याओं ६ से १७ के सामने दी गई हैं।

२—१९५५-५६ के वर्ष में १९५४-५५ में ली गई कुछ परीक्षाओं (परिशिष्ट २ के प्रथम पांच मदों के सामने लिखित) तथा १९५५-५६ में ली गई कुछ परीक्षाओं (परिशिष्ट

२ के ७ वें तथा ६ वें मदों के सामने लिखित) के सम्बन्ध में भी व्यक्तित्व परीक्षायें ली गयीं। कुल ९५७ अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें ली गयीं, जिनमें से ५१७ चुने गये और नियुक्त किये गये। व्यक्तित्व परीक्षायें बाह्य और आभ्यन्तरिक दोनों हैं और इस प्रकार लिखित परीक्षा के दोषों का अच्छा परिमार्जन करती हैं।

३—अपराध अनुसन्धान विभाग (क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट) में आशु प्रतिवेदक (शार्टहैन्ड रिपोर्टर) के ६ पदों तथा परिवहन आयुक्त (ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर) उत्तर प्रदेश के अधीन सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक (प्राविधिक) {असिस्टेन्ट रीजनल इन्सपेक्टर (टेक्निकल)} के दो पदों के लिये चुनाव करने के हेतु निकाले गये विज्ञापनों के फलस्वरूप उन पदों के लिये होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये कुल ४२ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। किन्तु प्रतिवेदनाधीन वर्ष में परीक्षाएं न ली जा सकीं।

४—निम्न सारिणी में दिये हुये अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित पदों में सब रिक्तियां नहीं भरी जा सकीं क्योंकि औरों की तुलना में उनके लिये निम्नस्तर लागू करने पर भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सके थे, किन्तु अन्य सुरक्षित रिक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी उपलब्ध हुये :—

क्रम-संख्या	परीक्षा का नाम	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या
१	उत्तर प्रदेश असैनिक न्यायिक (सिविल जुडीशियल) सेवा (१९५४)	७	१
२	कानूनगो	९	२
३	उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट लोकल फंड आडिट सेवा में सहायक आडिटर (१९५५)	४	१
४	सचिवालय में अवर वर्ग सहायक	११	३
५	सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक	४	२
	योग ...	३५	९

५—१९५४-५५ की रिपोर्ट के अध्याय ५ के पैरा ६ में निर्देशित "चतुर्थ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी" से इंडियन फारेस्ट रेंजर्स कालेज, देहरादून में फारेस्ट रेंजर्स कोर्स १९५६-५८ में भर्ती होने के लिये कहा गया था, किन्तु वह आया नहीं।

६—सचिवालय में अवर तथा प्रवर वर्ग सहायकों के पदों के लिये परीक्षायें इलाहाबाद और लखनऊ में तथा संयुक्त सेवाओं की परीक्षा एवं कानूनगो परीक्षा क्रमशः तीन और दो केन्द्रों में हुई थीं। अन्य सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षायें इलाहाबाद में हुयीं। सभी परीक्षाओं को एक स्थान पर लेने में प्रत्यक्ष लाभ है और यह आशा की जाती है कि परीक्षा भवन बन जाने पर ऐसे लाभ मिलेंगे।

७—अगस्त, १९५५ में शासन ने अपराध अन्वेषण विभाग के लिये अक्तूबर, १९५४ में सृजित किये हुये १६०–१५–२८०–२०–४०० रु० के वेतन-क्रम में आशु प्रतिवेदक (शार्टहैन्ड रिपोर्टर्स) के ६ पदों के लिये, जिनके लिये पूर्ण प्रयत्न करने पर भी अपराध अन्वेषण विभाग को उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सके थे, चुनाव करने के हेतु आयोग से अनुरोध किया। आयोग सहमत हुआ, पर प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये बहुत कम लोगों ने आवेदन-पत्र भरे। अर्हताओं पर पुनर्विचार करके उनको कम कर दिया गया और प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्तिम भाग में फिर से विज्ञापन निकालने के विषय पर विचार हो रहा था।

८—आयोग ने यह महसूस किया कि यदि विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिये समय निर्धारित कर दिये जायं और प्रति वर्ष नियमपूर्वक उनके अनुसार कार्य हो तो इससे अभ्यर्थियों का तथा सेवाओं के लिये प्रतियोगितात्मक चुनाव में भी फायदा होगा। आयोग ने समय सारिणी देते हुये दिसम्बर, १९५५ में शासन के पास एक ऐसा ही प्रस्ताव भेजा। वर्ष के अन्त तक शासन का कोई उत्तर नहीं आया था।

९—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निम्नलिखित तीन परीक्षाओं की समालोचनायें प्रकाशित की गईं :—

(१) उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा परीक्षा, १९५४।

(२) उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य सेवाओं (कम्बाइन्ड स्टेट सर्विसेज) की परीक्षायें, १९५४, तथा।

(३) उत्तर प्रदेश वन सेवा, १९५५।

६—चुनाव द्वारा भर्ती

इस वर्ष आयोग ने ८६८ पदों के लिये चुनाव किया। इस सम्बन्ध में कुल ८,११८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, २,१७६ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया और ९९३ अभ्यर्थी चुने गये। इनके विस्तृत विवरण परिशिष्ट ३ में दिये गये हैं। इन संख्याओं में सदा की भांति वे पद भी सम्मिलित हैं, जिनके लिये गत वर्ष के अन्त के समय विज्ञापन निकाले गये थे अथवा जिनके लिये वर्ष के अन्त तक किसी कारणवश चुनाव न किये जा सके थे।

२—आयोग परिशिष्ट ३-अ में दिये हुये १,१६२ पदों के लिये चुनाव प्रतिवेदनाधीन वर्ष में न कर सके, क्योंकि या तो पद वर्ष की समाप्ति के समय विज्ञापित किये गये थे या आयोग अथवा उनके कर्मचारिवर्ग कार्याधिक्य के कारण उस कार्य के लिये समय न निकाल सके। इन पदों के लिये १२,०८० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे।

३—गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रविधिक पदों के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का बहुत अभाव रहा। आयोग को परिशिष्ट ३ के मद संख्या २, १३, २३, ५०, ५२, ५३, ६३, ७६, ९१, ९४, ९९, ११९, १२७, १३८, १४४, १५० से १६१ और १६४ से १६७ के सामने दिखलाये हुये ४६ पदों के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सके और वे उस परिशिष्ट के मद संख्या ५१, ५६, ७८, ९२, १३२, १३५ तथा १४५ के सामने दिखलाये हुये १२९ पदों के लिये केवल ३४ अभ्यर्थियों की संस्तुति कर सके। इनमें से कुछ मामलों में आयोग ने यह सुझाव दिया कि नियुक्ति प्राधिकारी निजी पत्र-व्यवहार द्वारा प्रयत्न करके उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त कर लें और तब उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में आयोग का परामर्श लें। कुछ मामलों में वांछित अर्हताओं, आयु सीमाओं, अनुभव तथा/अथवा वेतन में उचित संशोधन करके पुनर्विज्ञापन करने का सुझाव दिया गया। एक मामले में (मद संख्या १५१), जिसमें आयोग के विज्ञापन के फलस्वरूप एक भी आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था, आयोग ने एक अभ्यर्थी को, जिसने सीधे नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन-पत्र दिया था, नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया।

नोट—अध्याय ६ के पैरा ७ का नं० अंग्रेजी अनुवाद में ३ है और उसी प्रका

४—एक मामले में, जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक आर्कीटैक्ट (पैरा ३ में निर्देशित मद संख्या २) का था, आयोग ने सुझाव दिया कि शासन एक ऐसे अभ्यर्थी को प्राप्त करने की चेष्टा करे, जिसने किसी प्रविधिक संस्था से वास्तु कला (आर्कीटेक्चर) में योग्यता प्राप्त की हो, किसी वास्तुकला के कार्यालय में उसको वांछित प्रशिक्षण दें और तत्पश्चात् आयोग की स्वीकृति लेकर पद पर उसकी नियुक्ति करें। परन्तु शासन ने उपयुक्त अभ्यर्थी को आकर्षित करने के लिये उस पद को ५००—१,२०० रु० के उच्च वेतन-क्रम में जूनियर आर्कीटेक्ट के पद के रूप में परिवर्तित कर देने का निश्चय किया।

५—आयोग द्वारा ३४ रिक्तियों (परिशिष्ट ३ के मद संख्या ४, ६०, ७८ तथा १४० के सामने दिखलाई गई) पर नियुक्ति के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा संस्तुतियों के भेजने की तिथि के कई मास पश्चात् तक की गई थी। नियुक्ति विभाग कार्यालय ज्ञाप सं० ०-५२५०/२-बी—५४-४८, दिनांक २९ दिसम्बर, १९४८ में आयोग द्वारा चुने हुये अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की निर्धारित अवधि दो मास है और यह वांछनीय है कि जहां तक हो सके अवधि की इस निर्धारित सीमा का पालन किया जाय। एक मामले (मद सं० ३६) में तीन पद विज्ञापित किये गये; परन्तु बाद में शासन ने यह प्रस्तावित किया कि सीधी भर्ती द्वारा एक ही पद भरा जाय और शेष दो पदोन्नति द्वारा। एक दूसरे मामले (मद संख्या ८३) में कोई नियुक्ति नहीं की गई, क्योंकि आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं और जिस योजना के सम्बन्ध में पद का सृजन किया गया था उस योजना का पुनस्संगठन भी किया जाना था। शेष सब मामलों में परिशिष्ट ३ के स्तम्भ ३ में दिखलाई गई रिक्तियों के लिये आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी यथाविधि नियुक्त किये गये। परन्तु एक मामले (मद सं० ३५) में चुने हुये अभ्यर्थी ने वर्ष के अन्त समय तक कार्यभार नहीं ग्रहण किया जब कि एक दूसरे मामले (मद संख्या ६८) में चुने हुये अभ्यर्थी को उसके सेवा योजक ने नहीं छोड़ा।

६—मई, १९५४ में आयोग को शासन के श्रम विभाग से उत्तर प्रदेश श्रम आयुक्त के अधीन कनिष्ठ भृत्ति (मजदूरी) निरीक्षक (जूनियर वेज इन्सपेक्टर) के तीन पदों के लिये एक आलेख्य विज्ञापन मिला। आलेख्य विज्ञापन में 'उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्मित कृषि श्रम जांच में किये हुये कार्य' को अधिमान्य अर्हता के रूप में लिखा गया था। आयोग ने समझा कि इस अर्हता को रखने वाले कुछ ही व्यक्तियों को अधिमान्य मानना अनुचित होगा और इसको निकाल देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त जांच का कार्य थोड़े समय तक ही चला। शासन ने इस सुझाव को मान लिया और पदों का विज्ञापन उक्त अधिमान्य अर्हता को हटा कर निकाला गया। इन पदों के लिये चुनाव मार्च, १९५५ में किया गया और आयोग की संस्तुतियां उसी महीने में श्रम आयुक्त, जो नियुक्ति प्राधिकारी थे, के पास भेज दी गई थीं। प्रत्यक्षतः आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने योग्य न पा कर श्रम आयुक्त ने मामले का निर्देश शासन को किया। तत्पश्चात् शासन से एक निर्देश आया, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि पदों के विद्यमान अस्थायी पदधारियों (जिनकी हीन अर्हताओं के कारण आयोग ने उनको साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने के योग्य नहीं समझा था) को अपने अपने पदों पर बने रहने दिया जाय, क्योंकि उनके पास "भारत सरकार द्वारा निर्मित कृषि श्रम जांच में किये हुये कार्य" का अनुभव था। आयोग मामले पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात् शासन के प्रस्ताव से सहमत होने में असमर्थ रहे। उन्होंने सम्बन्धित विभाग को तदनुसार उत्तर दिया और इस मामले में विभाग ने आयोग द्वारा किये गये चुनावों के साथ जो बड़ी उपेक्षा दिखलाई थी, उसकी सूचना मुख्य मंत्री को दी। उसमें इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि आठ मास से अधिक समय हो जाने पर भी आयोग की संस्तुतियों का परिपालन नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप चुने हुये अभ्यर्थी बहुत अधिक काल तक संदिग्धावस्था में पड़े रहे। नियुक्ति आदेशों को अविलम्ब जारी कर देने की वांछनीयता का भी उल्लेख किया गया था। इस पर मुख्य मंत्री ने आयोग को सूचित किया कि श्रम विभाग

ने १ अप्रैल, १९५६ से सहायक भृत्ति निरीक्षक (असिस्टेंट वेज इन्सपेक्टर) के पदों को तोड़ देने का निश्चय किया है और उनकी सेवाओं को समाप्त कर देने की नोटिस जारी कर रहा है। तदुपरान्त आयोग ने चुनाव को निरसित कर दिया और अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र एवं साक्षात्कार शुल्कों को लौटा दिया।

७--परिशिष्ट ३ व ३-अ में वर्णित मामलों के अतिरिक्त ३५ अन्य मामलों में आयोग से चुनाव करने का अनुरोध इस वर्ष किया गया था। इनमें से २८ मामलों के संबंध में वर्ष में विज्ञापन न निकाला जा सका, क्योंकि उनके लिये अधिग्रहण वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुये थे अथवा अर्हताओं, रिक्तियों के स्वरूप आदि के संबंध में कुछ सूचना मांगनी पड़ी थी। ६ मामलों में आयोग ने पदों को विज्ञापित नहीं किया, किन्तु उन पदों पर नियुक्ति के लिये एसे अथवा समान पदों के लिये किये गये गत चुनावों के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्तुत कर दिया। एक मामले अर्थात् सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा अधिकारी (बीज) के पद की प्रस्तावित भरती के मामले में आयोग ने सुझाव दिया कि इस वेतन-क्रम तथा उसके लिये अपेक्षित अर्हताओं को देखते हुये पद को उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा में सम्मिलित कर लेना चाहिये और उस सेवा के किसी अनुभवी सदस्य को उस पद पर तैनात कर देना चाहिये तथा आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षा-फल पर भरी जाने वाली उस सेवा की रिक्तियों में एक की वृद्धि कर देनी चाहिये। शासन ने सुझाव को स्वीकार कर लिया। एक दूसरे मामले में आयोग एक पद को विज्ञापित करने के लिये राजी न हुये क्योंकि ऐसी सम्भावना थी कि स्थायी पदधारी निकट-भविष्य में अपने पुराने पद पर लौट आवें और सुझाव दिया कि पद को अस्थायी रूप से भर लेना चाहिये, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाय कि उसका पदधारी पद पर लौटेगा या नहीं।

८--जुलाई, १९५५ में सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश ने दो विज्ञापन निकाले--एक २००--४०० रु० के वेतन-क्रम में जिला सूचना अधिकारी के १० अस्थायी पदों के लिये तथा दूसरा २५० रु० के स्थिर वेतन पर क्षेत्रीय सूचना अधिकारी के दो अस्थायी (राजपत्रित) पदों के लिये, इस अभिसंविदा पर कि बाद में सावधि वेतन-क्रम (टाइम स्केल) स्वीकृत कर दिया जायगा। चूंकि ये पद महत्वपूर्ण मालूम पड़े, इसलिये शासन से पूछा गया कि इन पदों का नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं अथवा नियुक्ति का अधिकार सूचना संचालक को प्रत्यायुक्त कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि यदि पद आयोग के पर्यवेक्षण में न भी हों तो भी उनके पर्यवेक्षण में ला दिये जाने चाहियें और उनके लिये चुनाव आयोग द्वारा किया जाना चाहिये। अगस्त, १९५५ में शासन ने आयोग को सूचित किया कि वे मामले पर सक्रिय विचार कर रहे हैं और अल्प काल में ही उत्तर देंगे। किन्तु कई अनुस्मारक भेजने पर भी वर्ष के अन्त तक कोई अंतिम उत्तर न आया।

९--नवम्बर, १९५५ में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (इंजीनियर) ने अपने कार्यालय के वास्तु उपविभाग (आर्कीटेक्ट सेक्शन) में निम्नलिखित अस्थायी पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुये एक विज्ञापन निकाला :--

(१) १,२५०-१,८०० रु० के वेतन-क्रम में सीनियर आर्कीटेक्ट का एक पद,
(२) ५००-१,२०० रु० के वेतन-क्रम में जूनियर आर्कीटेक्ट के दो पद,
(३) १५०--२५० रु० के वेतन-क्रम में आर्कीटेक्चुरल ड्राफ्ट्समैन के १८ पद, और
(४) २५०-३०० रु० के वेतन-क्रम में आर्कीटेक्चुरल हेड ड्राफ्ट्समैन के चार पद।

आयोग ने शासन को बताया कि उक्त पदों पर भर्ती उनके द्वारा की जानी चाहिये थी। शासन ने उत्तर दिया कि मद (१) व (२) में उल्लिखित पद अस्थायी रूप से भरे जा रहे थे और अल्प काल में ही आयोग से उन पदों तथा सहायक आर्कीटेक्ट के दो अन्य पदों के लिये नियमित चुनाव करने का अनुरोध किया जायगा तथा मद (३) व (४) में उल्लिखित पद मंत्रिवर्गीय पद हैं और आयोग के पर्यवेक्षण में नहीं हैं।

१०—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ पर पैरा ५ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कुछ और लिखा-पढ़ी के पश्चात् आयोग राजकीय सीमेन्ट कारखाना, चुर्क के मुख्य अभियन्ता तथा सहायक प्रबन्धक के पद को पश्चात्दर्शी प्रभाव के साथ १ सितम्बर, १९५४ से वर्गोन्नयन करने (अपग्रेड) तथा उसके पदधारी को १,५००–५०–१,८०० रु० के उच्चतर वेतन-क्रम की स्वीकृति से सहमत हुये, क्योंकि यह वेतन-क्रम उसको पहले ही दिया जा चुका था। पर आयोग ने शासन को बतलाया कि उनकी राय पर उचित समय पर विचार करने का निश्चय करने के लिये ऐसे प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करने के पहले ही उन पर आयोग से परामर्श करना चाहिये न कि बाद में।

११—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ के पैरा ६ में निर्देशित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (जूनियर स्केल) में संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक का पद उसके लिये अपेक्षित अर्हताओं में 'संस्कृत बोलने में दक्षता' जोड़कर, जून १९५५ में पुर्नविज्ञापित किया गया और एक दूसरा अभ्यर्थी चुना गया और नियुक्ति के लिये संस्तुत किया गया। इस बार की गई संस्तुति को शासन ने स्वीकार कर लिया।

१२—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ के पैरा ८ में यह लिखा गया था कि राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय (गवर्नमेन्ट स्कूल आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्ट्स), लखनऊ के लिये वास्तु प्ररचन तथा शिल्पी कक्षा (आर्कीटेक्चुरल डिजाइन ऐन्ड क्राफ्ट्समैन क्लास) के अधीक्षक के पद, जिसके लिये चुनाव निरस्त कर दिया गया था, के लिये एक अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थित यात्रा-भत्ता के प्रत्यर्पण का प्रश्न शासन के विचाराधीन था। उस यात्रा-भत्ता को सरकार ने स्वीकृत कर दिया।

१३—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ के पैरा ९ में निर्देशित चौधरी मुख्तार सिंह, राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में केमिकल इंजीनियरिंग ऐन्ड इंजीनियरिंग सेक्शन के हेड के पद के लिये आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की नियुक्ति के मामले के सम्बन्ध में प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी लिखा-पढ़ी होती रही।

१४—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ७–८ के पैरा १० में वर्णित परिस्थितियों में उद्योग संचालक ने निजी पत्र-व्यवहार से राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था (गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट), वाराणसी के अनुसंधान तथा प्रयोग विभाग के लिये डिजाइनर (हैन्डलूम) के पद के लिये एक उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त कर लिया। आयोग ने नियुक्ति के लिये उस अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्णय करने के हेतु ६ मार्च, १९५६ को उसका साक्षात्कार किया तथा उसे उपयुक्त पाया। तत्पश्चात् उसकी नियुक्ति यथाविधि हो गई।

१५—जिन तीन मामलों में नियुक्ति प्राधिकारियों ने १९५४–५५ में ऐसे पदों पर भरती करने के लिये विज्ञापन स्वयं निकाल दिये थे, जो महत्वपूर्ण समझ पड़े, उनका विवरण गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ५–६ के पैरा ४ में दिया गया था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उन तीनों मामलों में नियमित चुनाव करने के लिये आलेख्य विज्ञापन आयोग को भेजे गये।

१६—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ८ के पैरा १४ में १८ ऐसे मामलों का वर्णन था, जिनमें नियुक्ति-आदेश नियुक्ति-प्राधिकारियों द्वारा आयोग की संस्तुतियों की प्राप्ति की तिथि से दो मास के भीतर जारी नहीं किये गये थे। नियुक्ति-आदेशों की प्रतिलिपियां अब जो प्राप्त हुई हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि उपर्युक्त मामलों में से ९ मामलों में आयोग का परामर्श स्वीकार कर लिया गया है, जब कि शेष ९ मामलों में (१९५४–५५ के प्रतिवेदन में परिशिष्ट ३ के मद संख्याओं १४६, १६३ से १६९ तथा १७४ के सामने वर्णित) शासकीय आदेशों की प्रतीक्षा १९५५–५६ के वर्ष के अन्त समय तक भी की जा रही थी।

७—बिना विज्ञापन के भरती

सामान्यतया आयोग यह आग्रह करते हैं कि सभी स्थायी तथा दीर्घावधि अस्थायी रिक्तियों को सीधी भरती द्वारा नियमित ढंग से विज्ञापन, साक्षात्कारादि के पश्चात् अथवा खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिये। किन्तु कुछ विशेष एवं असामान्य परिस्थितियों में, जैसे किसी वैयक्तिक संस्था का राष्ट्रीयकरण अथवा बार-बार विज्ञापन निकालने पर भी अर्ह अभ्यर्थियों की अलभ्यता अथवा जहां सेवा-नियमों में अन्य ढंग से चुनाव का उपबन्ध है, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं समझी जाती। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग से ऐसी भरती के लिये ३६८ अभ्यर्थियों (गत वर्ष के ३१ अभ्यर्थियों को लेकर) के मामलों पर विचार करने के लिये कहा गया। इनमें से आयोग ने १३१ को नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया। ९ अभ्यर्थियों के मामलों में आयोग ने उनकी उपयुक्तता के संबंध में अपनी कोई राय नहीं दी, किन्तु यह परामर्श दिया कि जब कभी पदों के लिये विज्ञापन निकाला जाय, उन लोगों को आवेदन-पत्र भेजकर अन्य अभ्यर्थियों के साथ चुनाव में भाग लेना चाहिये। १९१ अभ्यर्थी चुने न जा सके क्योंकि या तो वे उपयुक्त नहीं पाये गये या रिक्तियों की संख्या इतनी नहीं थी कि अधिक अभ्यर्थी चुने जा सकते। इन सब मामलों के विस्तृत विवरण परिशिष्ट ४ में दिये गये हैं। साथ ही जिन मामलों में अनुमोदन दिया गया उनके कारण भी लिखे गये हैं। परिशिष्ट ४-अ में वर्णित शेष ३७ अभ्यर्थियों के मामले उनके सामने दिये हुये कारणों से वर्ष के अन्त समय तक निबटाये नहीं जा सके थे।

२—जून, १९५५ में अतिरिक्त शिक्षा संचालक ने आयोग से जूनियर हाई स्कूलों तथा राजकीय आदर्श विद्यालयों के १० प्रधान अध्यापकों की विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक के पदों पर नियुक्ति को अनुमोदित करने का अनुरोध किया। इन अभ्यर्थियों को एक विभागीय चुनाव समिति ने विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक सेवा नियमों, १९४५ के नियम १३ के अनुसार क्षेत्रीय उपसंचालकों द्वारा नामांकित अभ्यर्थियों में से चुना था। इस मामले में पात्रता-क्षेत्र बहुत विस्तृत था और उसमें गैर सरकारी विद्यालयों के भी कुछ अभ्यर्थी सम्मिलित थे। वास्तव में यह मामला सीमित क्षेत्र में से सीधी भर्ती करने का था और समस्त पात्र अभ्यर्थियों की कोई क्रमबद्ध सूची नहीं थी। अतः आयोग ने शासन को सुझाव दिया कि नियमों के अन्तर्गत सभी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित करते हुये विज्ञापन निकाल कर साक्षात्कार आदि के पश्चात् भर्त्ती की जाय। वर्ष में इस मामले में पत्र-व्यवहार होता रहा।

३—गत वर्षीय रिपोर्ट के पृष्ठ ९ के पैरा २ में यह लिखा गया था कि आयोग ने शासन को परामर्श दिया था कि कलेक्शन अधिकारी (अब जिला कलेक्शन अधिकारी कहे जाते हैं) के शेष पदों को खुली प्रतियोगिता द्वारा सामान्य रीति से भरा जाना चाहिए, किन्तु शासन ने उस परामर्श को स्वीकार नहीं किया और आयोग को खाद्य तथा रसद, सहायता तथा पुनर्वास और कोर्ट आफ वार्ड्स विभागों के राजपत्रित पदाधिकारियों में से चुनाव करने का निर्देश दिया। आयोग ने शासन की इच्छानुकूल प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिला कलेक्शन अधिकारियों के १६ पदों के लिये तदनुसार चुनाव किया।

८—पदोन्नति द्वारा भरती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में, आयोग ने अपने पर्यवलोकनान्तर्गत विभिन्न सेवाओं और पदों की ३०८ रिक्तियों पर पदोन्नति के लिये १,०१९ कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ५ में दिया गया है।

२—आयोग ने ३०८ रिक्तियों में से २९६ के लिये अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिये संस्तुत किया। (परिशिष्ट ५ के मद संख्याओं ५, १२, १८ और २४ के सामने दिखलाई गई) ९ रिक्तियों के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि पहले विभागीय चुनाव समिति द्वारा सम्पूर्ण

पात्रता क्षेत्र में से योग्यता के आधार पर (आन मेरिट) नियमानुसार चुनाव किया जाय और तब उन मामलों का निर्देश उनको किया जाय। शेष ३ रिक्तियों (मद संख्या ३२) के सम्बन्ध में आयोग ने देखा कि पदोन्नति द्वारा भर्ती करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमों के नियम ६ (३) के अनुसार नहीं मालूम पड़ता था। तदनुसार शासन से स्थिति का स्पष्टीकरण करने का अनुरोध किया गया। लगभग १ वर्ष के पश्चात् यह उत्तर मिला कि कृषि उप संचालकों के कृत्यों के पुनर्गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और एक नया निर्देश आयोग को बाद में किया जायगा।

३—डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (शिकायत) (मद सं० २७) के ६० पदों के लिये एक समिति ने, जिसमें श्री नकीमुल हसन अध्यक्ष थे और सर्वश्री आदित्य नाथ झा, शासन के मुख्य सचिव, एन० एस० माथुर, पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल तथा जिया राम, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल, आफ पुलिस (प्रशासन) सदस्य थे, १ से ५ नवम्बर, १९५५ को लखनऊ में ११५ कर्मचारियों का साक्षात्कार करके चुनाव किया। डिप्टी कलेक्टर के २१ पदों (मद सं० ३१) के मामलों में आयोग ने इलाहाबाद में ७ से ९, १२, १५ से १७ और २२ मार्च, १९५६ को ५५ कर्मचारियों का साक्षात्कार करके चुनाव किया। अन्य सभी मामलों में आयोग ने सम्बन्धित कर्मचारियों की चरित्रावलियों तथा/अथवा उनकी वैयक्तिक पत्रावलियों के आधार पर अपना परामर्श दिया।

४—आयोग द्वारा पदोन्नति के लिये संस्तुत कर्मचारियों के मामलों में से १७ कर्मचारियों के मामले (देखिये परिशिष्ट ५ की मद सं० २८, २९ तथा ३९) पुनर्विचार के लिये फिर से उनके पास भेजे गये, जब कि ३४ कर्मचारियों के मामलों में वर्ष के अन्त तक कोई आज्ञा नहीं प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित पैरा ६ और ७ में वर्णित मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में आयोग के परामर्श मान लिये गये।

५—३७५ रिक्तियों पर पदोन्नति से सम्बन्धित ४६ मामले, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ५–अ में दिया गया है, प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निबटाये न जा सके।

६—आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (निम्न वेतन–क्रम) में महिला प्रधानाध्यापिका के पदों पर पदोन्नति के लिये ९ महिलाओं को संस्तुत किया था। अक्तूबर, १९५५ में शासन ने दो महिलाओं के मामलों को, जिनको विभागीय चुनाव समिति ने मुख्य सूची में रक्खा था, किन्तु जिनकी पदोन्नति को आयोग ने उस समय के लिये अनुमोदित नहीं किया था, क्योंकि उनकी चरित्रावलियों को देखने से पदोन्नति न्यायोचित नहीं थी, आयोग के पास पुनर्विचारार्थ लौटा दिया। आयोग ने उन मामलों पर पुनर्विचार किया, परन्तु उनकी स्थायी पदोन्नति से सहमत नहीं हुये क्योंकि अन्य पात्र अभ्यर्थी, जिनकी चरित्रावलियां अपेक्षाकृत अच्छी थीं, उपलब्ध थे। किन्तु शासन आयोग के विचारों से सहमत नहीं हुये क्योंकि, उनकी राय में वे दोनों महिलायें उतनी ही अच्छी थीं जितनी अन्य महिलाएं, जिनको विभागीय चुनाव समिति ने चुना था और आयोग ने अनुमोदित किया था। इस सम्बन्ध में शासन ने यह भी कहा कि 'यह स्वीकार करते हुये भी कि पदोन्नति के लिये कसौटी केवल योग्यता (मेरिट) होनी चाहिये, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्येष्ठता स्वयं योग्यता है क्योंकि उस में उस पद के कार्य का अधिक अनुभव निहित है, जिस पद के लिये चुनाव किया जाता है। अतः ज्येष्ठता को उचित लाभ मिलना चाहिये।' परन्तु शासन ने एक दूसरे मामले में, जिसका उल्लेख नीचे प्रस्तर ८ में किया गया है, इसके विरुद्ध विचार प्रकट किया है।

७—शासन ने सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के रीडर के एक पद को प्रोफेसर के पद में वर्गोन्नत करने तथा पहले पद के पदधारी को दूसरे पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। आयोग ने सभी सम्बन्धित पत्रों को मंगवाया और उनकी जांच करने के पश्चात् परामर्श दिया कि पद को वर्गोन्नत करने का कोई औचित्य नहीं बतलाया गया है, किन्तु यदि ऐसा

करना आवश्यक समझा गया है तो प्रोफेसर के वर्गोन्नत पद को नियमित ढंग से विज्ञापन, साक्षात्कार इत्यादि के पश्चात् भरा जाना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि रीडर के पद के वर्त्तमान पदधारी को उस पद पर नियुक्त करना आवश्यक समझा जाता है, तो उस पद के लिये एक निम्नतर वेतनक्रम निर्धारित करने की सम्भावना पर विचार किया जाना चाहिये। शासन इनमें से किसी भी सुझाव से सहमत नहीं हुये। उन्होंने पद को वर्गोन्नत किया और उस पर रीडर के पद के पदधारी को बिना वर्गोन्नत पद का विज्ञापन निकाले ही नियुक्त कर दिया।

८—नवम्बर, १९५५ में शासन ने सात तहसीलदारों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये आयोग से अनुरोध किया। इनमें चार ऐसे तहसीलदार थे, जिनको विभागीय चुनाव समिति ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर स्थायी पदोन्नति के लिये सूची 'अ' में रक्खा था तथा तीन ऐसे थे, जिनको उक्त समिति ने स्थानापन्न पदोन्नति के लिये संस्तुत किया था, किन्तु जिनकी ऐसी पदोन्नतियों को आयोग ने अनुमोदित नहीं किया था। इस सम्बन्ध में शासन ने कहा, "क्योंकि अब पदोन्नति के लिये एकमात्र कसौटी योग्यता (मेरिट) निर्धारित की गई है, चुनाव का आधार योग्यता होना चाहिये न कि स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर के रूप में अथवा किसी जिला या क्षेत्र विशेष में सेवा करने की अवधि।" आयोग ने दूसरे आठ कर्मचारियों की तुलना में इन सात कर्मचारियों की उपयुक्तता के विषय में अपनी राय पन्द्रहों कर्मचारियों का साक्षात्कार करने के पश्चात् देने का निश्चय किया। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में साक्षात्कार न किया जा सका।

९—जैसा गत प्रतिवेदन के पृष्ठ १०—११ के पैरा ६ में वर्णित है, शासन ने सामान्य सचिवालय में अधीक्षकों की सहायक सचिव के पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी नियमों में संशोधन करना स्वीकार कर लिया था। तदनुसार शासन ने असरकारी पत्र सं० २५९१—ई/२०—ई—१५६ (५)/४२, दिनांक २७ जुलाई, १९५५ में यह आदेश जारी किये कि स्थायी नियुक्ति अथवा उस स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति के लिये, जिसके कि एक वर्ष या अधिक अवधि तक चलते रहने की सम्भावना है, चुनाव सम्पूर्ण पात्रता—क्षेत्र में से आयोग का परामर्श लेकर सर्वथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जायगा और यह कि कम से कम ५ वर्ष की सेवा वाले स्थायी अधीक्षक सहायक सचिव के पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे, यदि पांच वर्ष की स्थायी सेवा रिक्ति होने के दिन पूरी हो गई हो। यह भी आदेश हुआ कि इस कार्यवाही के अनुसार दीर्घ—कालीन रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये चुने हुये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनका अनुमोदन किया गया था और उनके मामलों को विभागीय चुनाव समिति अथवा आयोग को पुनः निर्देशित किये बिना ही वे यथा—समय उसी क्रम में स्थायी कर दिये जायेंगे, यदि उस समय तक उनके कार्य अथवा आचरण असन्तोषजनक न रहे हों।

१०—उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अधीक्षक सेवा नियम, १९४२ के अनुसार सामान्य सचिवालय में अधीक्षक के पदों के लिये चुनाव प्रवर वर्ग सहायकों में से ज्येष्ठता का उचित ध्यान रखते हुये सर्वथा योग्यता के आधार पर किया गया था। आयोग से परामर्श करके शासन ने असरकारी पत्र सं० २०२८—ई/२०—ई—१५७/५३, दिनांक १५ जुलाई, १९५५ में आदेश जारी किये, जिसका आशय यह था कि अधीक्षक के पदों में स्थायी रिक्तियों तथा एक या अधिक वर्ष की अवधि तक चलती रहने की सम्भावना वाली रिक्तियों के लिये चुनाव सम्पूर्ण पात्रता—क्षेत्र में से आयोग से परामर्श करके सर्वथा योग्यता के आधार पर किया जायगा। पात्रता के लिये न्यूनतम सेवाकाल प्रवर वर्ग सहायक के रूप में १० वर्ष की स्थायी सेवा है। जैसा सहायक सचिवों के मामलों में पैरा ९ में ऊपर वर्णित है बाद में उसी क्रम में यथा—समय पुष्टिकरण होगा।

९—अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकर

अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्तियों को, चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा चाहे पदोन्नति द्वारा की गई हों, ज्यों ही यह मालूम हो जाय कि उनके एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलते रहने

की सम्भावना है, त्योंही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ५ (क) तथा ६ (ग) के अन्तर्गत आयोग को निर्देशित करना आवश्यक है। ऐसे निर्देशों में कुल ९९४ अभ्यर्थियों के मामले थे, जिन पर आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विचार किया, देखिये परिशिष्ट ६ में दिया हुआ विवरण। आयोग ने इन सभी मामलों में जो अभिलेख और सूचनायें उनको दी गईं, उनके आधार पर अपना परामर्श दिया।

२--उपरिनिर्देशित ९९४ अभ्यर्थियों में से आयोग ने ५३१ को लगातार अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया और ३९ को नहीं। जिन मामलों में यह मालूम था कि पद अल्पावधि के हैं और जिनकी अवधि को अनिश्चित काल के लिये बढ़ाये जाने की संभावना नहीं थी, उन मामलों में अनुमोदन सामान्यतः पद की अवधि की समाप्ति तक दिया गया। जिन मामलों में यह सम्भावना थी कि नियुक्ति की अवधि दीर्घ काल तक रहेगी, अनुमोदन साधारणतः तब तक की सतत नियुक्ति के लिये दिया गया, जब तक कि पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियमित ढंग से चुने हुए अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायं। शेष ४२४ अभ्यर्थियों के विषय में स्थिति इस प्रकार थी:--

(१) १७ अभ्यर्थियों के मामलों में आयोग ने उनकी उपयुक्तता के विषय में अपनी कोई राय नहीं दी, किन्तु परामर्श दिया कि उनमें से ८ अभ्यर्थियों द्वारा धारित पदों को सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष ९ द्वारा धारित पदों को पदोन्नत अभ्यर्थियों द्वारा नियमित ढंग से भरा जाना चाहिये और इन दोनों प्रकार के चुनावों में स्थानापन्न पदधारी अन्य अभ्यर्थियों के साथ इन अवसरों पर अपनी भाग्य परीक्षा करें।

(२) १५ अभ्यर्थियों के विषय में कोई राय देने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि उनके मामलों का निर्देश आयोग को किये जाने के पहले या थोड़े दिन बाद ही वे या तो प्रत्यावर्तित या अधोवर्गित कर दिये गये थे या मर गये थे।

(३) ९९ अभ्यर्थियों के मामलों पर आयोग ने राय दी कि उनसे परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि या तो नियुक्तियों के एक वर्ष से अधिक काल तक चलने की सम्भावना नहीं थी या वे प्रतिनियुक्ति के मामले थे अथवा जिन पदों पर वे निरन्तर कार्य कर रहे थे उन पदों पर उनकी सतत अस्थायी नियुक्ति का अनुमोदन आयोग पहले ही कर चुके थे।

(४) ८६ अभ्यर्थियों के मामलों में कुछ सूचनाओं तथा/अथवा पत्रों का अभाव या अपूर्णता पाई गई और उनकी मांग की गई। अतः उनके मामलों का निबटारा न हो सका।

(५) शेष २०७ अभ्यर्थी, जिनके मामलों पर आयोग ने विचार किया था, वे थे अवक्रमित कर्मचारी या वे पात्र अभ्यर्थी, जिनकी संख्या वास्तविक रिक्तियों से अधिक थी।

३--परिशिष्ट ६-अ में वर्णित ४५ मामले, जिनमें ऊपर के दूसरे पैरा के उपपैरा (४) में वर्णित ८६ अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुये ४४२ अभ्यर्थी थे, प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से वर्ष की समाप्ति तक निबटाये न जा सके।

४--जैसा पहले के प्रतिवेदनों में संकेत किया गया था, ऐसे बहुत से मामले थे, जिनमें अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के लिये आयोग को निर्देश नियत समय के बहुत समय बाद किये गये। जुलाई, १९५५ में अध्यक्ष ने कुछ विभागों की ऐसी अनियमितताओं से मुख्य मन्त्री को सूचित किया, जिनमें अस्थायी नियुक्तियों के मामले वर्षों तक आयोग के अनुमोदनार्थ उनको निर्देशित नहीं किये गये थे। आयोग ने सुझाव दिया कि यह अच्छा हो कि सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एक परिपत्र इस आशय का भेज दिया जाय कि वे ज्यों ही कोई अस्थायी नियुक्ति करें, नियुक्ति आज्ञा की एक प्रतिलिपि आयोग को भेज दिया करें, जिससे आयोग का कार्यालय भी इन अस्थायी नियुक्तियों की जांच कर सकने की स्थिति में हो जाय। यह सुझाव मान लिया गया है और इस विषय में आवश्यक आदेश नियुक्ति विभाग कार्यालय ज्ञाप सं० २४८६/२-बी-१६४-१९५५, दिनांक ११ अगस्त, १९५५ में जारी किये जा चुके हैं। इन आदेशों के अनुसरण

मज्ञाप के जारी किये जाने की तिथि से मार्च, १९५६ के अन्त तक १६० नियुक्तियों से अधिक की सूचना आयोग के कार्यालय में प्राप्त हुई।

५--लेखाधिकारी (अकाउन्ट्स अफसर) के नियमितकरण के एक मामले के विषय में शासन ने कहा कि पद के लिये वे ही अनुभवी अभ्यर्थी उपयुक्त हो सकते हैं, जो लेखा की प्रविधियों से भली भांति परिचित हों। आयोग ने राय दी कि इस प्रकार का तर्क प्रत्येक दूसरी राजपत्रित सेवा के विषय में किया जा सकता है, जिसमें एक नया राजपत्रित अधिकारी स्वभावतः एक पुराने सचिवालय के कर्मचारी से बहुत कम जानता है, किन्तु जो शीघ्र ही उससे आगे बढ़ जाता है और इस ढंग से एक स्थिति बना लेता है, जिससे प्ररुचि (इनीशियेटिव) तथा उत्तरदायित्व की अपेक्षा वाली स्थितियों का सामना करने की उसकी योग्यता में विश्वास पैदा हो जाता है जैसा कि राजपत्रित अधिकारियों को दिखलाना तथा सामना करना चाहिये। लेखा अधिकारी के पद के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उस पद के कार्य में "कल्पना, सुतथ्यता, दूरदर्शिता तथा योजना के उच्च गुणों की अपेक्षा रहती है, जिन गुणों की आशा समान्यतः उन लोगों से नहीं की जा सकती जो सचिवालयीय पंक्तियों में अपनी सेवा का श्री गणेश करते हैं और जिन पर उस पद के नैत्यिक कार्यों की छाप पड़ चुकी होती है, जिस पद पर वे अपने प्रभाव्य वर्षों में सचिवालयीय पंक्ति में कार्य कर चुके होते हैं। अपवादों से नियम की सिद्धि ही होती है। लेखा अधिकारी के पद पर केवल उन्हीं की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिन्होंने प्रावैधिक परीक्षा पास की हो और जो विद्या प्रतिष्ठा धारण करते हों। यह सही है कि जब तक वे नये हैं, तब तक वे उतने उपयोगी नहीं होंगे, जितने कि पुराने सचिवालयीय कर्मचारी। किन्तु यह असुविधा थोड़े ही दिनों तक रहेगी, जिसके बाद वे पुराने सचिवालयीय कर्मचारियों से कहीं आगे निकल जायेंगे"। वर्ष के अन्त तक शासन का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था।

६--अप्रैल, १९५५ में शासन ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य द्वारा लिये गये पानीघर तथा जलोत्सारण (ड्रेनेज) योजनाओं के वर्धित कार्यक्रम का सम्पादन करने के सम्बन्ध में स्वशासन विभाग के मुख्य अभियन्ता (इंजीनियर) द्वारा लगभग १६४ ओवरसियरों की भर्ती करनी पड़ी थी। क्योंकि उन योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों को ३१ मार्च, १९५६ तक पूरा करना था, इसलिये मुख्य अभियन्ता ने सुझाव दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने कुछ काल तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्क सुपरवाइजर के रूप में अथवा स्वशासन विभाग में वर्क एजेन्ट्स के रूप में काम किया हो उनकी भी भर्ती कर ली जानी चाहिये और उनको अनर्ह ओवरसियर कहा जाय तथा एक समुचित रूप से प्रह्रासित वेतन-क्रम में विलीन कर लिया जाय। शासन ने सुझाव दिया कि मुख्य अभियन्ता को अधिकार दे दिया जाय कि वे उन पदों पर इस शर्त के साथ अस्थायी नियुक्तियां कर लें कि जब कभी आवश्यक अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे और आयोग द्वारा उपयुक्त पाये जायेंगे, तब उनके स्थान पर नियुक्त कर दिये जायेंगे। आयोग ने परामर्श दिया कि यदि नियुक्तियों को अवधि ३१ मार्च, १९५६ ही तक रहनी है, तो मुख्य इंजीनियर स्वयं ऐसी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ५ (क) के अन्तर्गत आयोग के परामर्श के बिना ही कर सकता है। परन्तु यदि ऐसी संभावना हो कि ये पद एक वर्ष से अधिक काल तक चलते रहेंगे, तो आयोग चाहेंगे कि विभिन्न संस्थाओं की ओवरसियर क्लास परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा हो जाने के पश्चात् उन पदों के लिये विज्ञापन निकाल दिया जाय। ऐसी अवस्था में आयोग उन पदों के लिये नियमित चुनाव के हेतु वांछित व्यावहारिक अनुभव की अवधि को हटा देंगे। उनकी एक वर्ष तक की सेवा की अवधि हो बाद में आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में समझी जायगी। आयोग को आपत्ति नहीं होगी, यदि चुनाव होने तक मुख्य अभियन्ता अस्थायी नियुक्तियां प्रस्तावानुसार कर लें, और उनके स्थान पर बाद में अर्ह अभ्यर्थी नियुक्त कर दिये जायें। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में ही अनर्ह अभ्यर्थी नियुक्त किये जायें और

उन अनर्ह व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऐसी आशा न दिलाई जाय कि वे बाद में स्थायी कर दिये जायेंगे। शासन ने आयोग का परामर्श स्वीकार कर लिया और तदनुसार आदेश निकाले।

७--गतवर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ १४ के पैरा ५ में निर्देशित, शासन द्वारा सामुदायिक योजनाओं, प्रशिक्षण तथा पायलट योजनाओं आदि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों की सूची को शासन ने दिसम्बर, १९५५ में दिया। इसमें ५१ जिला नियोजन अधिकारियों, १ योजना कार्यकारी अधिकारी (प्रोजेक्ट इक्जीक्यूटिव आफिसर), २८ उप-योजना कार्यकारी अधिकारियों और १४ विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना (ट्रेनिंग-कम-एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट) के सम्बन्ध में नियुक्त अधिकारियों के नाम थे। इस मामले की जांच आयोग ने की और परिशिष्ट ६ के मद संख्या १०२ से १०५ के आगे विवरण स्तम्भ में सांकेतिक ढंग से उन मामलों को निबटाया गया। जिला नियोजन अधिकारी के पद पर सीधी भरती करने का प्रश्न जिसके लिये आयोग ने एक आलेख्य विज्ञापन मांगा था, (देखिये गत प्रतिवेदन के पृष्ठ १५ का पैरा ८) प्रतिवेदनाधीन वर्ष भर शासन के विचाराधीन रहा।

८--गत प्रतिवेदन के पृष्ठ १४, १५ पर पैरा ७ में निर्देशित अभ्यर्थी की सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार के रूप में सतत अस्थायी नियुक्ति को, शासन से एक अग्रेतर निर्देश आने पर, आयोग ने अभ्यर्थी के कार्य की उन्नति को दृष्टि में रखते हुये मार्च, १९५६ में अनुमोदित कर दिया।

९--गत प्रतिवेदन के पृष्ठ १४ के पैरा ६ में निर्देशित, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में, सिरेमिक्स के लेक्चरर के पद के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारण का प्रश्न प्रतिवेदनाधीन वर्ष में शासन के विचाराधीन रहा।

१०--उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में अथवा पदों पर विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के भूतपूर्व कर्मचारियों का अन्तर्निधान।

इस वर्ष आयोग ने विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के १९ कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में अथवा पदों पर अन्तर्निधान के मामलों पर विचार किया। उनका विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया जाता है :--

क्रमांक	विलीनीकृत राज्य अथवा अन्तरक्षेत्रीय खंड का नाम	सेवा अथवा पद, जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१	चरखारी (हमीरपुर)	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	३	साक्षात्कार १२ अगस्त, १९५५ को हुआ। अधोलिखित पैरा २ भी देखिये।
२	समथर (झांसी)	तदेव	२	तदेव
३	वाराणसी	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में प्रधान अध्यापक	१	अधोलिखित पैरा ३ देखिये।

क्रमांक	विलीनीकृत राज्य अथवा अन्तरक्षेत्रीय खंड का नाम	सेवा अथवा पद, जिसके लिए विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
४	रामपुर	ओवरसियर, सिंचाई विभाग	२	६ अक्तूबर, १९५५ को साक्षात्कार के पश्चात् अनुमोदित किये गये।
५	रामपुर	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	६	अधोलिखित पैरा ४ देखिये।
६	रामपुर	अधीनस्थ आबकारी सेवा में आबकारी निरीक्षक	१	साक्षात्कार २७ दिसम्बर, १९५५ को हुआ। अनुमोदित किया गया।
७	वाराणसी	तदेव	३	तदेव
८	टेहरी-गढ़वाल	तदेव	१	आयोग ने इस प्रतिबन्ध के साथ कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया कि शासन उसको शैक्षिक अर्हताओं से छूट दे दे।
		योग ...	१९	

(२) चरखारी तथा समथर राज्यों के ५ सहायक अध्यापक, जिनका निर्देश उपर्युक्त मद सं० १ और २ में किया गया है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में विलीनीकरण के लिये अनुमोदित नहीं किये गये थे। आयोग ने परामर्श दिया कि वे सब ७५–२०० रु० के सी० टी० ग्रेड में विलीन किये जावें, क्योंकि उनमें से कोई भी विलीनीकरण के समय एल० टी० नहीं था। इनमें से एक अध्यापक के मामले में आयोग ने उपयुक्त निजी वेतन देने के लिये भी सिफारिश की ताकि उसका वेतन उस वेतन से कम न हो, जो उसे मिलता होता यदि वह राज्य सेवा में बना रहता।

(३) उपर्युक्त मद संख्या ३ में दिया गया मामला वही है, जिसका वर्णन आयोग की गत वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ १७ के पैरा २ में किया गया था। शासन ने मार्च, १९५६ में उसे फिर आयोग के पुनर्विचारार्थ निर्देशित किया। आयोग ने पुनः उस पर विचार किया, किन्तु वे अपने पूर्व निर्णय पर ही आरूढ़ रहे। शासन ने अब आयोग के परामर्श को मान लिया है।

(४) पैरा १ में मद सं० ५ के सामने दिये गये छः सहायक अध्यापकों को आयोग ने ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में विलीनीकरण के लिये अनुमोदित नहीं किया था, राजकीय आज्ञा संख्या ख–३६९९/१५––६६–१९५०, दिनांक १८ जून, १९५४, के आधार पर अतिरिक्त शिक्षा संचालक ने इनके मामलों को आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देशित किया था। इस आज्ञा में यह दिया हुआ था कि विलीनीकृत राज्यों के अप्रशिक्षित ग्रेजुएट कर्मचारी

एल० टी० की योग्यता प्राप्त कर लेने के पश्चात् आयोग की सहमति से ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में विलीन किये जा सकते थे। आयोग ने विचार प्रकट किया कि उक्त राजकीय आज्ञा इन अध्यापकों के मामलों में लागू नहीं होती, क्योंकि वे ट्रेन्ड अण्डर ग्रेजुएट ग्रेड में पहिले ही विलीन किये जा चुके थे और अब किसी अन्य ग्रेड में उनके विलीन किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विलीनीकरण का प्रश्न उन्हीं अध्यापकों के बारे में उठता है, जो अभी तक विलीन नहीं किये जा सके थे। एक कर्मचारी एक बार किसी ग्रेड में विलीन किये जाने के पश्चात् किसी भी उच्च ग्रेड में या तो पदोन्नति के द्वारा या नियमित प्रणाली से सीधी भर्ती के द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस राजकीय आज्ञा का यह अर्थ निरूपण शासन को भी सूचित किया गया था और वह आयोग से सहमत हुआ।

(५) विलीनीकृत राज्यों अथवा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के निम्नलिखित पदाधिकारियों के मामले अन्तर्निधान के लिये आयोग को निर्देशित किये गये थे, किन्तु इस वर्ष उन पर कार्यवाही न हो सकी :--

क्रम संख्या	विलीनीकृत राज्य या अन्तरक्षेत्रीय खंड का नाम	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१--	वरखारी (हमीरपुर)	पी० एम० एस० प्रथम श्रेणी	१	..
२--	रामपुर	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	१	कुछ सूचना तथा अन्य सम्बन्धित कागज मांगे गये थे।
३--	वाराणसी	चकबन्दी अधिकारी	४	यह निर्देश कार्यालय में दिनांक २२ मार्च, १९५६ को प्राप्त हुआ था।
		योग ...	६	

११--स्थानान्तरण द्वारा भर्ती

इस वर्ष अधीनस्थ कृषि सेवा प्रथम ग्रुप के दो पदाधिकारियों के अधीनस्थ सहकारी सेवा प्रथम ग्रुप में एवं महांकिक के कार्यालय के एक स्थायी प्रवर वर्ग लिपिक के उत्तर प्रदेशीय सचिवालय के राजस्व विभाग में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानान्तरण के लिये उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में आयोग से सलाह ली गई थी। आयोग ने पहले दो पदाधिकारियों के प्रस्तावित स्थानान्तरण को अनुमोदित कर दिया। किन्तु बाद वाले मामले में आयोग सहमत नहीं हुये, क्योंकि संबंधित सेवा नियमों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

२--मई, १९५५ में अतिरिक्त शिक्षा संचालक ने अधीनस्थ शिक्षा सेवा के निरीक्षण वर्ग की महिला सदस्याओं को अध्यापन वर्ग में स्थानांतरित करने के सामान्य प्रश्न की नीति पर आयोग को सलाह मांगी थी। अतिरिक्त शिक्षा संचालक का यह मत था कि इस प्रकार के स्थानान्तरणों को आज्ञा इस लिये मिलनी चाहिये कि यह आवश्यक है कि निरीक्षिकाओं को अध्यापन कार्य का कुछ अनुभव प्राप्त हो ताकि वे अध्यापकों का मार्ग प्रदर्शन करने में समर्थ हो सकें, और प्रधान

अध्यापिका के पद पर पदोन्नत होने पर उस पद के कर्त्तव्यों का पालन भी कुशलता से कर सकें। आयोग ने कहा कि चूंकि निरीक्षण शाखा में अधिक कठिनाइयां हैं और उसमें देहाती क्षेत्रों में इधर-उधर जाना पड़ता है इसलिये यह उतनी जन प्रिय नहीं है जितनी कि अध्यापन शाखा। अध्यापन शाखा की अपेक्षा निरीक्षण शाखा में बहुत ही कम महिलायें आवेदन-पत्र भेजती हैं और फलतः अपेक्षाकृत हीन योग्यता वाले अभ्यर्थियों को उस शाखा के लिये चुनना पड़ता है। इन कारणों से आयोग ने सलाह दी कि इन पदाधिकारिणियों को उस समय तक स्थानान्तरण के द्वारा अध्यापन शाखा में जाने की आज्ञा देना उचित न होगा, जब तक कि बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिकाओं का संवर्ग ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड की सहायक अध्यापिकाओं के संवर्ग से अलग है। आयोग ने यह भी सलाह दी कि दोनों संवर्गों को मिलाकर संयुक्त संवर्ग के लिये भर्ती करना अधिक अच्छा होगा। यदि इस प्रकार हो जाय, तो उत्तम अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे और विभाग स्वतन्त्र होगा कि सेवा की किसी सदस्या को चाहे सहायक अध्यापिका बनाकर रक्खे अथवा सहायक निरीक्षिका, आवश्यकतानुसार अदला-बदली करता रहे। यदि निरीक्षण कार्य करने वाली सदस्याओं के लिये थोड़ा सा भत्ता निर्धारित कर दिया जाय, तो वह शाखा उतनी अरुचिकर न रहेगी जितनी कि अब है।

१२--पुष्टिकरण

इस वर्ष नियुक्ति विभाग में शासन द्वारा जारी किये हुये ज्ञापन सं० २९४९/२-बी--१००-५३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ के अनुसार आयोग को ३८४ (पिछले वर्ष के ४ को भी मिलाकर) पदाधिकारियों के पुष्टिकरण के लिये उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार करना था। इनका विवरण परिशिष्ट ७ में दिया हुआ है।

२--आठ पदाधिकारियों के मामले वर्ष के अन्त के निकट प्राप्त हुये थे। ये मामले तथा ४ पदाधिकारियों के और मामले जिनमें कुछ सूचनायें मांगी गई थीं वर्ष की समाप्ति तक विचाराधीन रहे। शेष ३७२ पदाधिकारियों के मामले आयोग द्वारा निबटा दिये गये थे। इनमें से २२९ पदाधिकारी पुष्टिकरण अथवा परीक्षण काल पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये और १९ पदाधिकारी अनुमोदित नहीं किये गये। ८५ पदाधिकारी निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये और २ एक वर्ष और निरीक्षण पर रखे जाने के लिये अनुमोदित किये गये थे। ३१ पदाधिकारियों के बारे में यह सिफारिश की गई कि या तो उनको एक महीने की नोटिस देकर हटा दिया जाये या उनके स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति रक्खे जायें। ४ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग ने यह परामर्श दिया कि जिन स्थायी पदों पर उनको स्थायी करने का प्रस्ताव था, उनका विज्ञापन निकाला जाय। शेष २ में से एक सेवा निवृत्ति पा चुका था और दूसरे के संबंध में आयोग ने यह कहा कि चूंकि वह जगह जिस पर उसके स्थायी करने का विचार थी, स्थायी रूप से रिक्त नहीं थी, अतः उस पर किसी को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

३--१९४९ तथा १९५० में पंचायत राज संचालक ने बिना आयोग की सलाह के ७ पंचायत निरीक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त किये थे। पंचायत राज संचालक ने दो बार आयोग से अनुरोध किया कि वे उन पंचायत निरीक्षकों को स्थायीकरण के लिये अपने अनुमोदन प्रदान कर दें, किन्तु आयोग सहमत न हुये। फिर भी इन पंचायत निरीक्षकों द्वारा की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुये आयोग ने उनको आयु सीमादि से छूट देकर अन्य अभ्यर्थियों के साथ १९५३ के चुनाव में भाग लेने के लिये अनुमति प्रदान की। आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन के उत्तर में सातों पंचायत निरीक्षकों ने आवेदन-पत्र भेजे थे। परन्तु उनमें से केवल दो चुने गये और उनकी नियुक्ति के लिये सिफारिश की गई। आयोग की सिफारिश प्राप्त होजाने के पश्चात् शेष पांच पंचायत निरीक्षकों को सेवा से हटा देना चाहिये था, किन्तु यह नहीं किया गया और एक बार फिर पंचायत राज संचालक ने उनकी स्थायी नियुक्ति के निमित्त आयोग से अनुमोदन प्रदान की मांग की। आयोग उनकी निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से भी सहमत नहीं हुये। इस पर नोटिस के स्थान पर एक महीने का वेतन देकर उनकी सेवायें संचालक द्वारा समाप्त कर दी गईं।

१३—पुनर्वाद (अपील) तथा आनुशासिक कार्यवाही के मामले

१—इस वर्ष आयोग से परामर्श के लिये ६५ अपील अथवा अभ्यावेदन तथा १८ मौलिक आनुशासिक कार्यवाही के मामले उनके पास भेजे गये थे। उनमें से २० मामलों का निबटारा न हो सका, क्योंकि या तो वे वर्ष के अन्त के निकट में प्राप्त हुए थे, या आयोग ने शासन से कुछ पत्र अथवा अन्य सूचनायें मांगी थीं। इनमें से दो मामलों में जिनको कि एक विभागाध्यक्ष ने भेजा था आयोग ने कोई सलाह नहीं दी क्योंकि उनमें उनसे सलाह लेना आवश्यक नहीं था। शेष ६१ मामलों पर उन्होंने विचार किया और अपनी राय दी। ५६ मामलों में आयोग की राय शासन ने मान ली और बचे हुये पांच मामलों में शासन के आदेश वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुये थे।

२—आयोग ने इस वर्ष १९५४–५५ के तीनों विचाराधीन मामलों का और १९५२–५३ के एक विचाराधीन मामले का निबटारा किया। इन सब मामलों में आयोग की राय मान ली गई।

३—पिछले वर्ष के ७ मामले ऐसे थे, जिनमें शासन के आदेशों की प्रतीक्षा थी। उनमें से छः मामलों में आयोग की सलाह मान ली गई और बचे हुये एक में १९५५–५६ वर्ष के अन्त तक भी शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी। सन् १९५२–५३ के एक मामले में जिसमें कि अपील रद्द कर दी गई, किन्तु जिसमें पुनर्वादक की एक प्रतिकूल प्रविष्टि को निकालने के विषय में आयोग के प्रस्ताव पर शासन की आज्ञा की प्रतीक्षा थी, आयोग की सलाह प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में भी मान ली गई। १९५२–५३ के अन्य मामलों में भी, जिनमें कि शासन की आज्ञाओं की प्रतीक्षा थी, आयोग का परामर्श मान लिया गया।

४—जिस मामले का निर्देश गत वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ १९ के पांचवें पैरा में है, उसके सम्बन्ध में शासन ने कहा कि वह भूतपूर्व एरिया राशनिंग अफसर, जिसके शेष वेतन में से ७१ रु० १ आना की धनराशि वसूल कर ली गई थी और जिसके विषय में आयोग ने सिफारिश की थी कि उसको भविष्य में राजसेवा में नियुक्ति से प्रतिवारित कर दिया जाय, क्योंकि उस पर गबन का दोषारोप था, वह न तो पदच्युत ही किया गया था और न सेवा ही से हटाया गया था। उसकी सेवा छंटनी की नोटिस देकर समाप्त कर दी गई थी, जिसमें किसी प्रकार का कलंक सम्बद्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में, भविष्य में उसको शासन के अधीन राज सेवा में नियुक्ति से प्रतिवारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। इस पर आयोग ने कहा कि ढाई वर्ष बीत जाने के पश्चात् इस मामले को पुनः उखाड़ना उचित न होगा, किन्तु फिर भी उनकी राय में पदाधिकारी को समुचित दंड नहीं दिया गया। वह पदाधिकारी राजसेवा के लिये उपयुक्त नहीं था, अतः शासन कुछ ऐसा प्रबन्ध करे कि वह भविष्य में किसी राज्य सेवा में भर्ती न किया जाये। परन्तु शासन ने ऐसा कहा कि यदि सम्बन्धित पदाधिकारी राजसेवा से हटाया गया होता अथवा पदच्युत किया गया होता, तो उसको भविष्य में नौकरी से प्रतिवारित करने की आगे की कार्यवाही भी की जा सकती थी। परन्तु चूंकि उसकी सेवा–समाप्ति शासन की छंटनी की नीति के परिणामस्वरूप थी, अब उसको भविष्य में नौकरी से प्रतिवारित करना घोर अन्याय ही नहीं, अपितु विधितः भी ठीक न होगा।

५—गत वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ २० के पैरा ८ में वर्णित मामले के सम्बन्ध में आयोग की सलाह को मानते हुये शासन ने आदेश जारी कर दिये है कि खाद्य तथा रसद विभाग के उस कर्मचारी को, जिसको १९४४ में सेवा से पदच्युत कर दिया गया था, पुनर्नियुक्ति पर लगाये हुये प्रतिबन्ध को अब उठाया नहीं जा सकता।

६—गतवर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ २१ के पैरा ९ में निर्देशित परिस्थिति में आयोग ने जेल मैनुअल के पैरा ११२१ (ए) में परिवर्तन का सुझाव दिया था, ताकि उसमें आये हुये "आज्ञा के लिये" शब्दों का मन्तव्य स्पष्ट हो जाय। अब शासन ने आयोग के उस निर्णय को मान लिया है और राजाज्ञा संख्या १२१४/२२—५०१५/१९५४, दिनांक १८ अप्रैल, १९५६ में इस मामले को साफ कर दिया है।

७--उत्तर प्रदेशीय लोक सेवा आयोग के (कृत्यों के परिसीमन) विनियमों के विनियम ८(ग) तथा उसके नीचे दिये हुये उदाहरण संख्या (११) के अनुसार आस्मारकों (ममोरियलों) के मामलों में आयोग से परामर्श लेना उसी दशा में उचित है जब राज्यपाल महोदय का विचार किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी की हुई आज्ञा को रद्द करने या उसमें संशोधन करने का हो। आयोग से परामर्श के लिये उनको निर्देशित ऐसे कुछ मामलों में शासन जो कार्यवाही करना चाहता था, उसका संकेत नहीं किया गया था। आयोग ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों का शासन पहिले स्वयं परीक्षण करें और जिन मामलों को आयोग के पास भेजना आवश्यक हो, उन मामलों को भेजते समय साथ के पत्र में हमेशा यह बता दिया जाये कि दन्ड देने वाले अधिकारी की आज्ञा में कुछ संशोधन करने का अथवा उसको रद्द करने का विचार है।

८--आयोग के अनुरोध पर शासन ने नियुक्ति (ख) विभाग पृष्ठांकन संख्या ०-४४७ (१)/२-बी--१९५०, दिनांक २४ मार्च, १९५० में अनुदेश जारी किये थे कि यह आवश्यक है कि पुनर्वादों एवं आनुशासिक कार्यवाही के मामलों में पूर्ण अभिलेख मूलरूप में या यदि वह संभव न हो सके तो उनकी यथाविधि अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां आयोग के पास भेजी जायं। इस वर्ष दो मामले ऐसे थे जिनमें आयोग के पास भेजे गये अभिलेखों के अधिकांश भाग मूलरूप में न थे और जिनमें भेजी गई अधिकांश प्रतिलिपियां अप्रमाणित थीं और लगभग १० मामले ऐसे थे जिनमें जो कागज पहले पहल भेजे गये थे वे अपूर्ण थे और आयोग को उनकी पुनः मांग करनी पड़ी।

९--एक मामले में एक अपील केवल इसीलिये स्वीकार करनी पड़ी कि मामले की आनुशासिक कार्यवाही की प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमिततायें की गई थीं--

(१) किसी भी समय पुनर्वादक की उपस्थिति में किसी साक्षी को जांच नहीं की गई थी,

(२) साक्षियों की प्रति परीक्षा करने की पुनर्वादक की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई थी,

(३) प्रार्थी को यह इच्छा थी कि वह अपनी कथा अपने मुख से दन्ड देने वाले अधिकारी से कहे, किन्तु इस इच्छा को ठुकराया गया, और

(४) अन्तिम पदच्युति की आज्ञा एक ऐसे साक्ष्य पर विचार करके दी गई थी, जो कारण दिखाने की नोटिस देने के बाद एकत्र की गई थी और जिसको मानने के पूर्व पुनर्वादक को यह कारण दिखाने का और अवसर नहीं दिया गया था कि उस साक्ष्य को क्यों न मान लिया जाय। ऐसी अनियमिततायें बचाई जा सकती थीं और उन्हें बचाना चाहिये।

१०--एक मामले में आयोग ने देखा कि उस अभियोग पत्रिका में, जो पुनरावेदक को दी गई थी, उसकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव था। आगे चलकर उससे इस बात का कारण बताने के लिये कहा गया कि जो भूल चूक तथा त्रुटियां उससे हो गई थीं उनके लिये उसको उत्सर्जित क्यों न कर दिया जाये। किन्तु अन्तिम आज्ञा में उसको सेवा से हटाये जाने का दंड दिया गया था। चूंकि उत्सर्जन (डिस्चार्ज) और सेवा की समाप्ति मान्य दंड नहीं हैं, जबकि सेवा से हटा देना दंड का एक मान्य रूप है और एक कठोर दंड है, इसलिये आयोग ने परामर्श दिया कि पद से हटा देने की आज्ञा बरखास्तगी की आज्ञा में बदल दी जावे, अन्यथा अपील अस्वीकार कर दी जाय, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। आयोग की सलाह शासन ने पूर्णरूपेण मान ली।

१४--असाधारण पेन्शन तथा उपदान

इस वर्ष असाधारण पेन्शन तथा/अथवा उपदान की मांग के ३९ मामले, जिनका वर्णन परिशिष्ट ८ में किया गया है, आयोग के परामर्श के लिये निर्देशित किये गये थे। इनमें से ३१ मामले पुलिस विभाग के थे, २ सिंचाई विभाग के, ४ वन विभाग के और एक-एक पशु-

पालन विभाग तथा कृषि इंजीनियरिंग विभाग के थे। आयोग ने इनमें से ३४ मामलों में और १९५४–५५ के बचे हुये एक मामले में भी अपनी सलाह प्रदान की। १९५४–५५ के मामले को भी मिलाकर ३४ मामलों में आयोग की सलाह मान ली गई और एक मामले में वर्ष के अन्त तक शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी। शेष पांच मामलों में वर्ष के अन्त तक कार्यवाही पूर्ण न की जा सकी, क्योंकि इनमें से चार में या तो कुछ अधिक सूचनायें या कुछ कागज मांगने पड़े थे और उनमें एक मामला मार्च, १९५६ में प्राप्त हुआ था।

२—गत वर्ष के ५ मामले ऐसे थे कि जिनमें शासन की आज्ञाओं की प्रतीक्षा की जा रही थी। इनमें से चार मामलों में आयोग का परामर्श मान लिया गया था, किन्तु पांचवें मामले में शासन ने कुछ बातें आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर भेजी। उस मामले में आयोग का अन्तिम परामर्श वर्ष के अन्त तक न भेजा जा सका।

३—१९५३–५४ के दो मामले ऐसे थे, जिनमें शासन की आज्ञाओं की प्रतीक्षा की जा रही थी। इन दोनों मामलों में इस वर्ष की समाप्ति तक भी शासन की आज्ञायें प्राप्त नहीं हुई थीं।

४—एक प्रस्तावित असाधारण पेन्शन के मामले में, जिसमें आयोग का यह मत था कि उसमें १९४१ के उत्तर प्रदेशीय असैनिक सेवा (असाधारण पेन्शन) नियमों के नियम ३ (६) के अन्तर्गत कोई 'पद का जोखिम नहीं' था, किन्तु जिसमें उन्होंने इन्हीं नियमों के नियम १४ के अन्तर्गत एक अनुदान की सिफारिश की थी, शासन ने स्पष्टीकरण किया कि नियम १४ के उपबन्धों की शरण अति दयनीय (हार्ड) मामलों में ही लेनी चाहिये, जिनमें सामान्य नियमों की सभी अपेक्षायें लगभग पूरी होती हों, किन्तु कुछ प्रविधिक कारणों से अनुदान न दिया जा सकता हो।

१५—वैध व्ययों के लौटाने के लिये दावे

इस वर्ष राजकीय कर्मचारियों के अपनी रक्षा के हेतु किये गये वैध व्ययों को लौटाने के ८ मामले आयोग के परामर्श के लिये भेजे गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट ९ में दिया हुआ है। इनमें से छः मामलों में तथा पिछले वर्ष के एक मामले में भी, जो उनके पास पुनर्विचारार्थ भेजा गया था, आयोग ने अपना परामर्श दिया। इन सब मामलों मे आयोग की सलाह मान ली गई। दो मामलों का निबटारा वर्ष के अन्त तक न हो सका।

२—गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय १५ के पैरा २ में निर्देशित जिन सरकारी कर्मचारियों पर शासन ने स्वयं असफलता पूर्वक अभियोग चलाया हो, उनके वैध व्ययों के प्रत्यर्पण की व्यवस्था करने के विचार से शासकीय आज्ञाओं की मैनुअल के पैरा ३२३–ए में संशोधन करने के प्रश्न के सम्बन्ध में शासन ने विनिश्चय किया है कि ऐसे प्रत्यर्पण के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उपयुक्त मामलों में राज्यपाल को जन्मज शक्तियों के अधीन प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी जायगी।

१६—सेवाओं तथा पदों के लिये नियम

इस वर्ष ऐसे ४० मामले थे, जिनका सम्बन्ध विविध सेवाओं तथा पदों पर भर्ती सम्बन्धी तथा/अथवा नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की सेवा के प्रतिबन्धों सम्बन्धी नियमों से था। आयोग ने इनका परीक्षण करके अपनी आलोचनायें कीं, या प्रस्तावित संशोधनों पर सलाह दी अथवा स्वयं संशोधन के सुझाव दिये। इन सब मामलों का वर्णन परिशिष्ट १० में दिया हुआ है।

२—विद्यालयों के उपनिरीक्षकों की १९४४ की सेवा के नियमों के नियम ५ तथा १४ (१) के संशोधनों को आयोग ने क्रमशः १९४७ तथा १९४९ में अनुमोदित कर दिया था। शासन ने इन संशोधनों की विज्ञप्ति अक्तूबर, १९५५ में निकाली। इन्हीं

अनुमोदित किया था, की विज्ञप्ति शासन ने दिसम्बर, १९५५ में निकाली। इन संशोधनों को अन्तिम रूप देने में शासन ने जो समय लिया वह विचारणीय है।

३—क्या एक राजकीय कर्मचारी को, जिसको एक उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया हो और उसी पर उसका पुष्टिकरण कर दिया गया हो और जिसके विषय में यह पता लग जाय कि पदोन्नति के समय उसको चुनने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था, जिसके लिये वह किसी प्रकार दोष भागी नहीं था, बिना दंड-विधि का अनुसरण किये निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ? यह जटिल प्रश्न एक ज्येष्ठ पदाधिकारी के आवेदन के सम्बन्ध में जिसको उसने एक व्यक्ति, जो उसकी पदोन्नति के पूर्व उससे कनिष्ठ था, के एक उच्चतर पद पर पुष्टिकरण के विरोध में दिया था, आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। आयोग ने यह मत धारण किया कि किसी पुष्टिकृत राजकीय कर्मचारी को बिना दंडित किये हुए प्रत्यावर्तित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

१७—कृत्यों के परिसीमन सम्बन्धी विनियम

इस वर्ष आयोग इससे सहमत हुये कि निम्नलिखित पद उनके पर्यवलोकन में न रहें:

(१) सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश का पद।

(२) सहायक भूगर्भवेत्ता का पद (असिस्टेंट जिओलाजिस्ट)।

(३) प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मचारिवर्ग के पदों पर केवल स्थानापन्न नियुक्ति के लिये।

२—शासन के निर्देश पर आयोग इससे सहमत हुये कि सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण के सहायक निदेशक के पद उनके पर्यवलोकन में कर दिये जायं।

३—उत्तर प्रदेशीय लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन सम्बन्धी, १९४१ के विनियमों के विनियम ४(ग), जो वैसा ही है जैसा कि १९५४ में जारी किये हुये नवीन विनियमों का विनियम ६ (ख) है, का अर्थनिर्णय :

उपर्युक्त विनियम के अधीन एक ही सेवा के अन्तर्गत उस सेवा के नियमों के अनुसार निम्न कोटि (ग्रेड) या पद से उच्चतर कोटि या पद पर पदोन्नति के उन मामलों में आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें उच्चतर कोटि में भर्ती पदोन्नति द्वारा ही की जाती है और सीधी भर्ती द्वारा भी नहीं। १९४५ में एक ही सेवा के भीतर निम्नग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति के मामले में उस समय के उद्योग संचालक ने आयोग से सलाह लेना आवश्यक नहीं समझा था। यह मामला ज्येष्ठ अधिकारियों में से एक के, जिसका अवक्रमण हो गया था, आवेदन देने पर उसके संबंध में आयोग के सामने आया। आयोग ने अपनी सलाह दी, और शासन सहमत हुआ कि उपर्युक्त पदोन्नति आयोग की सलाह से करनी चाहिये थी, क्योंकि उस सेवा के कोई नियम नहीं बने थे।

४—कुछ कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के मामले में, जो प्रारम्भ में आयोग की सिफारिशों पर नियुक्त हुए थे, किन्तु जिनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी ताकि वे भारतीय कृषि अन्वेषण केन्द्र में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, आयोग ने परामर्श दिया कि ऐसे मामले में पुनर्नियुक्ति उनकी सलाह से करनी चाहिये, क्योंकि एक बार सेवा से किसी अभ्यर्थी के, चाहे वह आयोग की सिफारिश से ही क्यों न नियुक्त किया गया हो, हट जाने पर वह उस पद पर, जिस पर कि वह प्रारम्भ में नियुक्त हुआ था, अपना ग्रहणाधिकार खो बैठता है और उसकी पुनर्नियुक्ति का मामला नये सिरे से नियुक्ति का मामला हो जाता है।

५—क्या एक विद्यमान सेवा के संवर्ग के कुछ विद्यमान पदों को एक अलग इकाई मानने और उन पदों के पदधारियों के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के पूर्व शासन को आयोग से परामर्श करना चाहिये ? यह प्रश्न

आयोग को निर्देशित किया गया था। आयोग ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में उनसे सलाह लेना आवश्यक है क्योंकि इनका असर सेवा की शर्तों पर पड़ता है, जो आयोग के परामर्श से बनाये हुये सेवा नियमों के अंग होते हैं। शासन इससे सहमत हुआ।

६—एक पदोन्नति के मामले में आयोग द्वारा आलोचना किये जाने पर शासन ने मई, १९५५ में व्यवस्था (रूलिंग) जारी की कि [illegible] के एक संवर्गातिरिक्त पद पर एक सुपरवाइजर कानूनगो की नियुक्ति को पदोन्नति का मामला समझना चाहिये, न कि उत्तर प्रदेशीय लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) १९५४ के विनियमों के विनियम ४ (ए) के अन्तर्गत [illegible] का मामला और भूमि सुधार आयुक्त को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों के संबंध में आयोग को निर्देश करना चाहिये।

१८—विविध निर्देश

आयोग को प्रति वर्ष [illegible] अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति, शासन के अधीन विविध सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के लिये डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं की मान्यता, ज्येष्ठता-निर्धारण तथा अन्य विविध मामलों के अनेक निर्देश मिलते रहते हैं। इस प्रकार जो निर्देश इस वर्ष आयोग को भेजे गये थे, उनमें से ५६ अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण निर्देशों की सूची परिशिष्ट ११ में दी गई है।

सितम्बर, १९५५ में सहकारी विभाग में शासन ने रजिस्ट्रार को आदेश जारी करते हुये कहा कि शासन को ऐसा परामर्श दिया गया है कि "निम्न कोटि से उच्चतर कोटि में पदोन्नति किये गये पदाधिकारी उन पदाधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जो उनसे बाद में पदोन्नत हुए थे, यदि पदोन्नति मौलिक है। किन्तु यदि निम्न ग्रेड के कुछ पदाधिकारी स्थानापन्न रूप से उच्चतर ग्रेड में कार्य कर रहे हैं तो चाहे उन्होंने किन्हीं भी तिथियों से स्थानापन्न रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया हो, उनकी परस्पर ज्येष्ठता वही रहेगी जो निम्न ग्रेड में थी। जो लोग उच्चतर ग्रेड में साथ-साथ तथा मौलिक रूप से पदोन्नत किये गये हैं उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो निम्न ग्रेड में थी।" इन आदेशों की एक प्रतिलिपि आयोग को केवल सूचनार्थ पृष्ठांकित की गई थी। आयोग ने कहा कि स्थानापन्न पदोन्नति के मामलों में ज्येष्ठता निर्धारण का सिद्धान्त ठीक नहीं था। स्थानापन्न पदोन्नति के मामलों में भी साथ-साथ पदोन्नत किये हुए अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होती है जो उनकी निम्न ग्रेड की सेवा में थी। किन्तु यदि एक ज्येष्ठ व्यक्ति बाद में स्थानापन्न रूप से उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत होता है, तो उसको उच्चतर ग्रेड में उन लोगों से नीचे रखना चाहिये जो उससे पूर्व पदोन्नत हो चुके थे। अपने कनिष्ठों के बाद में पदोन्नत किये जाने पर भी वह उच्चतर ग्रेड में अपनी निम्न ग्रेड वाली ज्येष्ठता को नहीं बनाये रख सकता। इस पर शासन ने पहिले आदेशों को निरसन करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किये :

"साथ-साथ पदोन्नत अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो निम्नग्रेड में थी। किन्तु यदि एक ज्येष्ठ व्यक्ति की स्थानापन्न पदोन्नति उच्चतर ग्रेड में बाद में की जाती है, तो उच्चतर ग्रेड में उसका स्थान उससे पूर्व पदोन्नत किये गये लोगों से नीचे रहेगा।"

१९—अन्य विषय

१—[illegible] सम्बन्धी भर्ती के विषय में अनुदेशों का पुनरीक्षण—गत वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ २५–२६ के पैरा २ में यह कहा गया था कि आयोग ने संशोधित अनुदेशों का एक प्रयोगात्मक आलेख्य तैयार कर लिया था और उसे शासन के पास अंतिम रूप देने के लिये भेजा था। आलेख्य में आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर शासन के विचार

सितम्बर, १९५५ में प्राप्त हुये थे। आयोग ने उस पर अपनी आलोचना शासन को भेज दी है। अभी तक उन अनुदेशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

२--राजकीय सेवाओं में भर्ती के सिद्धान्तों का पुनरीक्षण--अमेरिका के फोर्ड फाउन्डेशन के डोन पाल एच० एपिलबाई द्वारा भारत में लोक प्रशासन पर अपने प्रतिवेदन में की गई आलोचना को तथा आनुशासिक कार्यवाही जांच समिति के प्रतिवेदन पर प्रदेश शासन के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुये आयोग ने शासन से निर्देश आने पर राजकीय सेवाओं में भर्ती के सिद्धान्तों पर पुनर्विचार करने का कार्य हाथ में ले लिया। इस विषय में पर्याप्त कार्य किया गया, किन्तु प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक शासन को कोई अंतिम उत्तर न भेजा जा सका।

३--जांच समितियों से प्रश्नावलियां--इस वर्ष दो प्रश्नावलियां एक तो लोक सेवा (भर्ती के लिये अर्हतायें) समिति की ओर से और दूसरी राजभाषा आयोग की ओर से प्राप्त हुए थे। इन प्रश्नावलियों की महत्ता को देखते हुये उन्हें शीघ्र ही निबटाया गया और समय पर उनके उत्तर गये।

४--कचहरियों का पुनस्संगठन--कचहरियों के पुनस्संगठन के लिये प्रयोगात्मक सुझाव आयोग के विचारार्थ निर्देशित किये गये थे। आयोग ने उनका परीक्षण किया और उस विषय में अपना परामर्श दिया।

५--अतिरिक्त कार्य--(ए) दो सदस्य, अर्थात् सर्वश्री पी० डी० पांडेय तथा टी० पी० भल्ला आयोग की ओर से दिल्ली में ३ फरवरी, १९५६ को लोक सेवा (भर्ती के लिये अर्हतायें) समिति से मिले। अध्यक्ष महोदय श्री नफीसुल हसन, लखनऊ में १३ मार्च, १९५६ को राजभाषा समिति से मिले और आयोग की ओर से अपना साक्ष्य दिया।

(बी) सदा की भांति इस वर्ष भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन तथा उनकी देख-रेख की :

(१) ज्वाइन्ट सर्विसेज विंग परीक्षा, जून, १९५५।

(२) मिलिट्री विंग तथा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, जून, १९५५।

(३) इन्डियन नेवी परीक्षा, जुलाई, १९५५।

(४) परिगणित जातियों/ट्राइब्स के लिये असिस्टेन्ट्स ग्रेड परीक्षा, जुलाई, १९५५।

(५) इन्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इत्यादि परीक्षा, १९५५।

(६) असिस्टेन्ट्स ग्रेड परीक्षा, नवम्बर, १९५५।

(७) आर्मी मेडिकल कोर परीक्षा, दिसम्बर, १९५५।

(८) इन्डियन नेवी परीक्षा, दिसम्बर, १९५५।

(९) इन्जीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा, दिसम्बर, १९५५।

(१०) नेशनल डिफेन्स ऐकेडेमी परीक्षा, जनवरी, १९५६।

(११) मिलिटरी कालेज परीक्षा, जनवरी, १९५६।

६--अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही--(अ) शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी, जिसने विद्यालयों के उपनिरीक्षक के पदों के लिए आवेदन-पत्र भर कर भेजा था, साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा नहीं चुना गया था। इस पर उसने आयोग के अध्यक्ष के पास एक तार और दो पत्र भेजे जिनमें उसने आयोग के कार्यालय के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा में झूठा आक्षेप किया था। उसके इस अशोभनीय व्यवहार की रिपोर्ट अतिरिक्त शिक्षा संचालक के पास भेजी गयी, जिस पर अभ्यर्थी को कड़ी चेतावनी दी गई और उसे दूसरे जिले को स्थानान्तरित कर दिया गया। उसकी चरित्रावली में एक प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी गई।

(ब) एक अभ्यर्थी के बारे में, जिसकी सिफारिश आयोग ने सहकारी निरीक्षक के पदके लिये की थी, ऐसा पता लगा कि उसने इस तथ्य को छिपाया था कि वह उत्तर प्रदेश के महांकिक के कार्यालय में नौकर था। जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ २६ पर वर्णित है, उत्तर प्रदेशीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से कहा गया कि वह उसको निलम्बित कर दें और उसके विरुद्ध आयोग को धोखा देने के आरोप लगाये जायं। तदनुसार वह निलम्बित कर दिया गया था और अब वह पदच्युत कर दिया गया है।

७--आयोग को दी गई विशेष सहायता--आयोग शासन तथा अन्य नियुक्ति अधिकारियों का कृतज्ञ है कि उन्होंने साक्षात्कार के समय उनके सहायतार्थ प्राविधिक परामर्शदाताओं की प्रतिनियुक्ति की। वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये विभागीय अफसरों तथा गैर सरकारी परामर्शदाताओं का भी उनके बहुमूल्य परामर्शों के लिये कृतज्ञ है।

२०--सामान्य कथ्य तथा निष्कर्षीय वक्तव्य

कार्य में वृद्धि--स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा कल्याण राज्य की स्थापना हो जाने से इस राज्य के कार्य-कलाप बढ़ गये हैं। इन बढ़े हुये कार्य-कलापों के लिये अतिरिक्त कर्मचारिगण चाहिये, विशेषतः उस विकास कार्य के लिये, जिसका वर्णन पंचवर्षीय योजनाओं में दिया हुआ है। इसका तात्पर्य है बहुत बड़ी संख्या में पदों का सृजन और उस के परिणाम में आयोग के कार्यभार में नितान्त वृद्धि। आयोग को भारतीय संविधान की धारा ३२० के अधीन उन सब मामलों में परामर्श देना पड़ता है, जिनका सम्बन्ध असैनिक सेवाओं तथा पदों से है, उदाहरणार्थ भर्ती के ढंग, नियुक्ति करते समय पालन किये जाने वाले सिद्धान्त, पदोन्नतियां, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण, नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों की उपयोगिता, असैनिक कर्मचारियों से संबंधित आनुशासिक मामले, अपने पदीय कर्त्तव्यों को करते हुये घायल हो जाने वाले लोगों को तथा कोई ऐसा कर्त्तव्य करते हुये, जिसमें पद का जोखिम है, अपना प्राण खोने वालों के परिवारों को असाधारण पेन्शन और असैनिक कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वाह करते समय किये गये कार्यों से उत्पन्न वादों में अपनी पैरवी करने में किये गये वैध व्ययों के लौटाने के दावे। निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का कार्य किस सीमा तक बढ़ गया है :

विवरण	गत पांच वर्ष अर्थात् १९५०-५१ से १९५४-५५ तक का वार्षिक औसत	१९५५-५६ अर्थात् इस वर्ष के वास्तविक आंकड़े
१	२	३
१--प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा केवल साक्षात्कार द्वारा भर्त्ती के संबंध में निबटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	१२,६११	१३,७१२
२--चुने हुए तथा संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या ..	१,०१८	१,५१०
३--जिनके संबन्ध में इस वर्ष चुनाव पूरे न किये जा सके, अर्थात् जो आगामी वर्ष के लिये छोड़ दिये गये उनके लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	३,०७३	१२,०८०

विवरण	गत पांच वर्ष अर्थात् १९५०–५१ से १९५४–५५ तक का वार्षिक औसत	१९५५–५६ अर्थात् इस वर्ष के वास्तविक आंकड़े
१	२	३
४—उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके मामलों पर बिना विज्ञापन द्वारा अर्थात् पदोन्नत अथवा स्थानान्तरण द्वारा भर्त्ती के पुष्टिकरण के और अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के संबंध में विचार किया गया था	१,७६१	२,७१८

उपर्युक्त आंकड़े इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि आयोग तथा उनके कर्मचारिवर्ग की संख्या में समुचित वृद्धि कितनी आवश्यक है। आयोग शासन का कृतज्ञ है कि उन्होंने दिसम्बर, १९५५ से एक चौथा सदस्य और जनवरी, १९५७ से एक पांचवां सदस्य बढ़ाकर उसकी शक्ति में वृद्धि की। आयोग के कार्यालय के कर्मचारियों की वृद्धि का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही यह वृद्धि पर्याप्त मात्रा में की जावेगी।

२—परीक्षा भवन एवं कार्यालय स्थान—आयोग शासन का इसलिये भी कृतज्ञ है कि उन्होंने इलाहाबाद में उसके लिये अभी हाल में एक परीक्षा भवन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु अभी तक आयोग तथा उसके कर्मचारिवर्ग के कार्यालय के स्थान के निमित्त ठोस रूप से कुछ भी नहीं किया गया है। नित्य प्रति यह समस्या अधिकाधिक जटिल होती जा रही है और अब जितना शीघ्र सम्भव हो सके, आयोग तथा उसके कार्यालय के बढ़ने के लिये स्थान ढूंढना आवश्यक हो गया है।

३—नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अस्थायी नियुक्ति संबंधी व्यवस्था का दुरुपयोग—उत्तर प्रदेशीय लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन संबंधी १९५४ के विनियमों के विनियम ५(क) और ६ (ग) के उपबन्ध, जो नियुक्ति प्राधिकारियों को ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार देते हैं जिनके चलते रहने की सम्भावना एक वर्ष से अधिक न हो, उसी समय उपयोग में लाये जाने के लिये हैं, जब नियुक्तियां या तो बिल्कुल अल्पावधि के लिये हों या जब वास्तविक आकस्मिक आपत्ति की अवस्था हो, जिसको पहिले से देखा न जा सकता हो। किन्तु इन विनियमों की आड़ में ऐसे मामलों में बिना आयोग के परामर्श के नियुक्ति कर देने की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, जिनमें पहले से भर्त्ती का अनुमान लग सकता है और जिनमें आयोग के द्वारा भर्त्ती नियमित रूप से की जा सकती है। प्रशासन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और जनता के मस्तिष्क में सन्देह पैदा हो जाता है, क्योंकि एक ओर तो बिना आयोग के परामर्श से नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा किये हुए चुनाव द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सेवा की सुरक्षा नहीं मिलती, दूसरी ओर अन्य पात्र अभ्यर्थी, बहुधा अपेक्षाकृत अच्छी अर्हताओं वाले, ऐसा सन्देह करना प्रारम्भ कर देते हैं कि अस्थायी रूप से नियुक्त किया हुआ पदधारी कहीं विभागीय सहायता से अंतिम रूप से चुन न लिया जाय। इसके अतिरिक्त जब आयोग द्वारा यथाविधि चुनाव होता है, तब यदि स्थानापन्न पदधारी चुनाव में नहीं आते, तो उन्हें हटाना पड़ता है और जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था, वह सब व्यर्थ हो जाता है।

आयोग के सुझाव पर शासन ने कृपा करके दिनांक ११ अगस्त, १९५५ को सब नियुक्ति प्राधिकारियों को एक प्रपत्र, जिसका संकेत अध्याय ९ के पैरा ४ में किया गया है, जारी किया था कि जैसे ही वे कोई अस्थायी नियुक्ति करें, वैसे ही उस नियुक्ति आज्ञा की एक प्रतिलिपि आयोग के पास भेज दें ताकि ऐसी नियुक्तियों की अवधि की जांच की जा सके। यह

वांछनीय है कि अस्थायी नियुक्तियां करते समय उपरिनिर्देशित विनियम ५ (क) और ६(ग) के सही अर्थ निर्णय एवं दिनांक ११ अगस्त, १९५५ का प्रपत्र बराबर नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में रहे।

४—आयोग को विधिक परामर्शदाता को मनोनीत करने के लिये प्राधिकृत करने की आवश्यकता—शासन द्वारा मनोनीत किये गये प्राविधिक परामर्शदाताओं और अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों ने आयोग को बहुमूल्य सहायता प्रदान की है, फिर भी चूंकि उनमें से अधिकांश का लगाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्थायी पदधारियों से, जो पदाभिलाषी भी होते हैं, रहता है, अन्य पदाभिलाषियों के मन में ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि इस प्रकार मनोनीत परामर्शदाताओं के मन में चेतन व अचेतन रूप से प्रतिकूल प्रभाव के कारण पांसा सम्भवतः पदधारियों के पक्ष में पड़ रहा है। यह दोष प्राविधिक परामर्शदाताओं का नहीं है, वरन् पद्धति का है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आयोग को विभागीय प्राविधिक परामर्शदाताओं के अतिरिक्त अपनी इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र प्राविधिक परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का अधिकार है। जिसके फलस्वरूप आयोग अपना निर्णय लेने के पूर्व विभागीय तथा अविभागीय दोनों प्रकार के परामर्शदाताओं के विचारों का लाभ उठा लेता है। यह आशा की जाती है कि शासन सहर्ष हमारे इस सुझाव से सहमत होंगे कि हम भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करें, जिस प्रक्रिया से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में काम होता है।

५—प्राविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों की दुर्लभता कैसे मिटाई जाय—आयोग वर्ष प्रतिवर्ष इस बात की अभिवेदना करता आ रहा है कि प्राविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों की कमी है। इस वर्ष भी आयोग को निम्नलिखित पदों के लिये सुयोग्य अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में न मिल सके :—

१—आर्कीटेक्ट्स।

२—इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स।

३—मिकेनिकल इन्जीनियर्स।

४—ग्लास टेकनोलाजिस्ट।

५—एक्जामिनर सिल्क गुड्स।

६—मेडिकल कालेजों के लिये ऐनेटामी में लेक्चरर तथा रीडर।

७—चिकित्सालयों के लिये एनेस्थेटिस्ट् स।

८—वेटेरीनेरी साइन्स के कालेज के लिये ऐनेटामी का प्रोफेसर।

९—वेटेरीनेरी साइन्स के कालेज के लिये बेक्टिरियोलाजी के सहायक प्रोफेसर।

१०—आटोमोबाइल इन्स्ट्रक्टर।

११—इलेक्ट्रिकल ओवरसियर।

१२—सिविल ओवरसियर।

१३—मशीन ड्राइंग के लेक्चरर।

१४—उद्योगों के विशेषज्ञ।

१५—रिसर्च आफिसर (फैटीग)।

१६—[illegible] इनफैक्शस एजेन्ट (जलजनित) के रिसर्च आफिसर।

इनके अतिरिक्त कुछ पद और हैं जो परिशिष्ट ३ में दिये हुए हैं। जैसा कि अध्याय ६ के पैरा ४ में उल्लेख है, आयोग ने इस कठिनाई को पार करने के लिए, ताकि कार्य न रुके, कुछ साधनों का सुझाव दिया है। परन्तु इन उपचारों से कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा।

स्थायी हल तो इसमें है कि छोटी अवस्था में ही ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थियों को पकड़ा जाय, जिनका विद्यार्थी जीवन अच्छा रहा है और उन्हीं को इन पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण दिया जावे। बहुधा अनुभव की अनिवार्य योग्यता एक बाधा बन जाती है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग तुरन्त अच्छे पद पा जाते हैं और स्वभावतः अनुभव के पश्चात् दूसरे पदों के निमित्त उनको छोड़ना नहीं चाहते। अस्तु, जिनके पास अनुभव होता है, उनकी विद्यार्थी जीवन संबंधी अर्हतायें हीनतर होती हैं और उनके पास वह बौद्धिक प्रतिभा भी नहीं होती, जिसमें गुप्त शक्तियां निहित रहती हैं, जिनकी ऊंचे पदों के लिये नितान्त आवश्यकता रहती है। यदि प्रतिभासम्पन्न शैक्षिक अर्हता वाले प्रशिक्षणार्थियों को चुना जाय और तब उन्हें प्रशिक्षण एवं अनुभव सम्पन्न कराया जाय तो उनके द्वारा सुन्दर प्रविधिक सेवाओं की नींव पड़ेगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० एवं फारेन सर्विस में शैक्षिक प्रतिभा पर, जिसकी परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा में हो जाती है, और वैयक्तिक गुणों पर, जिसकी जांच साक्षात्कार में हो जाती है, आधारित चुनाव के पश्चात् प्रशिक्षण से एक अच्छा समुदाय तैयार होता है।

६—<u>उपसंहार</u>—आयोग को यह देख कर बड़ा सन्तोष है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन के विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा प्रदत्त परामर्श भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्यमन्त्री के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं कि जो मामले उनकी नोटिस में लाये गये, उन पर उन्होंने शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की।

राम नरेश लाल,
सचिव।

परिशिष्ट १

आयोग द्वारा १९५५-५६ वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूची

१—परीक्षा द्वारा चुनाव:—

(१) ली गई परीक्षाओं की संख्या ११
(२) प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या ५,५९५
(३) परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा प्रदत्त अभ्यर्थियों की संख्या ... ४,८१६
(४) वास्तविक परीक्षार्थियों की संख्या ... ४,०१३
(५) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या ... ९५७
(६) चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या ... ५१७

२—विज्ञापनोपरान्त चुनाव द्वारा भर्ती:—

(१) प्रसारित विज्ञापनों की संख्या .. २९८
(२) विज्ञापित पदों की संख्या जिनके लिये भर्ती
वर्ष के अन्तर्गत की जा चुकी थी .. ८६८

वर्ष के अन्तर्गत नहीं की जा सकी .. १,१६२

(३) आवेदन-पत्रों की संख्या जिनके सम्बन्ध में भर्ती
वर्ष के अन्तर्गत की जा चुकी थी ... ८,११८

वर्ष के अन्तर्गत नहीं की जा चुकी थी ... १२,०८०

(४) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या ... २,१७६
(५) चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या ... ९९३

३—विविध—

(१) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचार किया गया:—

(१) बिना विज्ञापन के भर्ती ... ३३१
(२) पदोन्नति ... १,०[illegible]
(३) अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण ... ९९४
(४) स्थानान्तरण द्वारा भर्ती .. ३
(५) पुष्टिकरण .. ३७१

(२) विलीनीकृत राज्यों के कर्मचारियों की संख्या जिनका राजकीय सेवाओं में अन्तर्निधान के निमित्त विचार किया गया ... १९
(३) निबटाये गये पुनरावेदन एवं अनुशासनात्मक मामले .. ६१
(४) निबटाये गये असाधारण पेन्शन एवं/अथवा उपदान के मामले .. ३५
(५) निबटाये गये वैध व्ययों के मामले ... ७
(६) सेवा नियमों तथा उनके संशोधन, जिनपर विचार किया गया ... ४०
(७) अन्य आवश्यक विविध निर्देश ... ५६

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त-आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१	उत्तर प्रदेश सिविल (एक्जि-क्यूटिव) तथा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवायें, १९५४)	१६	१,३१७	१,०१२	७७४	१ से ४, ६,७, ९ से ११, १३ से १८ और २० से २२, दिसम्बर, १९५४	१—अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद २—सिनेट हाल, इला-हाबाद
२	कलेक्शन नायब तहसीलदार (सीजनल), १९५४	१९०	४०६	३९६	३८७	१४ से १५ फरवरी, १९५५	सिनेट हाल, इलाहाबाद

२

सन् १९५५-५६

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
१—श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	२२, २५, २६, २८, २९ जुलाई और १, २, ४, ५, ८, ९ और ११ अगस्त, १९५५	श्री ए० जे० खां, आई० पी० एस० डिप्टी इन्स्पेक्टर जेनरल आफ पुलिस प्रधान केन्द्र, इलाहाबाद	१४२	३८	यद्यपि केवल १६ रिक्तियां थीं तथापि अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस प्रकार की गई : (१) पी० सी० एस० २० (२) पी० पी० एस० १५ (३) सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ३ ३८
२—डा० आई०डी० केलब, सहायक रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय					
श्री एम० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश	३, ४, ५, ७, ९, १० से १४, १९५६		२७६	१५३	

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त-आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
३	नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ माल अधिशासी सेवा, १९५४	२८	२,३७५	३,०९५	२,३८३	२५ और २६ फरवरी, १९५५	१--अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद २--सिनेट हाल, इलाहाबाद ३--राजकीय इंटर कालेज, इलाहाबाद ४--सी० ए० वी० कालेज, इलाहाबाद ५--लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ ६--डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ
४	कलेक्शन नायब तहसीलदार, १९५४	१५२	२,०७७				

२

सन् १९५५–५६ (क्रमशः)

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री एम० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश			३६२	२७ १३२	कलेक्शन नायब तहसीलदारों की ५१ रिक्तियां, जो परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के लिये रक्षित थीं, किन्तु जो मद संख्या २ और ४ में पृथक् २ विभक्त नहीं थीं, इन दोनों संख्याओं में सम्मिलित हैं।
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					
श्री एस० के० शोम, प्रिंसिपल राजकीय इन्टर कालेज, इलाहाबाद					
श्री पी० एन० घोषाल, प्रिंसिपल, सी० ए० वी० कालेज, इलाहाबाद	२५, २७, ३०, ३१ जनवरी, १, ६–१०, १३–१५, १७–२०, २१ और २४ फरवरी, १९५६				
डा० सी० एम० ठाकोर, प्रिंसिपल, लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ					
श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ					

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त-आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
५	उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा, १९५४	२२	३२५	२९६	२६१	२५ और २६ मार्च, १९५५	अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद
६	अध्यक्ष के हिन्दी आशुलिपिक, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	१	५	५	५	२६ और २७ मई, १९५५	कार्यालय, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद
७	कानूनगो, १९५५	५०	८९४	७८७	६१७	४ से ६ अगस्त, १९५५	१—अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद २—सिनेट हाल, इलाहाबाद
८	आबकारी निरीक्षक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा, १९५५	४२	५५८	३९६	२८९	१६ से १८ अगस्त, १९५५	सिनेट हाल, इलाहाबाद

२

सन् १९५५-५६ (क्रमशः)

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	१६ से १९ और २२ अगस्त, १९५५	श्री के० पी० माथुर रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, इलाहाबाद	६२	२५	तीन अतिरिक्त अभ्यर्थी नियुक्त किये गये।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०					नियुक्ति के लिये कोई भी अर्ह न पाया गया।
तदव	१७ से २१ अक्तूबर, १९५५		८५	५०	२० और २२ अक्तूबर, १९५५ को ८ मील चलने की परीक्षा ली गई।
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					व्यक्तित्व परीक्षा आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत नहीं ली जा सकी।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त-आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
९	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ स्थानीय कोष अंकेक्षण सेवा, १९५५ में सहायक अंकेक्षक, १९५५	१६	१४७	१३१	९७	२५ से २७ अगस्त, १९५५	अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
१०	वरिष्ठ वन-सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९५६-५९	२	६५	५३	४५	१७ से २१ अक्तूबर, १९५५	तदेव
११	उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, १९५५	५०	८८७	८३३	७४७	१७ से १९ नवम्बर, १९५५	(१) तदेव (२) डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ

२

सन् १९५५-५६ (क्रमशः)

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	२० और २१ फरवरी, १९५६	...	३०	१६	६ अतिरिक्त अभ्यर्थी नियुक्त किये गये ।
तदेव	...	...	...		व्यक्तित्व परीक्षा आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत नहीं ली जा सकी ।
श्री एम० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश				४३	रिक्तियां:— (अ) बाहरी अभ्यर्थियों के के लिये २६ (ब) विभागीय अभ्यर्थियों के लिये २४ योग .. ५०
श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ					

परिशिष्ट
परीक्षा द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
३२	उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, १९५५	३६	६६६	५९१	४८२	२१ से २४ नवम्बर, १९५५	१––अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
३३	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायक (विभागीय अभ्यर्थियों के निमित्त)	१	२२	२१	२०	तदेव	२––डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ
२४	फारेस्ट रेंजर्स कोर्स, १९५६–१९५८	३	१३९	१२४	१०२	१२ से १४ दिसम्बर, १९५५	अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद

२

सन् १९५५-५६ (क्रमशः)

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	...	..	३२	रिक्तियाँ:— (अ) बाहरी अभ्यर्थियों के लिये २४ (ब) विभागीय अभ्यर्थियों के लिये १२ योग .. ३६
श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ	..	..	.	१	
श्री एम० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	.	...		आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत व्यक्तित्व परीक्षा नहीं ली जा सकी।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१५	निम्नांकित सम्मिलित परीक्षायें---						
	(१) उत्तर प्रदेश सिविल एक्जिक्यूटिव सेवा	२०	१,४८७	१,२१९	१,०३८	१५ से १७, १९ से २४, २६ से ३० दिसम्बर, १९५५ तथा २ से ६ जनवरी, १९५६	१---अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
	(२) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	८					
	(३) उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा, १९५५	६					२---गर्ल्स हाई स्कूल, एल्गिन रोड, इलाहाबाद ३---सिनेट हाल, इलाहाबाद
१६	उत्तर प्रदेश पंचायत अंकेक्षण संगठन में अंकेक्षक, १९५५	१६५	३००	२६१	२०७	२३ से २५ जनवरी, १९५६	अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
१७	निम्नांकित सम्मिलित परीक्षायें---						
	(१) उत्तर प्रदेश सिविल (न्यायिक) सेवा	३५	४२५	३९५	३६४	२३ से २५ फरवरी, १९५६	सिनेट हाल, इलाहाबाद
	(२) उत्तर प्रदेश न्याय अधिकारी सेवा	१०					
		४४५*	५,५९५*	४,८१६*	४,०१३*		

*---स्तम्भ संख्यायें ३ से ६ के योगों में इन्हीं स्तम्भों के सामने मद संख्यायें १ से ५ वर्ष १९५४-५५ से ली गई थीं।

२

सन् १९५५-५६ (समाप्त)

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश डा० आई० डी० कैलब, सहायक रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय					आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत व्यक्तित्व परीक्षा नहीं ली जा सकी।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					तदेव
श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					तदेव
			९५७	५१७	

में अंकित संख्यायें सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध उन परीक्षाओं से है, जो इसके पूर्ववर्ती

परिशि

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्का किये ग अभ्यर्थिय की संख
१	२	३	४	५	६
१	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, में जिला गन्ना अधिकारी	३	६५	१०	१०
२	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, में सहायक आर्कीटैक्ट	१	३	१	०
३	सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	४	३९२	३५	३१
४	सहायक उद्योग संचालक (सेरीकल्चर), उत्तर प्रदेश	१	८	५	४
५	टेक्सटाइल औपरेशन्स विशेषज्ञ तथा टाइम स्टडी अधिकारी	१	२	२	२
६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में कृषि के सहायक अध्यापक	२४	८५	६०	५३

३

१९५५-५६

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
४	४ अप्रैल, १९५५	श्री आर० एस० चिश्ती, आई० ए० एस०, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश	केवल १ रिक्ति विज्ञापित की गई थी, किन्तु बाद में यह संख्या बढ़ा कर ३ कर दी गई।
०	तदेव	श्री लोकनाथ तिवारी, आर्कीटैक्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	कोई उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्य न था।
७	६ और ७ अप्रैल, १९५५	...	...
१	१२ अप्रैल, १९५५	डा० यू० एस० शर्मा, कीट विद्या (एन्टामोलोजी) के प्राध्यापक, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	चुने गये अभ्यर्थी के विषय में कुछ तथ्यों से अवगत किये जाने पर आयोग शासन से सहमत हुये कि उसे पद पर नियुक्त करना युक्तिसंगत नहीं होगा, अतः उन्होंने द्वितीय मनोनीत अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये संस्तुति की।
१	तदेव	श्री ओ० एन० मिश्रा, आई० ए० एस०, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
३४	१३, १४ और १५ अप्रैल, १९५५	...	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
७	सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवर-सियर्स (भवन एवं मार्ग) शाखा	१००	३४९	२८८	२४६
८	श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक	४	७३	१६	१६
९	आर्थोपीडिक्स में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	७	५	४
१०	शिशु रोगों में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	५	५	३
११	उद्योग संचालक के वैयक्तिक सहायक, उत्तर प्रदेश	१	२१	६	६
१२	वन विभाग के लिये सांख्यिकी अधिकारी, उत्तर प्रदेश	१	१७	७	५

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१६१	१३ से १५, १८ से २२, २५ और २६ अप्रल, १९५५	श्री पी० एस० भटनागर, अधीक्षकीय अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	—
५	१८ अप्रैल, १९५५	श्री एस० पी० पाण्डेय, श्रम उपायुक्त, उत्तर प्रदेश	केवल १ रिक्ति विज्ञापित की गई, किन्तु बाद में यह संख्या ४ तक बढ़ा दी गई।
२	१९ अप्रैल, १९५५	डा० जे० पी० गुप्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	—
२	तदेव	तदेव	—
२	२० अप्रैल, १९५५	—	—
२	२३ अप्रैल, १९५५	श्री एस० के० सेठ, सिल्वीकल्चरिस्ट, उत्तर प्रदेश, नैनीताल	

परिशि

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्का किये ग अभ्यर्थि की संख्या
१	२	३	४	५	६
१३	सहायक अध्यापक, राजकीय प्रविधिक संस्था लखनऊ	१	०	०	०
१४	द्वितीय सहायक अध्यापक, राजकीय प्रविधिक संस्था, झांसी	१	२	२	१
१५	सहायक अध्यापक, राजकीय पाली-टेक्निक, गाजीपुर	१	१	१	१
१६	गन्ना विकास विभाग में अंकेक्षक	३	१६	[illegible]	[illegible]
१७	पशु-विज्ञान एवं पशु-चिकित्सा महा-विद्यालय, उत्तर प्रदेश, मथुरा के लिये अन्वेषण सहायक	२	७	५	
१८	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के लिये सर्विस मैनेजर	१	१०	६	४
१९	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के लिये सहायक सर्विस मैनेजर	१	६	३	३

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य–र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
०	०	०	कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला।
१	२५ अप्रैल, १९५५	श्री बी० एस० त्यागी, प्रिंसिपल, राजकीय प्रविधिक संस्था, लखनऊ	–
१	तदेव	तदेव	यह सूचना मिलने पर कि विज्ञापित पद अब रिक्त नहीं था, आयोग ने इस अभ्यर्थी को द्वितोय अध्यापक, राजकीय प्रविधिक संस्था, गोरख–पुर के समान पद पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया।
५	तदेव	–	–
२	२५ अप्रैल, १९५५	डा० अरोबिन्द राय, दैहिकी (फिजिआलाजी) के प्राध्यापक, पशु–चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	–
२	२६ अप्रैल, १९५५	श्री एम० एम० गुप्ता, परिवहन उप–आयुक्त (कारखाना), उत्तर प्रदेश	–
१	तदेव	तदेव	–

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
२०	सहायक ग्रुप अभियन्ता (बाडी निर्माण उप-विभाग), रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर	१	३	३	२
२१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में उर्दू के सहायक अध्यापक	४	५०	२०	१७
२२	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) महिला शाखा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों के लिये महिला प्रिंसिपल	९*	१३४*	५८*	५५*

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य–र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	तदेव	तदेव	–
६	२७ अप्रैल, १९५५	–	–
१२*	२८ और २९ अप्रैल, तथा १२ मई, १९५५	कुमारी के० डी० खन्ना, शिक्षा की सहायक संचालिका महिला, उत्तर प्रदेश	*ये संख्यायें इस विवरण के योग में नहीं सम्मिलित की गई हैं क्योंकि ये सन् १९५४–५५ के प्रतिवेदन के परिशिष्ट ३ में इस कारण सम्मिलित की जा चुकी थीं कि इन पदों के लिये साक्षात्कार १३ से १५ दिसम्बर, १९५४ को भी किया जा चुका था।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
२३	उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेन्ट कारखाना, चुर्क, मिर्जापुर के लिये विद्युत् अभियन्ता	१	१४	६	५
२४	सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के नलकूप वृत्तों में विद्युत् एवं यान्त्रिकी पर्यवेक्षक	५०	१०३	९२	८३
२५	दन्त चिकित्सा में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	२	२	२
२६	आर्कीओलोजिकल सहायक, संचालक राजकीय संग्रहालय, लखनऊ के अधीन वास्तु विभाग में	१	८	५	३
२७	सिंचाई विभाग में फोरमैन, उत्तर प्रदेश	१२	४१	३०	२९

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य–र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
०	२ मई, १९५५	श्री एच० सिफ्ट, सामान्य प्रबंधक, राजकीय सीमेन्ट कारखाना, चुर्क, मिर्जापुर	कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। शासन को यह सुझाव दिया गया कि वे व्यक्ति–गत लिखा–पढ़ी द्वारा एक उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध कर लेने का प्रयास करे और तदनन्तर उसकी उपयुक्तता के विषय में आयोग की सम्मति लें।
६६	१६ से १९, २१ और ३० मई, १९५५	श्री बी० एस० माथुर, अधीक्षकीय अभियन्ता, रिहन्द बांध, निर्माण वृत्त, इलाहाबाद	–
२	२६ मई, १९५५ (नैनी–ताल में)	डा० सी० पी० टंडन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अति–रिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	–
१	तदेव	श्री एम० एम० नागर, संचालक, राजकीय संग्रहालय, लखनऊ	–
१२	२६, २७ और ३० मई, १९५५	श्री बी० एस० बिश्ट, अधीक्षकीय अभियन्ता, बुन्देलखंड वृत्त, इलाहाबाद	केवल ५ रिक्तियां विज्ञा-पित की गयीं, लेकिन बाद में यह संख्या १२ तक बढ़ा दी गयी।

परिशिष्ट ३

चुनाव द्वारा भर्ती, १९५५-

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२८	कृषि अभियन्त्रणा उपवृत्त, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक कृषि अभियन्ता (रिस)	१	८	७	५	२
२९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा स्नातक श्रेणी में फारसी के सहायक अध्यापक	१३	४९	३०	२६	१५
३०	विद्यालयों के उप-निरीक्षक	१०	९३५	८७	७७	१५
३१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी के सहायक अध्यापक	७	२५७	५२	४५	११
३२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संस्कृत के सहायक अध्यापक	२	४४	९	७	३
३३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिए भौतिकी शास्त्र (फिजिक्स) के जूनियर लेक्चरर	१	२७	१३	११	२
३४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिए रसायन शास्त्र के जूनियर लेक्चरर।	१	३४	११	५	२

-५६ (क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
८	९	१०
२७ मई, १९५५ (नैनीताल में)	श्री बी० एस० माथुर, अधीक्षकीय अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	–
३०, ३१ मई और १६ जून, १९५५	श्री शब्बीर अहमद खां गोरी, अरबी मदरसों के निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	–
३१ मई और १ से ४ जून, १९५५ (नैनीताल में)	...	–
६, ७, ८, ९, १०, १३ और २२ जून, १९५५ (नैनीताल में)		–
१३ जून और १४ जून, १९५५ (नैनीताल में)	श्री डी० डी० पन्त, भौतिकी शास्त्र के प्राध्यापक, डी० एस० बी०, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	–

परिशिष्

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
३५	महिला आवास के लिए महिला उप-जेलर, लखनऊ	१	१२	७	७
३६	सूचना के सहायक संचालक	३	५६	२०	१६
३७	राजकीय चर्मकारी विद्यालय, कानपुर के लिए ड्राइंग मास्टर	१	१	१	१
३८	प्रचार अधिकारी, उद्योग अधिकार वर्ग, उत्तर प्रदेश के हैन्डलूम विकास योजना में	१	९	७	६
३९	कारखाना अधीक्षक, राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर	१	६	४	४

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	१६ जून, १९५५ ...	श्री जे० एन० उग्रा, कारावास के इन्सपेक्टर जेनरल, उत्तर प्रदेश	चुने गए अभ्यर्थी ने वर्ष के अन्त तक पद भार नहीं ग्रहण किया।
६	१६ और १७ जून, १९५५ (नैनीताल में)	शासन के सचिव, उत्तर प्रदेश, सूचना विभाग	३ रिक्तियां विज्ञापित की गई, किन्तु बाद में यह प्रस्तावित हुआ कि केवल १ रिक्ति सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाय और २ पदोन्नति द्वारा। तदनुसार केवल १ अभ्यर्थी नियुक्त किया गया। प्रस्तावित पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों के विषय में आयोग ने कुछ सूचना मांगी है, जिसकी प्रतीक्षा है।
१	७ जुलाई, १९५५ ...	श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	...
२	तदेव ...	तदेव ...	...
१	तदेव ...	तदेव ...	...

परिशि

चुनाव द्वारा भ

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात् किये अभ्यर्थि की सं
१	२	३	४	५	६
४०	वैश्लेषिक यान्त्रिकी (थेओरेटिकल मेकेनिक्स) में लेक्चरर, राजकीय प्रविधिक संस्था, गोरखपुर	१	६	३	३
४१	वाइस प्रिन्सिपल, राजकीय केन्द्रीय काष्ठ-शिल्प संस्था, बरेली	१	८	५	५
४२	कारखाना अधीक्षक, राजकीय पोलीटेक्निक, झांसी, उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में	१	४	३	३
४३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक श्रेणी) में हिन्दी के सहायक अध्यापक	५१	७८२	१७०	१५४
४४	संस्कृत के प्राध्यापक, डी० एस० बी० राजकीय डिग्री महा-विद्यालय, नैनीताल	१	१६	८	८
४५	अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सांख्यिक	१	२३	९	८
४६	प्रिन्सिपल, राजकीय प्रविधिक संस्था, झांसी	१	१२	९	८
४७	प्रिन्सिपल, राजकीय पोलीटेक्निक, जौनपुर	१	१०	८	७
४८	कृषि सूचना-शाला के लिए प्रविधिक अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	१	५	५	५
४९	आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि के राजकीय औषधालय, लखनऊ के लिये सहायक प्रबन्धक, लखनऊ	१	१३	४	४

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य-थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	८ जुलाई, १९५५	डा० कृपा शंकर, उद्योग के सहायक संचालक (शिक्षा), उ० प्र०	...
१	तदेव	तदेव	...
१	तदेव	तदेव	...
६९	११ से १५ और १८ से २१ जुलाई, १९५५	श्री आर० बी० शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद	...
२	२३ जुलाई, १९५५	प्रोफेसर के० ए० एस० ऐयर, डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय	...
२	२३ अगस्त, १९५५	श्री जे० के० पांडे, एकोनामिक इन्टेलिजेन्स एवं स्टैटिस्टिक्स के संचालक, उत्तर प्रदेश	...
१	२४ अगस्त, १९५५	श्री एम० समीउद्दीन, आई० ए० एस०, उद्योग के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	...
१	तदेव	तदेव	...
२	२५ अगस्त, १९५५	श्री एम० जी० शोम, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश	...
२	२६ अगस्त, १९५५	श्री डी० ए० कुलकर्णी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (आयुर्वेद) के उपसंचालक, उत्तर प्रदेश	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
५०	संक्रामक गर्भस्राव (ब्रसिलौसिस) जांच योजना के लिए अन्वेषण अधिकारी	१	२	२	२
५१	संक्रामक गर्भस्राव (ब्रसिलौसिस) योजना के लिए अन्वेषण जांच सहायक	२	३	३	१
५२	ग्लास टेक्नालाजिस्ट, उत्तर प्रदेश शासन	१	१०	५	५

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
— १	२६ अगस्त, १९५५	श्री पी० जी० पांडे, प्रिन्सिपल, उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा एवं पशु-पालन के सहायक आयुक्त, भारत सरकार	अन्वेषणाधिकारी के पद के लिए दोनों अभ्यर्थियों में से कोई भी उपयुक्त नहीं समझा गया। अन्वेषण सहायकों के दो पदों के संबंध में केवल एक अभ्यर्थी उपस्थित हुआ और संस्तुत किया गया। अन्वेषणाधिकारी का पद पुनर्विज्ञापित किया गया, देखिए निम्नांकित मद सं० १५४।
—	१ सितम्बर, १९५५	श्री जी० एस० शा, सामान्य प्रबन्धक, विभूति ग्लास वर्क्स लिमिटेड, बनारस	इस पद का विदेशों में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा और भारत में इस आयोग द्वारा काफी विस्तृत विज्ञापन किया गया तथापि कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल सका। तीन अभ्यर्थियों के मामले स्थगित रहे। देखिए परिशिष्ट ३ (अ) की मद संख्या १।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
५३	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के दक्षता उपविभाग में अन्वेषणाधिकारी (श्रान्ति) (फैटिग)	१	९	६	५
५४	सहायक यान्त्रिक अभियन्ता, सिंचाई विभाग	१४	९३	५६	४५
५५	कुटीरोद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में हैन्डलूम विकास योजना के लिए टेक्सटाइल निरीक्षक	४	२२	१७	१३
५६	वाणिज्य अभियात्री, कुटीरोद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में हैण्डलूम विकास योजना के अन्तर्गत	६	१८	१५	१३
५७	प्रभारी अधिकारी, स्तनकोप अन्वेषण योजना (मैस्टाइटिस इन्वेस्टिगेशन स्कीम), उत्तर प्रदेश	१	६	५	३
५८	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी सहायक	२	४८	१६	१३

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
–	२ सितम्बर, १९५५	श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस०, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया।
१७*	५ से ९ सितम्बर, १९५५	श्री बी० एन० खत्री, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश	*इन १७ अभ्यर्थियों में से १ का नाम, उसके मामले में कुछ अभाव का पता लगने पर, निकाल दिया गया।
५	१२ और १३ सितम्बर, १९५५	श्री जे० सी० सेठ, प्रिन्सिपल, राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बनारस	
३		तदैव	शेष तीन पदों के लिए एक नया विज्ञापन प्रसारित किया गया।
२	१४ सितम्बर, १९५५	(१) श्री पी० जी० पांडे, प्रिन्सिपल, उत्तर प्रदेश पशुविज्ञान चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	...
		(२) श्री आर० एन० मोहन, सहायक पशु-पालन आयुक्त, भारत शासन	...
४	१५ सितम्बर, १९५५	श्री एस० एस० ऐयर, मुख्य सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि विभाग	...

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
५९	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (कर्मचारी राज्य बीमा) के उप संचालक, उत्तर प्रदेश	१	९	५	४
६०	उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्तागण	२७	६०	४२	३४
६१	उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में सहायक अभियन्ता, जल-विद्युत् शाखा	२६	१३६	९४	७८
६२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक श्रेणी) में सहायक अध्यापक (विज्ञान)	१०	२०३	५५	५१
६३	शरीर (एनाटामी) के प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा	१	६	४	३

३

१९५५--५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविविक्त परामर्शदाता का नाम यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
२	१६ सितम्बर, १९५५	कर्नल ए० एन० चोपड़ा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संचालक, उत्तर प्रदेश	...
२७	१९ से २१ सितम्बर, १९५५	श्री बी० एन० खत्री, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	इनमें से १० रिक्तियां परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के लिये रक्षित थीं, किन्तु उनमें से किसी ने भी आवेदन-पत्र नहीं भेजा। एक अभ्यर्थी के विषय में, जिसको शासन निर्धारित प्रशिक्षण के बन्धन से मुक्ति देने के लिए उद्यत न थे, बाद में उसकी संस्तुति को लौटा लिया गया। नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा है।
३४	२२, २३ और २६ से ३० सितम्बर, १९५५	श्री एन० चक्रवर्ती, मुख्य अभियन्ता, विद्युत् विभाग, उत्तर प्रदेश	...
१४	३ से ५ अक्तूबर, १९५५	...	...
...	६ अक्तूबर, १९५५	श्री पी० जी० पांडे, प्रिन्सिपल, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
६४	राजकीय चर्मकारी विद्यालय, कानपुर के लिये पर्यवेक्षक	१	१	१	१
६५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में जीवशास्त्र के सहायक अध्यापक	२०	१०८	७१	६३
६६	प्रधान अध्यापक, राजकीय पाली-टेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल)	१	२१	६	६
६७	संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में	१	२८	१२	१२
६८	मुख्य निरीक्षक, ब्वायलर्स, उत्तर प्रदेश	१	१०	६	६
६९	प्रोबेशन अधिकारीगण	८	३६०	३८	३१
७०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में सिरेमिक्स के सहायक अध्यापक	२	१२	११	१०
७१	कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन के लिए प्राविधिक सहायक	२	५	२	२

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य-र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	६ अक्तूबर, १९५५	श्री के० एल० म्योर, प्रिन्सिपल, राजकीय कर्मचारी विद्यालय, कानपुर	...
२६	११ से १४ अक्तूबर, १९५५	...	...
२	२७ अक्तूबर, १९५५	डा० कृपा शंकर, सहायक संचालक उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश	...
२	२८ अक्तूबर, १९५५	प्रो० के० ए० एस० ऐयर, डीन, फैकल्टी आफ आर्ट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय	प्रविधिक परामर्श-दाता उपस्थित न हो सके।
१	३१ अक्तूबर, १९५५	प्रो० एम० सेन गुप्ता, प्रिन्सिपल, अभियन्त्रण महाविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	संस्तुत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता द्वारा निवृत्त नहीं किया गया।
११	७ से ९ नवम्बर, १९५५	डा० ए० एस० राज, कारागार के उप-इन्स्पेक्टर जेनरल, उत्तर प्रदेश	केवल ५ रिक्तियां विज्ञापित हुयीं, किन्तु बाद में यह संख्या ८ तक बढ़ा दी गई।
३	१० नवम्बर, १९५५	...	...
२	तदेव ...	श्री के० सी० गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक, कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन, कानपुर	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
७२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में वाणिज्य के सहायक अध्यापक	२	९६	१५	१२
७३	पशु अजीवाणुता योजना (कैटिल स्टेराइलिटी स्कीम) में अन्वेषण सहायक, उत्तर प्रदेश	२	२	२	२
७४	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिए कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में रेतस का अध्ययन करने के लिए अन्वेषणाधिकारी	१	२	२	२
७५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में अंग्रेजी के सहायक अध्यापक	७	२८७	६४	५६
७६	उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी मार्किंग योजना में परीक्षक (बनारस सिल्क वस्तु)	१	२	२	१
७७	प्लास्टिक सर्जरी विभाग, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिए विशेष एनेड्स्थिटिस्ट	१	५	३	१

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
४	१२ नवम्बर, १९५५	...	...
२	२ दिसम्बर, १९५५	श्री पी० जी० पांडे, संचालक, पशु–पालन, उत्तर प्रदेश	...
१	तदेव	तदेव	...
१०	५ से ८ दिसम्बर, १९५५	...	...
...	७ दिसम्बर, १९५५	श्री एम० सनैउद्दीन, अतिरिक्त संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश	साक्षात्कारित एकमात्र अभ्यर्थी अनुपयुक्त पाया गया। यह सुझाव दिया गया कि उद्योग संचालक निजी पत्र–व्यवहार द्वारा एक अभ्यर्थी ढूंढ़ लेवें और आयोग से परामर्श लेकर उसे नियुक्त कर लें।
१	१३ दिसम्बर, १९५५	डा० पी० डी० श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश	...

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
७८	एनेइस्थेटिस्ट्स, एक राजकीय अस्पताल, इलाहाबाद के लिए और एक किंग एडवर्ड सप्तम् आरोग्यशाला, भुवाली, नैनीताल के लिए	२	५	५	३
७९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक श्रेणी) में इतिहास के सहायक अध्यापक	७	२३०	४६	३९
८०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक श्रेणी) में भूगोल के सहायक अध्यापक	७	१६७	५९	५३
८१	प्रधानाध्यापक, राजकीय बधिर एवं मूक विद्यालय, बरेली	१	१२	७	७
८२	संचालक, सैनिक शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश	१	२४	९	९
८३	सहायक संचालक, सैनिक शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश	१	१३	४	४

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	१३ दिसम्बर, १९५५	डा० पी० डी० श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश	नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा है। एक रिक्ति के लिए कोई भी अभ्यर्थी न मिला।
९	१४ से १६ दिसम्बर, १९५५	...	...
१०	१९ से २२ दिसम्बर, १९५५	...	...
२	२३ दिसम्बर, १९५५	श्रीमती ई० खां, प्रिन्सिपल, वधिर एवं मूक विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ	...
२	२६ दिसम्बर, १९५५	(१) श्री सी० एन० चक शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश	...
		(२) इलाहाबाद क्षेत्र के ब्रिगेडियर के० सिंह	...
१	२७ दिसम्बर, १९५५	तदेव	चूंकि संस्तुत अभ्यर्थी के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं और यह भी कि सैनिक शिक्षा की योजना का पुनस्संगठन होने वाला था, कोई भी नियुक्ति नहीं की गई और पद को स्थगित कर दिया गया।

परिशिष्ट

,चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
८४	राजकीय काष्ठ-शिल्प संस्था, इलाहाबाद के लिए कैबिनेट इन्स्ट्रक्टर	१	१३	९	८
८५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका	७	४३	२२	१६
८६	सहायक उत्पादन फोरमैन (यन्त्रशाला) राजकीय सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ	१	३	२	२
८७	उत्पादन सहायक फोरमैन (उपकरण एवं एकत्रीकरण शाला), राजकीय सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ	१	५	३	३
८८	फोरमैन निरीक्षण, राजकीय सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ	१	८	४	३
८९	अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में एकोनामिक इन्टेलिजेन्स निरीक्षक	१३	१४८	९०	५७
९०	प्रभारी अधिकारी, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय विकास योजना, उत्तर प्रदेश	१	५	५	४

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
२	३ जनवरी, १९५६	श्री बी० एस० त्यागी, प्रिन्सिपल, राजकीय प्रविधिक संस्था, गोरखपुर	...
१२	४ और ५ जनवरी, १९५६ और १२ अप्रैल, १९५६	(१) कुमारी के० डी० खन्ना, शिक्षा (महिला) की सहायक संचालिका, उत्तर प्रदेश, ४ और ५ जनवरी को, और	...
		(२) कुमारी आई० डी० बोनीफिशस, बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका, इलाहाबाद, १२ अप्रैल, १९५६ को	...
१	६ जनवरी, १९५६	श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रणा विभाग, उत्तर प्रदेश	...
१	तदेव	तदेव	...
१	तदेव	तदेव	..
२१	९ से १३ जनवरी, १९५६	...	...
२	१० जनवरी, १९५६	श्री जी० सी० जुनेजा, पशुपालन के उप-संचालक, उत्तर प्रदेश	.

परिशि

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
९१	उच्च प्रकार की कटलरी, कृषि उपकरण एवं लघु यन्त्रों के पुर्जों के निर्माण के हेतु, मेरठ में एक निर्माणशाला स्थापित करने के लिए विद्युत् एवं यान्त्रिकी अभियन्ता	१	४	३	२
९२	पाइलट वर्कशाप, बकेवर (इटावा) तथा कुर्वार के लिए ज्येष्ठ निदेशक (सीनियर इंस्ट्रक्टर्स)	२	२	२	२
९३	राजकीय देशीय चिकित्सालयों, उत्तर प्रदेश के लिए हकीम	१०	५४	४४	४१
९४	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिए शारीर में रीडर	१	४	४	४
९५	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिए रेडियोलाजी में लेक्चरर	१	४	२	२
९६	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिए भैषजिकी (फार्मेकालाजी) में लेक्चरर	१	१	१	१

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य-थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
...	१० जनवरी, १९५६	श्री आर० के० बसु, मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर	कोई भी उपयुक्त नहीं समझा गया।
१	तदेव ...	श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेश	कुर्वार वाले पद के विज्ञापन के लिये अवियाचन बकेदर वाले पद के विज्ञापन के प्रसारोपरान्त प्राप्त होने के फलस्वरूप इस पद के विज्ञापित न किये जा सकने के कारण कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका।
१५	११ से १३ जनवरी, १९५६	शिफाउलमुल्क हकीम अहमद उस्मानी, इलाहाबाद	...
... २ १	१६ और १८ जनवरी, १९५६	डा० के० एम० लाल संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश	दो अभ्यर्थियों पर विचार उनकी अनुपस्थिति में किया गया तथा कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी इस पद के लिए न मिल सका।

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
९७	चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिए शारीर (एनाटामी) में रीडर	१	४	४	४*
९८	चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिए दैहिकी (फीजिआलोजी) में रीडर	१	७	६	४*
९९	चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिए शारीर (एनाटामी) में लेक्चरर	२	५*	...	...
१००	चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिये दैहिकी (फीजिआलोजी) में लेक्चरर	२	२	२	२
१०१	अधीक्षक, क्षयरोग आरोग्यशाला, डाक पठार, देहरादून	१	३	३	२
१०२	आब्स्टेट्रिक्स एवं गायन कालाजी में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा	१	६	५	५
१०३	नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश के संगठन में अधिशासी अभियन्ता (नगर नियोजन)	१	५	४	३
१०४	नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश के संगठन में वास्तु नियोजक	१	२	२	२
१०५	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिए हिन्दी में ज्येष्ठ व्याख्याता (लेक्चरर)	१	११	९	७
१०६	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिए इतिहास में ज्येष्ठ व्याख्याता	१	७	३	२

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य-र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१*			*दो अभ्यर्थियों पर, उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१	१६ से १८ जनवरी, १९५६	डा० के० एम० लाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, उत्तर प्रदेश	*एक अभ्यर्थी पर, उसकी अनुपस्थिति में, विचार किया गया।
...			*कोई भी पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला।
२*			
१	१७ जनवरी, १९५६	तदेव	...
२	१८ जनवरी, १९५६	तदेव	...
१	१९ जनवरी, १९५६	श्री के० एन० मिश्र, नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश	...
१	तदेव	तदेव	...
२	२५ जनवरी, १९५६	...	...
१	तदेव	...	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१०७	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिए अंग्रेजी में ज्येष्ठ व्याख्याता	१	८	६	३
१०८	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये राजनीति में ज्येष्ठ व्याख्याता	१	१४	९	६
१०९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा ग्रेजुएट ग्रेड में कला एवं शिल्प के सहायक अध्यापक	८	७६	४२	३८
११०	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिए वृषभ आदि के रेतस के संरक्षणार्थ योजना के अन्तर्गत अन्वेषण सहायक	१	४	४	१
१११	उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेन्ट कारखाना, चुर्क, जिला मिर्जापुर के लिए मुख्य रासायनिक	१	७	४	४
११२	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिए भूगोल में ज्येष्ठ व्याख्याता (लेक्चरर)	१	११	८	६

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य-र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
२	२७ जनवरी, १९५६	...	..
२	तदेव	...	...
१२	३०, ३१ जनवरी और १ फरवरी, १९५६	...	...
१	६ फरवरी, १९५६	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रिन्सिपल, उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	...
२	तदेव	श्री एच० स्विफ्ट, सामान्य प्रबन्धक राजकीय सीमेन्ट कारखाना, चुर्क	...
२	७ फरवरी, १९५६	...	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
११३	राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बरेली के लिए ड्राइंग मास्टर	१			
११४	पंडित जनार्दन जोशी राजकीय पोलीटेक्निक, अल्मोड़ा के लिए ड्राइंग मास्टर	१	९	७	४
११५	राजकीय काष्ठ-शिल्प संस्था, इलाहाबाद के लिए ड्राइंग मास्टर	१			
११६	राजकीय पोलीटेक्निक, देहरादून के लिए ड्राइंग मास्टर	१			
११७	राजकीय केन्द्रीय काष्ठ-शिल्प संस्था, बरेली के लिए सहायक ड्राइंग मास्टर	१	१०	८	४
११८	राजकीय काष्ठ-शिल्प संस्था, इलाहाबाद के लिए सहायक ड्राइंग मास्टर	१			
११९	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के लिए शाकाण्विकी (बैक्टीरियोलोजी) के सहायक प्राध्यापक	१	७	३	२
१२०	सरोजिनी नायडू चिकित्सालय, आगरा के रेडियोथेरापी विभाग में भौतिकीविद् (फीजिसिस्ट)	१	४	४	३

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१			
१	१३ फरवरी, १९५६	श्री पी० बी० कुरुप, प्रिन्सिपल, राजकीय केन्द्रीय काष्ठ-शिल्प संस्था, बरेली	अभ्यर्थियों के अभाव को दृष्टि में रखते हुए, चुने गये अभ्यर्थियों में से कुछ को शैक्षिक योग्यता से मुक्ति के लिए संस्तुत किया गया।
१			
१*			*एक परिगणित जाति का अभ्यर्थी, जिसने सहायक ड्राइंग मास्टर के एक पद के लिए आवेदन-पत्र भेजा था।
१			
१			
..	१४ फरवरी, १९५६	श्री पी० जी० पांडे, संचालक, पशु-पालन, उत्तर प्रदेश	कोई भी उपयुक्त न समझा गया।
२	तदेव	डा० एस० एन० चैटर्जी, सिविल सर्जन, इलाहाबाद	...

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१२१	प्रिन्सिपल का उन्नयनित पद, राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल संस्था, कानपुर	१	५	५	३*
१२२	राजकीय सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ के लिए चार्जमैन स्टोर्स	१	२	१	१
१२३	उत्तर प्रदेश ब्वायलर्स एवं कारखाना निरीक्षकों की द्वितीय श्रेणी की सेवा में कारखानों के उप-मुख्य निरीक्षक	१	९	४	४
१२४	राजकीय सूक्ष्म यन्त्र कारखाना, लखनऊ के लिए सहायक अभियन्ता	१	१६	५	५

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य–र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	१५ फरवरी, १९५६	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	विज्ञापनानुसार किसी के द्वारा आवेदन-पत्र न मिलने पर चुनाव उद्योग संचालक के निजी पत्रव्यवहार द्वारा ५ उपलब्ध अभ्य–र्थियों में से किया गया। *इनमें से २ अभ्यर्थियों पर विचार उनकी अनुपस्थिति में किया गया।
१	१७ फरवरी, १९५६	श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रणा विभाग, उत्तर प्रदेश	...
२	तदेव	तदेव	...
२	तदेव	तदेव	...

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१२५	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश में ग्राम्य जीवन वैश्लेषिक के ज्येष्ठ सहचर	१	७	४	४
१२६	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश में ग्राम्य जीवन वैश्लेषिक के कनिष्ठ सहचर	१	११	४	४
१२७	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग के विशेषज्ञ	१	१४	६	५
१२८	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग विशेषज्ञ के कनिष्ठ सहचर	१	२५	९	५

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	२२ फरवरी, १९५६	श्री डी० पी० सिंह, संचालक, नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश	पद का विज्ञापन ५०० से १,२०० रु० के वेतनक्रम में किया गया था, किन्तु उपलब्ध अभ्यर्थी के पास सीमित अनुभव होने के कारण आयोग ने उसकी नियुक्ति की संस्तुति २५० से ८५० रु० के वेतनक्रम में ५०० रु० के अग्रिम वेतन सहित की।
२	तदेव	तदेव	...
...	२३ फरवरी, १९५६	तदेव	...
१	२४ फरवरी, १९५६	तदेव	...

परिशि

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१२९	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था में अल्प वयस्क वर्ग में विस्तृत कार्य (युवक कार्य) के लिए विशेषज्ञ के ज्येष्ठ सहचर	१	११	४	४
१३०	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश में अल्प वयस्क वर्ग में विस्तृत कार्य (युवक कार्य) के लिए विशेषज्ञ के कनिष्ठ सहचर	१	१७	१२	११
१३१	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी	१	८	४	४
१३२	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पशु चिकित्सा सेवा में पशु सहायक चिकित्सक	५०	१७	१७	१६

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य–र्थियों की संख्या।	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	२७ फरवरी, १९५६	श्री डी० पी० सिंह, संचालक, नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश	इस पद का विज्ञापन ५०० से १,२०० रु० के वेतनक्रम में किया गया था, किन्तु उपलब्ध अभ्यर्थी के पास सीमित अनुभव होने के कारण आयोग ने उसकी नियुक्ति की संस्तुति २५० रु० ८५० रु० के वेतनक्रम में ४०० रु० के प्रारम्भिक वेतन सहित की।
२	तदेव	तदेव	...
२	२८ फरवरी, १९५६	तदेव	...
१६	तदेव	श्री एच० सी० जोशी, पशु–पालन के उप–संचालक, उत्तर प्रदेश	संस्तुत किए गए १६ अभ्यर्थियों में से केवल १५ ने पदभार ग्रहण किया। शेष ३५ रिक्तियों के लिये कोई भी अभ्यर्थी न मिला।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१३३	नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी	३	३२	९	९
१३४	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रम अधिकारी (संख्या)	१	१९	८	८

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
४	२८ फरवरी, १९५६	श्री डी० पी० सिंह, संचालक, नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश	मुख्य सूची के ३ अभ्यर्थियों में से २ नियुक्त किए गए। तीसरा अभ्यर्थी इसलिये उपलब्ध न था कि जिस विभाग में वह कार्य कर रहा था वहां से निवृत्त नहीं किया गया। आयोग द्वारा संस्तुत, रक्षित सूची में (चौथे) अभ्यर्थी को उपेक्षित करके शासन ने एक दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्त करना वांछनीय समझा। आयोग ने उसकी नियुक्ति को विशुद्ध अस्थायी आधार पर मान लिया और पद को पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया।
२	२९ फरवरी, १९५६	डा० बी० राममूर्ति, संयुक्त संचालक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली	...

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१३५	अधीनस्थ जन-स्वास्थ्य सेवा (प्रथम श्रेणी) में चिकित्सा अधिकारी	३७	६	३	१
१३६	राजकीय मृत्तिका भांड विकास केन्द्र, चुनार के लिए प्रविधिक सहायक	१	३	३	३
१३७	परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर्स एवं कम्प्यूटर	३	४	४	२
१३८	हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल संस्था, कानपुर के लिए औद्योगिक अर्थशास्त्र में व्याख्याता (लेक्चरर)	१	९	५	२
१३९	उद्योग अधिकार वर्ग, उत्तर प्रदेश में हैंन्डलूम उद्योग के सहायक संचालक	१	१०	८	८

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१	२९ फरवरी, १९५६	डा० पी० डी० श्रीवास्तव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	इन पदों के लिये उत्सुक उपयुक्त पदाभिलाषियों के अभाव में आयोग ने संस्तुत किया कि एक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के निवेश के साथ इसका वेतन–क्रम ३००––६०० रु० कर दिया जाय ।
२	तदेव	श्री बी० बी० भाटिया, सहायक ग्लास टेक्नोलोजिस्ट, उत्तर प्रदेश शासन	...
३*	तदेव	अधीक्षकीय अभियन्ता, पंचम वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इलाहाबाद	*एक, जिस पर, उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया, सम्मिलित है ।
...	१ मार्च, १९५६	श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेश	कोई भी उपयुक्त नहीं समझा गया ।
१	तदेव	तदेव	...

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१४०	सहकारी दुग्ध प्रदाय योजना में अधीनस्थ सहकारी सेवा के प्रथम ग्रूप में निरीक्षक	६	३२	२२	१६
१४१	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश में मुद्रण अभियन्ता	१	५	५	२
१४२	फलोपयोगिता के संचालक वर्ग, उत्तर प्रदेश में फल-संरक्षण एवं वपनीयन (कैनिंग) सहित प्रशिक्षण संस्था के लिये मुख्य रासायनिक	१	१०	५	४
१४३	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में एलेक्ट्रिशियन	१	६	३	३

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
७	१ और २ मार्च, १९५६	श्री एन० के० भार्गव, (डेयरी) गव्यशाला विकास अधिकारी, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	चुने गए ३ अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता से मुक्ति के लिए संस्तुत किया गया।
[illegible]	२ मार्च, १९५६	श्री एम० जी० शोम, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश	...
२	२ मार्च, १९५६	श्री वी० साने, संचालक, फल-उपयोगिता, उत्तर प्रदेश	...
१	५ मार्च, १९५६	श्री जी० सी० मुकर्जी, अधीक्षकीय अभियन्ता, रिहैन्ड जल विद्युत् वृत्त, इलाहाबाद	...

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१४४	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में विद्युत् एवं यान्त्रिकी अधीक्षक	४	६	४	..
१४५	उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं की सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम), सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	३०	३८	१५	११
१४६	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर के लिये ग्रूप इंजीनियर द्वितीय	१	७	१	१
१४७	मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर	१	२	२	२
१४८	मत्स्य के उप-संचालक, उत्तर प्रदेश	१	३	३	३

२

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य-र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
...	५ मार्च, १९५६	श्री एच० जी० वर्मा, अधीक्षकीय अभियन्ता (नियोजन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	चूंकि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न था, आयोग ने मुख्य अभियन्ता को सूचित किया कि उनके निजी पत्र-व्यवहार द्वारा इन पदों के हेतु चुनाव कर लेने एवं आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर लेने पर, उन्हें कोई आपत्ति न होगी।
११	तदेव	श्री एम० एस० बिष्ट, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	...
१	६ मार्च, १९५६	श्री एम० एम० गुप्ता, परिवहन उपायुक्त (कारखाना), उत्तर प्रदेश	इसके पूर्व कि चुनाव किया जा सके, इस पद को, अनुभव की अवधि घटाकर, पुनर्विज्ञापित किया गया।
१	तदेव	श्री जगदीश प्रसाद, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
१	तदेव	श्री एच० बी० शाही, पशुपालन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	..

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१४९	अधीनस्थ सहकारी सेवा के द्वितीय ग्रूप में सहकारी निरीक्षक	१२०	१,६०१	३९३	२४३
१५०	रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर के लिये आटोमोबाइल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इन्स्ट्रक्टर (निदेशक)	१	३	...	...
१५१	शासन के विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, के कार्यालय म विद्युत् ओवरसियर	१	..	...	...
	रिहन्द बांध संगठन में आर्कीटैक्ट	१	४	...	..

३

१९५५–५६ (क्रमशः)

चुनेगये अभ्य–थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
१५७	७ से ९, १२, १४ से १७ और १९ से २३ मार्च, १९५६	श्री एन० एस० माथुर, अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	केवल ४५ रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं, किन्तु बाद में यह संख्या बढ़ाकर १२० कर दी गई।
...	...	...	तीनों में से कोई भी पात्र न था। आयोग ने उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के लिये एक निवेश करके, इसको पुनः विज्ञापित करने का सुझाव दिया।
...	...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। एक अभ्यर्थी, जिसने शासन के विद्युत् निरीक्षक के पास सीधे आवेदन-पत्र भेजा था, आयोग के अनुमोदन से नियुक्त किया गया।
...	...	...	कोई भी आवेदक अपने नियोक्ताओं द्वारा निवृत्त नहीं किया गया और इस प्रकार न किसी का साक्षात्कार ही हुआ और न संस्तुति ही भेजी जा सकी।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१५३	क्षयरोग चिकित्सालय, फिरोजाबाद के लिये एनेईस्थेटिस्ट	१	..	..	..
१५४	सांसर्गिक गर्भस्राव (ब्रसिलौसिस) अन्वेषण योजना, उत्तर प्रदेश के लिये अन्वेषणाधिकारी	१	४	..	...
१५५	हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल संस्था, कानपुर के लिये मैशीन ड्राइंग में व्याख्याता (लेक्चरर)	१	२	..	..

३

१९९५–९६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्य–र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
...	...	...	किसी ने भी आवेदन-पत्र नहीं भेजा । आयोग ने एक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने के निदेश के साथ इस पद को पुनः विज्ञापित करने का सुझाव दिया ।
...	...	...	कोई भी पात्र न पाया गया । यह सुझाव दिया गया कि योग्यताओं और वेतन में उपयुक्त संशोधनों के उपरान्त इस पद को पुनर्विज्ञापित किया जाय । उपर्युक्त मद संख्या ५० को भी देखिये ।
...	...	...	कोई भी अर्ह नहीं पाया गया । आयोग ने सुझाव दिया कि अनुभव की अवधि को घटा देने के उपरान्त पद का पुनर्विज्ञापन हो । पद पुनर्विज्ञापित किया गया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१५६	हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल संस्था, कानपुर के लिये रासायनिक अभियन्त्रणा उप-विभाग के प्रधान	१	३	..	..
१५७	हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल संस्था, कानपुर के लिये कारखाना अधीक्षक	१	१२	..	..
१५८	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में विद्युत् ओवरसियर	१	..	..	..
१५९	उद्योग संचालक वर्ग, उत्तर प्रदेश के अधीन चर्म-योजना के अन्तर्गत प्रविधिक सहायक, चर्म-संस्कार (टैनिंग)	१	१	..	..
१६०	परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेश में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रविधिक)	१०	१९	..	..

३

१९५५-५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
...	...	...	चूंकि प्रत्यक्षतः उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों की संख्या अपर्याप्त थी, आयोग ने निर्धारित अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करके पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया ।
...	...	...	
...	...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा । मुख्य अभियन्ता को सलाह दी गई कि वे एक कार्य-निर्वाहक नियुक्त कर लें और संशोधित अर्हताओं सहित इस पद को पुर्नविज्ञापित करने के लिये एक आलेख्य विज्ञापन भेजें ।
...	...	...	एकमात्र आवेदक उपयुक्त नहीं पाया गया ।
...	...	...	कोई भी उपयुक्त नहीं समझा गया, क्योंकि वे सभी अनर्ह थे ।

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती,

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१६१	नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक संस्था, उत्तर प्रदेश के लिये ग्राम्य जीवन वैश्लेषिक	१	१	..	..
१६२	सहायक अध्यापक, राजकीय पोलीटेक्निक, गाजीपुर	१	१	..	..
१६३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिये आब्स्टेट्रिक्स एवं गायनेकालाजी के प्राध्यापक	१	२	..	..
१६४	चर्म-योजना के अन्तर्गत सिविल ओवरसियर	३	२	..	..

३
१९५५–५६ (क्रमशः)

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
...		...	एकमात्र आवेदक अपात्र था।
१	...	...	एकमात्र आवेदक पूर्व ही एक समान पद के निमित्त साक्षात्कार किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा चुना जा चुका था। अतः वह बिना साक्षात्कार किये ही नियुक्ति के लिये संस्तुत कर दिया गया।
१	...	...	इन दो आवेदकों में से केवल एक अर्ह था। चूंकि वह पहले ही तीन बार विभिन्न पदों के सम्बन्ध में आयोग के सम्मुख आ चुका था, उसको पुनः साक्षात्कार के लिये बुलाना उचित नहीं समझा गया। उसे उपयुक्त समझा गया और बिना साक्षात्कार किये ही नियुक्ति के लिये संस्तुत किया गया।
...	...	...	कोई भी पात्र नहीं पाया गया। यह सुझाव दिया गया कि इन पदों पर भर्ती निजी पत्र-व्यवहार द्वारा आयोग से सम्मति लेकर की जाय

परिशि

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१६५	सचिव, उत्तर प्रदेश सोल्जर्स, सेलर्स एवं एयरमेन्स बोर्ड, लखनऊ	१	६	...	...
१६६	अधीनस्थ कृषि-सेवा के द्वितीय ग्रुप में, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिये भवन ओवरसियर	१	..	..	..
१६७	विकास अधिकारी, लघु अभियन्त्रणा उद्योग, उद्योग अधिकार, कानपुर, उत्तर प्रदेश	१	४	..	..
१६८	डिजाइनर (हैन्डलूम), राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था, वाराणसी	१	१	...	...
	योग ...	८६८*	८,११८*	२,६७६*	२,१७६*

*मद संख्या २२ में दी गई संख्यायें नहीं सम्मिलित हैं।

३
१९५५-५६ (समाप्त)

चुने गये अभ्य-र्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	विवरण
७	८	९	१०
...	...	...	निर्धारित ३५ से ४५ वर्ष की आयु-सीमान्तर्गत कोई भी उपलब्ध न था। तब शासन के अनुरोध पर ५० वर्ष के उच्चतम वयवन्धन के साथ इस पद का पुर्नविज्ञापन किया गया।
...	...	...	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। कृषि संचालक को सलाह दी गई कि वे एक अर्ह अभ्यर्थी निजी पत्र-व्यवहार द्वारा प्राप्त कर लें और उसकी नियुक्ति के लिये आयोग की सम्मति ले लें।
...	...	...	चूंकि चार आवेदकों में से तीन अल्पायु थे, अतः यह निश्चित हुआ कि पद पुर्नविज्ञापन निम्न-तम आयु-बन्धन को शिथिल करने के निवेश के साथ किया जाय।
१	...	...	...

परिशिष्ट ३ (अ)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१	उत्तर प्रदेश शासन के ग्लास टेक्नोलाजिस्ट ...	१*	३
२	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में इतिहास की सहायक अध्यापिका	६	९०
३	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में जीवशास्त्र-सहित विज्ञान की सहायक अध्यापिका	१६	६
४	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में मौन्टेसरी प्रशिक्षित सहायक अध्यापिका	१	३
५	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में उर्दू के लिये सहायक अध्यापिका	१	११
६	नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में इतिहास के सहायक प्राध्यापक	२	२०
७	नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए प्राणिशास्त्र के सहायक प्राध्यापक	२	१४
८	नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए गणित के सहायक प्राध्यापक	१	१५
९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा, उत्तर प्रदेश में रसायन-शास्त्र के अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक	११	१२६
१०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा, उत्तर प्रदेश में भूगोल के अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक	२	७९
११	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा, उत्तर प्रदेश में वाणिज्य के अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक	१	५५
१२	हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल संस्था, कानपुर में यान्त्रिक अभियन्त्रणा के लिए सहायक प्राध्यापक	१	२

*इस पद के लिये ५ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार १ सितम्बर, १९५५ को भी किया गया था, देखिये परिशिष्ट ३ की क्रम-संख्या ५२।

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१३	द्रव्यगुण एवं रस शास्त्र में डिमान्स्ट्रेटर ...	१	७
१४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा–सेवा में हिन्दी के लिए सहायक अध्यापिका	४	१६[illegible]
१५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा–सेवा में अर्थ शास्त्र के लिए सहायक अध्यापिका	१	५४
१६	चर्म–प्रौद्योगिकी में ज्येष्ठ प्रविधिक सहायक (चर्म–संस्करण)	५	१२
१७	उद्भिद् प्रजनन (प्लान्ट ब्रीडिंग) में लेक्चरर ...	१	१०
१८	ज्येष्ठ औद्यानिकी (हार्टीकल्चर) निरीक्षक ...	१	२३
१९	कनिष्ठ अन्वेषण सहायक (औद्भिदीय) बोटेनिकल	५	१५
२०	औद्यानिकी निरीक्षक ...	५	२२
२१	द्वितीय ग्रूप में अधीनस्थ कृषि–सेवा के सहायक लेक्चरर (२)	१	६
२२	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के रिसर्च स्टेशन में सहायक केमिस्ट	२	११
२३	पावर हाउस इन्चार्ज, राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर और पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर, राजकीय प्रविधिक संस्था, गोरखपुर	२	६
२४	उत्तर प्रदेश शिक्षा–सेवा के ज्येष्ठ वेतनक्रम में अर्थ–शास्त्र के प्राध्यापक	१	१३
२५	सहायक सर्विस मैनेजर, राजकीय रोडवेज, उत्तर प्रदेश	३	२१
२६	हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल संस्था, कानपुर के लिये रासायनिक अभियन्त्रणा में लेक्चरर	१	१

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
२७	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश में उप-अधीक्षक	१	१२
२८	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अधीक्षक	२	८
२९	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक गन्ना विकास अधिकारी	१४	१७४
३०	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में जूनियर एग्रानामिकल सहायक	७	४६
३१	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ रासायनिक सहायक	२	१८
३२	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में स्वायल सर्वे तथा स्वायल वर्क में ज्येष्ठ अन्वेषण सहायक	१	१
३३	बी॰ सी॰ जी॰ टीका योजना में क्षेत्र संगठनकर्त्ता, उत्तर प्रदेश	१	३
३४	श्रम विभाग में ज्येष्ठ सांख्यिकीय सहायक तथा सांख्यिकीय अधीक्षक, उत्तर प्रदेश	२	३०
३५	अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक सांख्यिक	२	१६
३६	सहायक संचालक	१	७*
३७	रिसर्च केमिस्ट (टैनिंग)	१	४*
३८	उद्योग के क्षेत्रीय अधीक्षक (टैनिंग एवं चर्म) ...	३	१०*
३९	प्रबन्धक (प्रविधिक) ...	१	८*

*चर्म संस्करण उद्योग के विकास एवं आगरा में फुटवेयर के लिये पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना की योजनाओं के सम्बन्ध में।

परिशिष्ट ३ (अ)--(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
४०	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा (स्नातक ग्रेड) महिला शाखा में भूगोल अध्यापिका	१०	२५
४१	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा (स्नातक ग्रेड) में विज्ञान (गणित-सहित) अध्यापिका	१	२
४२	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा (स्नातक ग्रेड) में अर्थशास्त्र अध्यापिका	५	९८
४३	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए भूगोल के सहायक प्राध्यापक	२	१५
४४	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक	१	५
४५	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए बौटनी के सहायक प्राध्यापक	१	७
४६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में भौतिकी शास्त्र के लिए सहायक अध्यापक	८	९७
४७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में अर्थशास्त्र के लिये सहायक अध्यापक	२	१०९
४८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में मनोविज्ञान के लिए सहायक अध्यापक	१	२१
४९	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के लिए प्रिन्सिपल-सहित-अधीक्षक	१	७
५०	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के लिए कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	१	२४

परिशिष्ट ३ (अ)--(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
१	२	३	४
५१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) में सहायक मनो-वैज्ञानिक	१०	४३
५२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में इतिहास के लिए सहायक अध्यापिका	८	४०
५३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अंग्रेजी के लिए सहायक अध्यापिका	१६	९
५४	उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन यान्त्रिकी ओवर-सियर (चर्म-योजना)	३	३
५५	औद्यानिकी उपचारों के कार्यवाहक अधिकारी, राजकीय फल उद्यान, भरसार (पौड़ी-गढ़वाल)	१	६४
५६	फलोपयोगिता के संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन पौड़ी-गढ़वाल के पर्वतीय भाग के लिए विस्तार सेवा-अधिकारी	१	१५
५७	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में विद्यालय प्रति उप निरीक्षक	४१	१,५०५
५८	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में बौटनी के लेक्चरर	१	१२
५९	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप के लिए सीनियर एग्रा-नामिकल सहायक	२	५१
६०	अधीनस्थ कृषि सेवा में कनिष्ठ उद्भिद् संरक्षण सहायक (कीटविद्या)	७	२७
६१	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ अन्वेषण सहायक (फीजिआलोजी)	२	८
६२	अधीनस्थ कृषि सेवा में कनिष्ठ अन्वेषण सहायक (कीटविद्या)	१	५

परिशिष्ट ३ (अ)--(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
	२	३	४
६३	राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिए विद्युत् अभियन्त्रणा में लेक्चरर	१	३
६४	राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिए प्रशासनिक संगठन में लेक्चरर	१	५
६५	राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिए वर्कशाप चार्जमैन	२	७
६६	राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिए उच्च स्तर के लौह कर्मकार	१	...
६७	वाइस प्रिन्सिपल, राजकीय प्रविधिक संस्था, लखनऊ	१	९
६८	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के रिहन्द बांध संगठन में सहायक भौतिकीविद्	१	११
६९	आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश में निषेध एवं समाज उन्नयन अधिकारी	१	१३६
७०	प्रिन्सिपल, सी० एम० एस० राजकीय पोलीटेक्निक, मेरठ	१	७
७१	सूचना अधिकार, उत्तर प्रदेश में फोटो साउन्ड अभियन्ता	१	१
७२	सामग्री क्रय उप-विभाग के लिए उद्योग के सहायक संचालक (अभियन्ता) सूचना अधिकार, उत्तर प्रदेश	१	८
७३	अंग्रेजी के प्राध्यापक, नैनीताल या ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालय	१	१२
७४	हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल संस्था, कानपुर के लिए मशीन ड्राइंग में लेक्चरर	१	१

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		४
७५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में मिस्त्री ...	१२	५३
७६	अधीनस्थ शिक्षा-सेवा (स्नातक ग्रेड) में हिन्दी के लिए सहायक अध्यापिका	१२	१९५
७७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) में नागरिक शास्त्र के लिए सहायक अध्यापिका	४	६९
७८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) में संस्कृत के लिए सहायक अध्यापिका	१०	२८
७९	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक	२	२३
८०	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए संस्कृत के सहायक प्राध्यापक	१	१३
८१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अंग्रेजी के लिए सहायक अध्यापक	५	१०१
८२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जीवशास्त्र के लिए सहायक अध्यापक	१	३२
८३	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के लिए काया-चिकित्सा में रीडर	१	११
८४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संपरीक्षीय एवं शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए सहायक अध्यापिकायें	१०	६६
८५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संस्कृत के लिए सहायक अध्यापिकायें	२	१६
८६	गन्ना विकास विभाग में अंकेक्षक ...	५	५३

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
८७	अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रूप प्रथम में ज्येष्ठ कपास विकास निरीक्षक	२	२३
८८	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ उद्भिद् संरक्षण सहायक (यन्त्रीय)	१	६
८९	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ उद्भिद् संरक्षण सहायक (कवक शास्त्र) (माइकालाजी)	३	११
९०	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में सहायक लेक्चरर (१)	२	११
९१	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ अन्वेषण सहायक (कवक शास्त्र)	१	२
९२	कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिशासी शाखा में उप जेलर	१५	४८५
९३	ज्यौतिषीय सहायक, राजकीय वेधशाला, उत्तर प्रदेश, वाराणसी	१	३
९४	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में कृत्यक वैश्लेषिक (जाब अनालिस्ट) एवं लेखापाल	१	३
९५	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में सीनियर टाइम स्टडी हैन्ड्स	५	१९
९६	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में परीक्षण एवं नियन्त्रण पर्यवेक्षक	८	८
९७	उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश के सामुदायिक प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत उत्पादन के अधीक्षक	६	५६
९८	उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश के सामुदायिक प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत उत्पादन के सहायक अधीक्षक	२०	८५

परिशिष्ट ३ (अ)--(क्रमशः)

सूची, जिनमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका ।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
९९	सिलाई में व्यवसाय परीक्षक	उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत	१	१५
१००	काष्ठ शिल्प में व्यवसाय परीक्षक		१	६
१०१	बुनाई में व्यवसाय परीक्षक		१	२
१०२	कर्मकारी में व्यवसाय परीक्षक		१	२
१०३	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के रिहन्द बांध संगठन में कल्याण अधिकारी		१	१५
१०४	फीजिआलाजी (दैहिकी) में लेक्चरर, पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, मथुरा		१	[illegible]
१०५	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिए कृषि पशुधन अर्थ एवं संख्या में लेक्चरर-सहित-सांख्यिक		[illegible]	[illegible]
१०६	हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर के लिए व्यावहारिक अणु जीवशास्त्र में लेक्चरर		[illegible]	[illegible]
१०७	हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर के लिए अणु जीवशास्त्र में प्रविधिक सहायक		१	१
१०८	राजकीय देशीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश में वैद्यगण		३०	२०७
१०९	क्षेत्रीय विपणन (मार्केटिंग) अधिकारीगण, (दो हैन्डलूम विकास योजना में और एक हैन्डलूम बुनकर सहकारी समितियों की योजना के अन्तर्गत)		३	२२
११०	औद्योगिक सहकारी योजना (नान-टेक्सटाइल्स) के अन्तर्गत सहायक पंजीयक (रजिस्ट्रार)		१	६

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका ।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
१११	इन्स्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडिशनिंग	राजकीय पौलीटेक्निक, लखनऊ के लिए	२	५
११२	इन्स्ट्रक्टर रेडिओ मेकेनिक		१	१०
११३	इन्स्ट्रक्टर ट्रैक्टर मेकेनिक		१	५
११४	इन्स्ट्रक्टर लौह कर्मकारी		१	३
११५	इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन		१	२
११६	इन्स्ट्रक्टर एलेक्ट्रिक लाइनमैन		१	०
११७	इन्स्ट्रक्टर एलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेतु		१	१
११८	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिये एलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्स्ट्रक्टर		१	२
११९	राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून के लिये विद्युत् इन्स्ट्रक्टर		१	१
१२०	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर के लिये द्वितीय एलेक्ट्रीशियन इन्स्ट्रक्टर		१	०
१२१	फोरमैन	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ के लिए	२	६
१२२	वाच एवं टाइम पीस मेकैनिक्स इन्स्ट्रक्टर		१	६
१२३	टाइपराइटर मेकैनिक्स इन्स्ट्रक्टर		१	२
१२४	टर्निंग के इन्स्ट्रक्टर		१	१०
१२५	मोल्डिंग के इन्स्ट्रक्टर		१	६
१२६	जनरल मेकैनिक्स इन्स्ट्रक्टर		१	५

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
१२७	आर्मेचर वाइंडिंग के इन्स्ट्रक्टर	राजकीय पोलीटेक्निक, लखनऊ के लिये	१	३
१२८	कार्पेन्ट्री के इन्स्ट्रक्टर		१	५
१२९	ड्राइंग मास्टर		१	२
१३०	मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन के इन्स्ट्रक्टर		१	१
१३१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक वर्ग) में संगीत अध्यापिका		१५	३०
१३२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक वर्ग) में शिक्षा तथा मनोविज्ञान की अध्यापिकायें		४	६३
१३३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक वर्ग) में गणित की अध्यापिकायें		११	९
१३४	अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक	नैनीताल एवं ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए	६	७
१३५	राजनीति के सहायक प्राध्यापक		२	१३
१३६	वाणिज्य शास्त्र के सहायक प्राध्यापक		१	११
१३७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नागरिक शास्त्र के लिए सहायक अध्यापक		३	९८
१३८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में तर्कशास्त्र के लिए सहायक अध्यापक		१	९
१३९	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में विद्यालयों के जिला निरीक्षक		५	४९७

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१४०	लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए आयुर्वेद में लेक्चरर	२	१५
१४१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में भूगोल के लिए सहायक अध्यापिका	६	३१
१४२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गृह विज्ञान के लिए सहायक अध्यापिका	५	३७
१४३	उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन चर्म योजना के अन्तर्गत इन्स्ट्रक्टर (सहकारी संगठन एवं वित्त)	३	६
१४४	समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक समाज कल्याण अधिकारी	१३	१३३
१४५	राजकीय महाविद्यालय शारीरिक (भौतिक) शिक्षा, उत्तर प्रदेश, रामपुर के लिए तैराकी एवं मैसाज में लेक्चरर	१	४
१४६	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में सीनियर कृषि इन्स-ट्रक्टर	२	९४
१४७	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कृषि निरीक्षक	१५	८७
१४८	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर एग्राना-लिकल सहायक	२	९
१४९	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर स्वायल सहायक	२	११
१५०	गन्ना विकास विभाग में गन्ना संरक्षण निरीक्षक	४	४४
१५१	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, उत्तर प्रदेश में खंड विकास	७५	२,८३४

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त अवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१५२	अधीक्षक (टेक्सटाइल्स १) ..	१	६
१५३	अधीक्षक (टेक्सटाइल्स २) ..	१	३
१५४	अधीक्षक (प्रधान कार्यालय) ..	१	२३
१५५	अधीक्षक (छपाई) ..	१	९
१५६	अधीक्षक (ताले) ..	१	३
१५७	अधीक्षक (चर्म) ..	१	७
१५८	अधीक्षक (दरी) ..	१	८
१५९	परीक्षक (टेक्सटाइल) ..	५	१२
१६०	परीक्षक (जूते) ..	१	८
१६१	परीक्षक (ताले) ..	१	२
१६२	पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए मोटर वाहन अधिकारी	१	१९
१६३	राजकीय प्रविधिक संस्था, झांसी के लिए ड्राइंग मास्टर	२	४
१६४	राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर के लिए ड्राइंग मास्टर	१	
१६५	पशुचिकित्सा सेवा, उत्तर प्रदेश के द्वितीय श्रेणी में पशुधन पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कक्षा के लिए प्रिन्सिपल	१	८
१६६	शिक्षित नवयुवकों में वृत्तिहीनता के लघुकरण सम्बन्धी योजना के संबंध में राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ के लिए कारखाना अधीक्षक	१	८

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदना-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
१६७	मोटर मेकेनिक्स में लेक्चरर	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिए	१	११
१६८	एलेक्ट्रिकल वायरिंग एवं आरमेचर बाइंडिंग के मास्टर		१	२
१६९	मास्टर शीट मेटल कार्य		१	३
१७०	सोल्डरिंग और वेल्डिंग मेकैनिक		१	१
१७१	ड्राइंग मास्टर		१	१
१७२	उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग अधिकारी (प्रथम श्रेणी)		१६	५४४
१७३	उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)		३५	६८०
१७४	एल० टी० वेतनक्रम में अंग्रेजी की अध्यापिकायें ...		४	८४
१७५	एल० टी० वेतनक्रम में कला की अध्यापिकायें		९	१५
१७६	एल० टी० वेतनक्रम में गृह विज्ञान की अध्यापिकायें		१०	२६
१७७	एल० टी० वेतनक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण अध्यापिका		१	४
१७८	नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक		४	३१
१७९	नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए हिन्दी के सहायक प्राध्यापक		२	२६
१८०	नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए भौतिकी शास्त्र के सहायक प्राध्यापक		२	७

परिशिष्ट ३ (अ)--(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१८१	रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर के लिए गोदाम अधोक्षक	१	१९
१८२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गणित के लिए सहायक अध्यापक	२	९०
१८३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में इतिहास के लिए सहायक अध्यापक	१	२९
१८४	चर्म योजना में उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन सहायक प्रबन्धक-सहित-विक्रय कार्यवाहक (प्रविधिक)	१	४
१८५	परीक्षक (प्रविधिक) ..	१	३
१८६	आर्टिस्ट-सहित-डिजाइनर ...	१	४
१८७	यन्त्र अभियन्ता ...	१	०
१८८	सहायक प्रबन्धक ...	१	५
१८९	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ से संलग्न आयुर्वेदिक औषधालय के लिए ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	१	१५
१९०	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर के लिए कोष्ठागार अधिकारी	१	२१
१९१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नागरिक एवं राजनीति शास्त्र के लिए सहायक अध्यापिका	१	२२
१९२	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में अभियन्त्रणा में लेक्चरर	१	५

परिशिष्ट ३ (अ)—(क्रमशः)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१९३	अधीनस्थ कृषिसेवा के प्रथम ग्रूप में ज्येष्ठ कवकशास्त्र सहायक	१	१४
१९४	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में काप वेदर आब्जर्वर	२	४
१९५	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक	१	५
१९६	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ केमिकल सहायक	१	८
१९७	ब्यूरो आफ साइकालाजी, इलाहाबाद के लिए सीनियर टेस्टर	१	२०
१९८	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज संगठन में ट्राफिक अधीक्षक	५	६४
१९९	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में गन्ना उपायुक्त (विपणन)	१	२७
२००	कम्पाइलेशन सहायक } उत्तर प्रदेश मिनिस्टी-रियल एकानामिक इन्टेलिजेन्स सेवा में	१	२५
२०१	सांख्यिकी सहायक	[illegible]	५८
२०२	उच्चवर्ग सहायक	२	७५
२०३	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रथम ग्रूप में सीनियर केमिकल सहायक	१	११
२०४	अधीक्षक, ड्राइंग, सर्वेइंग आदि ...	१	५
२०५	चर्म सामग्री अधीक्षक ...	१	५
२०६	मेकेनिकल ड्राफ्ट्स मैन, ड्राइंग, सर्वेइंग आदि	१	२
२०७	परीक्षक जूते ...	१	७

परिशिष्ट ३ (अ)—(समाप्त)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये चुनाव १९५५–५६ के अन्तर्गत न हो सका।

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
२०८	परीक्षक, दरियां	..	१	२
२०९	पब्लिसिटी (प्रसार) निरीक्षक, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी मार्किंग योजना के अधीन	...	१	४
२१०	अनुसन्धान पर्यवेक्षक गण	...	३०	२९
२११	साइन्टिफिक सहायकगण	...	२५	४२
२१२	कारखाना पर्यवेक्षक–सहित–आगारक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन		१	१
२१३	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर्स	...	२६५	३८२
२१४	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, के अधीन गन्ना निरीक्षक	...	३	१५९
२१५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में विद्युत् एवं यान्त्रिकी पर्यवेक्षक		४०	२८
२१६	प्रान्तीय नर्सिंग सेवा में सिस्टर ट्यूटर्स	...	१०	८
*२१७	प्रिन्सिपल, हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर		१	७
२१८	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर में सर्विस मैनेजर		२	१३
२१९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जूनियर टेस्टर	...	४	२९
	योग	...	१,१६२	१२,०८०

*इस पद का विज्ञापन जुलाई, १९५४ में भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों स्थानों में किया गया। विज्ञापनों के अनुशीलन में भारत से ३ और यूनाइटेड किंगडम से ४ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। यूनाइटेड किंगडम के चारों अभ्यर्थियों में से सभी निःसृत किये गये और भारत में प्राप्त ३ में से केवल १ को साक्षात्कार योग्य समझा गया। इसी काल में, शासन ने आयोग को यह सूचित किया कि प्रतिष्ठित अधिकारियों ने उन्हें राय दी है कि वास्तविक असाधारण योग्यता वाले एक अभ्यर्थी की सेवाओं को पत्र-व्यवहार द्वारा उपलब्ध करने का प्रयास किया जाय और शासन के अनुरोध करने पर, आयोग इस प्रकार से उपलब्ध अभ्यर्थियों पर भी विचार करने के लिए सहमत हो गए। किन्तु वर्ष के अन्त तक नाम नहीं प्राप्त हो सके और उस अभ्यर्थी का मामला भी, जिसे साक्षात्कार योग्य समझा गया था, लटका रहा।

परिशिष्ट ४

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१	आबकारी निरीक्षक	१	२२ जुलाई, १९५५ को साक्षात्कार किये जाने के पश्चात् विलीनीकरण के लिए इसलिये अनुमोदित किया गया कि वह बिलोचिस्तान का एक शरणार्थी आबकारी निरीक्षक था ।
२	नायब तहसीलदार	४	एक रिक्ति, १९४४ के अधीनस्थ कार्यकारी सेवा (नायब तहसीलदार) के नियमों के नियम ५ (३) के अन्तर्गत कानूनगो प्रशिक्षण विद्यालय में प्रथम तीन सर्वोच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों में से चुनाव करके भरी जाती है । इस वर्ष ४ अभ्यर्थियों पर विचार किया गया, क्योंकि उक्त विद्यालय में तीसरे स्थान पर दो व्यक्ति एक साथ वर्गीकृत किए गए थे। चुनाव १२ अगस्त, १९५५ को इनके साक्षात्कार किए जाने के पश्चात् किया गया ।
३	नायब तहसीलदार	५	इन कर्मचारियों का चुनाव एक तदर्थ समिति द्वारा हुआ, जो कुछ वर्ष पहले विस्थापित व्यक्तियों की भर्ती के हेतु, नियुक्त की गई थी । १७ जून, १९५५ के सेवा नियमों में एक संशोधन प्रसारित हुआ जिससे कि ऐसे अभ्यर्थियों का

परिशिष्ट ४—(क्रमशः)
बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
			नियमित संवर्ग में विलीनीकरण हो सके। आयोग ने २७ अक्तूबर, १९५५ को इनका साक्षात्कार करके ४ को अनुमोदित किया, पांचवां साक्षात्कार के लिए उपस्थित न हो सका क्योंकि उसने पद त्याग कर दिया था।
४	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (१)	४	ये डाक्टर प्रारम्भ में कानपुर-स्थित विभिन्न कारखानों में मिल मालिकों द्वारा नियुक्त किये गये थे। सन् १९५२ में शासन ने जब कर्मचारी राज्य बीमा योजना चालू किया तो ये अपनी नियुक्तियों से पृथक् कर दिए गए थे। तदनन्तर शासन ने इन डाक्टरों को राजसेवा में लेने का प्रस्ताव किया। आयोग ने इनमें से तीन का साक्षात्कार १७ जनवरी, १९५६ को किया और उन्हें केवल कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बद्ध कार्य के लिए अनुमोदित किया। चौथा डाक्टर ४ नवम्बर, १९५५ को अवकाश प्राप्त कर चुका था। उसकी नियुक्ति को, उस समय तक के लिए, जब तक कि वह नियुक्त था, घटना पश्चात् अनुमोदित किया गया।
५	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (प्राविन्शियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के राजपत्रित अधिकारियों में से)	१६	समस्त १६ कर्मचारियों का २३ और २४ जनवरी, १९५६ को साक्षात्कार कर लेने के अनन्तर

परिशिष्ट ४—(क्रमशः)
बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
			आयोग ने उनमें से १३ को नैयमिक पुलिस कार्य के लिए और तीन को पी० ए० सी० कार्य मात्र के लिये अनुमोदित किया। चार अधिकारियों को शैक्षिक योग्यता से मुक्ति के लिए संस्तुत किया गया।
६	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गण (उन कर्म-चारियों में से जो खाद्य एवं रसद विभाग तथा सहायता एवं पुनर्वास विभाग से हों)	१०२	आयोग ने ९३ कर्मचारियों का (९ अनुपस्थित रहे) साक्षात्कार ७, ८, ९, १२, १४ से १७ और १९ से २२ मार्च, १९५६ को किया और ३ रिक्तियों के हेतु ७ नाम संस्तुत किये क्योंकि उनमें से बहुतेरे अन्य पदों के लिए भी संस्तुत किये जा रहे थे।
७	जिला कलेक्शन अधिकारी	१४८	आयोग ने १३७ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (११ अनुपस्थित थे) ७, ८, ९, १२, १४ से १७ और १९ से २३ मार्च, १९५६ को किया और २४ अभ्यर्थियों को ५ पदों के लिए, जो खाद्य एवं रसद विभाग संगठन से सम्बन्धित कर्मचारियों के हेतु रक्षित थे, ३ अभ्यर्थियों को ३ पदों के लिये, जो सहायता एवं पुनर्वास संगठन से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए रक्षित थे, २ अभ्यर्थियों को २ पदों के लिए, जो कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्म-चारियों के लिए रक्षित थे, और ३१ अभ्यर्थियों को ६ ऐसे पदों के लिए, जो [illegible] के लिए रक्षित थे, संस्तुत किया;

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
			इनमें से २ वर्गों के निमित्त संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या विशेषतया अधिक थी, क्योंकि उन वर्गों में से कुछ संस्तुत अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से नियुक्ति के लिए सम्भवतया उपलब्ध नहीं हो सकते थे।
८	कृषि शिक्षा के अधीक्षक, शिक्षा विभाग	१	इसलिये अनुमोदित किया गया कि वह आयोग द्वारा कृषि हिन्दुस्तानी और आंग्ल हिन्दुस्तानी विद्यालयों के सुपरवाइजर पद के लिये, जिसका वेतनक्रम २००--४५० रु० से बढ़कर २५०--५०० रु० कर दिया गया था और जिसका नाम अधीक्षक कृषि शिक्षा रख दिया गया था, चुना जा चुका था।
९	सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक (प्रविधिक)	१	इस दृष्टि से अनुमोदित किया गया कि वह पूर्व ही आयोग द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक (प्रविधिक) के उच्च पद पर नियुक्ति के लिये चुना और संस्तुत किया जा चुका था।
१०	संघनन (कन्सालिडेशन) अधिकारीगण	२	कोर्ट आफ वार्ड्स का एक भूतपूर्व प्रबन्धक अनुमोदित किया गया और दूसरा नहीं अनुमोदित किया गया।
११	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (१)	१	आई० डी० अस्पताल, हरिद्वार के राष्ट्रीयकरण किये जाने के फलस्वरूप वहां के कार्यवाहक डाक्टर की नियुक्ति का घटना पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिशिष्ट ४—(क्रमशः)

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१२	विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक	९	अतिरिक्त शिक्षा संचालक ने प्रस्तावित किया कि ९ व्यक्ति, जो आयोग द्वारा मुख्य इन्स्ट्रक्टर, साब.इ.ट्रेनिंग स्क्वैड के पदों के लिये चुने गये थे, विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक की भांति विलीन कर लिये जायं। आयोग सहमत नहीं हुए और उन्होंने सलाह दी कि ये व्यक्ति भी आवेदन-पत्र भेजें और अन्य लोगों की भांति ही इन पदों के लिये, जिनका विज्ञापन निकलने वाला है, समान अवसर ग्रहण करें।
१३	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप	३	ये व्यक्ति आयोग द्वारा १९४९ में विधिवत् अधीनस्थ कृषि सेवा में ग्रूप दो के लिये चुने गये थे, तत्पश्चात् व सेवा से अलग कर दिये गये थे ताकि वे स्वतः व्यय करके आई० ए० आर० आई० में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेवें। आयोग उनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनकी पुनर्नियुक्ति पर सहमत हुए और उन्होंने यह सलाह दी कि अवकाश नियमों को इस प्रकार संशोधित किया जावे ताकि ऐसे अभ्यर्थी अपने सेवाक्रम में बिना असतता उत्पन्न हुए ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
	विधान परिषद् सचिवालय में अवर वर्ग सहायक	१	१९५४ के सचिवालयीय अवर वर्ग परीक्षाफल के आधार पर अनुमोदित किए गए।

परिशिष्ट ४--(क्रमशः)
बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
२	२	३	४
१५	सहकारी निरीक्षक	१६	इस बात को दृष्टि में रखते हुए अनिच्छापूर्वक सहमत हुए कि उनमें से १३ ग्राम विकास निरीक्षक के पदों (जो तोड़ दिये गये थे) पर पुष्टिकृत किए गए थे और उनमें से तीन जो अपुष्टिकृत थे उनकी चरित्रावलियां बहुत से पुष्टिकृत लोगों की चरित्रावलियों की अपेक्षा उत्तम थीं।
१६	प्रिन्सिपल, कला एवं शिल्प का राजकीय विद्यालय, लखनऊ	४	सुविख्यात संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से एक लब्धप्रतिष्ठ कलाकार के चुनाव के मामले में आयोग विशेष परिस्थितियों में सहमत हुए।
१७	परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेश के लिए ओवरसियर एवं कम्प्यूटर	७	आयोग ने एक पद के निमित्त ७ अभ्यर्थी संस्तुत किये, जो उनमें से थे जिन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के पदों के लिए आवेदन-पत्र भेजे थे, क्योंकि निर्धारित अर्हतायें दोनों प्रकार के पदों के लिए लगभग समान थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पदभार नहीं ग्रहण किया।
१८	सहायक अभियन्ता, राजकीय (प्रेशिशन इन्स्ट्रूमेन्ट्स कारखाना) सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला	१	एक अभ्यर्थी ने जो सन् १९५४ में विधिवत् चुनाव के पश्चात् आयोग द्वारा संस्तुत किया गया था, पद त्याग कर दिया। तत्पश्चात् आयोग ने पद को नए तौर से बिना विज्ञापित किये हुए ही एक और नाम भेजा जो उनमें से था, जो उस अवसर पर साक्षात्कार किये जा चुके थे।

परिशिष्ट ४--(समाप्त)

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१९	आर्थोपीडिक्स में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा	१	जुलाई, १९५५ में शासन ने आयोग से इस पद को विज्ञापित करने का अनुरोध किया। चूंकि एक ऐसा अभ्यर्थी उपलब्ध था जो अप्रैल, १९५५ में एक समान पद के लिए योग्यता क्रम के अनुसार द्वितीय स्थान रखता था, आयोग ने उसी को नियुक्ति के लिए बिना विज्ञापन प्रकाशित किये ही, संस्तुत किया
२०	अन्वेषण सहायक, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	१	इस पद के लिए जिस अभ्यर्थी को विधिवत् चुनाव के पश्चात् आयोग ने अप्रैल, १९५५ में संस्तुत किया था उसने पद भार ग्रहण नहीं किया। आयोग से इस पद को पुनर्विज्ञापित करने का अनुरोध किया गया, किन्तु उन्होंने यह आवश्यक न समझा और नियुक्ति के लिये अपना द्वितीय वरित अभ्यर्थी संस्तुत किया।
२१	लेखा अधिकारी गण, गन्ना विकास विभाग	२	अनुमोदित किये गये, क्योंकि यह अभ्यर्थी इससे पूर्व ही आयोग द्वारा यान्त्रिकी राजकीय खेतों और गन्ना विकास विभाग के लिए लेखाधिकारी के पदों के लिए उनके द्वितीय वरित अभ्यर्थी के रूप में संस्तुत किये जा चुके थे।
२२	कैबिनेट इन्स्ट्रक्टर, राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बरेली	१	संस्तुत किये गये, क्योंकि ये राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बरेली के वाइस प्रिन्सिपल के पद के लिए किए गए चुनाव में योग्यता क्रम में द्वितीय स्थान रखते थे।
	योग ...	३३१	

परिशिष्ट ४ (अ)

बिना विज्ञापन के भर्ती के न निबटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
१	प्रादेशिक अधीनस्थ चिकित्सा सेवा	१	कटरा दीवान खेरा, जिला उन्नाव स्थित सब्सिडाइज्ड ग्राम्य एलोपैथिक चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण किये जाने पर उसके कार्यवाहक डाक्टर को प्रान्तीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा में अन्तर्निधान किये जाने का प्रस्ताव था। यह मामला पत्र-व्यवहारान्तर्गत रहा।
२	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (१)	१	कुछ सूचना मांगी गई थी।
३	विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक (१९४५ के विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक सेवा नियमों के नियम १३ के अन्तर्गत)	*	*पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या आयोग को नहीं सूचित की गई थी। १० रिक्तियां भरी जाने वाली थीं। शासन से चुनाव विधि के विषय में प्रश्न किया गया (परिशिष्ट ७ का पैरा २ देखिये)।
४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में महिला लेक्चरर	१	कुछ सूचना एवं चरित्रावलियां मांगी गईं।
५	कन्सालिडेशन (संचनन) अधिकारीगण [(१) भूतपूर्व विशेष प्रबन्धकों, कोर्ट आफ वार्ड्स, (२) सर्किल आफिसर्स, सहकारी विभाग और (३) भूतपूर्व उपमालअधिकारी, सिंचाई विभाग, के अन्तर्गत]	३३	कुछ सूचना एवं चरित्रावलियां मांगी गईं।
६	वैद्य ...	१	नन्द प्रयाग स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण किये जाने पर उसके कार्यवाहक वैद्य का राजकीय सेवा में अन्तर्निधान किये जाने का प्रस्ताव था। आयोग ने अपना मत इस वैद्य के साक्षात्कार किये जाने के पश्चात् व्यक्त करने का निश्चय किया। वर्ष के अन्त तक साक्षात्कार न किया जा सका।
	कुल योग ...	३७	

परिशिष्ट ५

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
१	सहायक सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोड-वेज	५	१०	...
२	एकोनामिक बाटेनिस्ट (रबी-सिरियल्स एवं आलू) उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (ज्येष्ठ वेतनक्रम) में	१	१	...
३	उत्तर प्रदेश राजकीय रोड-वेज में ट्राफिक अधीक्षक-गण	१०	३०	...
४	उत्तर प्रदेश जन-स्वास्थ्य सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम)	६	१०	... ...
५	ज्येष्ठ उद्भिद संरक्षण सहायक (कवकी) (माइकालोजी) अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में	१	२२	चूंकि विभागीय चुनाव समिति ने चुनाव एक मात्र तीन ज्येष्ठ-तर पात्र कर्मचारियों में से किया था, आयोग ने सुझाव दिया कि समिति को अपने चुनाव का पुनरीक्षण करना चाहिये और सम्पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में से सर्व-श्रेष्ठ कर्मचारी को संस्तुत करें।
६	सामान्य सचिवालय में मंत्रियों के वैयक्तिक सहायक तथा आशुलिपिकों के अध्यक्ष	४	४	...
७	आबकारी निरीक्षकगण	५	१२	...

परिशिष्ट ५ (क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
८	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	१	१	...
९	जिला कारागारों के अधीक्षक	५	३५	...
१०	सामान्य सचिवालय में शासन के सहायक सचिव	३	११	...
११	सामान्य सचिवालय में अधीक्षक	७	१४	...
१२	अधीनस्थ श्रम सेवा, द्वितीय ग्रूप	३	१२	आयोग ने सुझाव दिया कि जो प्रतिनियुक्ति पर थे अथवा अस्थायी रूप से उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे, उन पर भी विचार किया जाना चाहिये और बाद में निर्देश करना चाहिये।
१३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	१६	३९	...
१४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	४९	५३	...
१५	सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय में अधीक्षक-गण	७	११	
१६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (वाणिज्य शास्त्र)	१	४	...

परिशिष्ट ५ (क्रमशः)
पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
१७	सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय में सहायक सचिवगण	३	७	
१८	उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में ज्येष्ठ लेखा-अधिकारी	४	८	आयोग ने सुझाव दिया कि पहले सभी पात्र लेखा अधिकारियों में से योग्यतानुसार विभागीय चुनाव समिति द्वारा एक नवीन चुनाव किया जाना चाहिए और तब उन्हें निर्देश किया जाना चाहिए।
१९	सहायक परीक्षक, लोकल फंड एकाउन्ट्स	२	१६	...
२०	उद्योग संचालक वर्ग के ग्लास सेक्शन में प्रविधिक सहायक एवं लेबोरेट्री सहायक	२	५	...
२१	विद्युत् विभाग में सहायक अभियन्ता	८	६	विभागीय चुनाव समिति ने केवल ६ कर्मचारियों को ही संस्तुत किया, क्योंकि अधिक उपलब्ध नहीं थे। आयोग ने केवल ४ कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति के लिए अनमोदित किया और शेष २ कर्मचारियों के विषय में राय दी कि उनके मामले पुष्टिकरण के लिए उन्हें पुनर्निर्देशित किये जायं। इस प्रकार ४ स्थायी रिक्तियां बिना भरे ही रह गईं।

परिशिष्ट ५ (क्रमशः)
पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
२२	उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा विभाग में निर्देश लिपिक	१	४	...
२३	सामान्य सचिवालय, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की शाखा में निर्देश लिपिक	११	१७	...
२४	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में कृषि में लेक्चरर	१	५	चूंकि विभागीय चुनाव समिति ने सभी पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विचार नहीं किया था, अतः आयोग ने सुझाव दिया कि एक नवीन चुनाव सम्पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में से किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् मामला उनकी सम्मति के लिये पुनः निर्देशित किया जाय।
२५	सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	२	१९	...
२६	स्टाम्प्स एवं रजिस्ट्रेशन के निरीक्षकगण	४	४२	...
२७	पुलिस के उपाधीक्षक (कम्प्लेन्ट्स)	६०	११५	एक समिति, जिसमें श्री नफीसुल हसन अध्यक्ष के रूप में व सर्वश्री ए० एन० झा, शासन के मुख्य सचिव, एम० एस० माथुर, पुलिस के प्रधान निरीक्षक और जियाराम, पुलिस के उप-प्रधान निरीक्षक सदस्य के रूप में थे, ने १ से ५ नवम्बर, १९५५ को लखनऊ में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया और ६३ अभ्यर्थियों को संस्तुत किया।

परिशिष्ट ५--(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती

सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
२	३	४	५
नायब तहसीलदारगण	२२	३२१	गत वर्ष मांगे गये पत्रादि अप्रैल, १९५५ में प्राप्त हुए। आयोग ने २२ कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पदों पर और २ को पेशकार के पदों पर पदोन्नति के लिए संस्तुत किया। इनमें से १२ को नायब तहसीलदार और १ को पेशकार नियुक्त किया गया। शेष ११ कर्मचारियों के मामले आयोग के पुनर्विचारार्थ पुनर्निर्देशित किये गये, जो कि निबटाये न जा सके।
पेशकार	२	२	
उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम)	८	३३	...
सेवा-नियमों के नियम ५ (२) के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद संगठन के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा डिप्टी कलेक्टर	२१	५५	आयोग ने ५५ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार ७ से ९, १२, १५ से १७ और २२ मार्च, १९५६ को किया और उनमें से २१ को पदोन्नति के लिए संस्तुत किया।
उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (ज्येष्ठ वेतन-क्रम) के उप-विभाग 'ब' में फंक्शनल डिप्टी डाइरेक्टर्स	३	३*	*विचार नहीं किया गया, क्योंकि पदोन्नति द्वारा भरती करने का प्रस्ताव सेवा-नियमों के नियम ६ (३) के अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ। अतएव शासन से स्थिति के स्पष्टीकरण करने का अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर में शासन ने प्रस्ताव को उठा लिया और कहा कि भविष्य में यह पुनर्निर्देश किया जायगा।
कार्यालयों के निरीक्षक ...	१	९	...

परिशिष्ट ५---(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
३४	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	१	१	...
३५	उत्तर प्रदेश अभियन्तागण की सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग	८	१२	...
३६	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में महिला प्रिन्सिपल	२	२५	शासन ने दो अभ्यर्थियों के विषय में आयोग की सम्मति नहीं स्वीकार की, जिन्हें विभागीय चुनाव समिति ने स्थायी पदोन्नति के लिए मुख्य सूची में संस्तुत किया था, मगर जिनके विषय में आयोग का मत यह था कि उनकी चरित्रपंजियां उनकी पदोन्नति को न्यायसंगत नहीं दर्शाती थीं, क्योंकि उनसे अधिक अच्छी चरित्रपंजी वाली महिलायें उपलब्ध थीं।
३७	उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में लेखा अधिकारी	४	९	...
३८	बायोकेमिस्ट्री के प्राध्यापक	१	१	परामर्श नहीं माना गया।
३९	तहसीलदार्स ...	९	२६	९ कर्मचारियों के मामलों को, जिन्हें आयोग ने पदोन्नति के लिए अनुमोदित नहीं किए थे, यद्यपि वे विभागीय चुनाव समिति द्वारा संस्तुत किये गए थे, भूमि-सुधार आयुक्त ने उन्हें पुनः पुनर्विचारार्थ निर्देशित किया। आयोग

परिशिष्ट ५--(समाप्त)

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
				ने २६ कर्मचारियों के अभिलेखों का पुनरावलोकन किया और तदनन्तर ९ कर्मचारियों में से ३ को अनुमोदित किया। पर भूमि-सुधार आयुक्त ने पुनः शेष ६ कर्मचारियों के मामले पुनर्विचारार्थ निर्देशित किये। आयोग ने मामले पर फिर से पुनर्विचार किया, लेकिन अपने पूर्वमत को सुतथ्यों के अभाव में परिवर्तनीय नहीं समझा। आगे भी निर्देश किए जाने पर आयोग ने उन १० अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के उपरान्त अन्तिम राय देने का निश्चय किया, जिनकी तुलनात्मक योग्यता विवादास्पद थी। वर्ष के अन्तर्गत साक्षात्कार नहीं किया जा सका।
१०	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	१	...
११	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	३	८	आयोग ने २ अभ्यर्थियों को अनुमोदित कर दिया। तीसरे के विषय में एक चरित्र-पंजी के अभाव में मत रोक रक्खा गया।
	योग ..	३०८	१,०१९	

परिशिष्ट ५ (अ)

पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके ।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	न निबटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
१	सचिवालय के वित्त विभाग में अधीक्षक	२	चरित्रपंजियां नहीं प्राप्त हुईं ।
२	कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	आयोग ने इस पद को उत्तर प्रदेशीय कृषि सेवा के संवर्ग से निष्कासित किये जाने का सुझाव दिया और कुछ सूचना और चरित्र-पंजियां भी मांगीं, जो वर्ष के अन्तर्गत नहीं प्राप्त हुईं ।
३	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा	९	...
४	सामान्य सचिवालय में अधीक्षक	४	...
५	वुड वर्किंग इन्स्ट्रक्टर, राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बरेली	१	कुछ पूछ-ताछ की गयी ।
६	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्तागण	५	पत्र व्यवहारान्तर्गत रहा ।
७	सचिवालय के वित्त विभाग में सहायक सचिवगण	२	कुछ चरित्र-पंजियां मांगी गयीं ।
८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (लॉजिक) (तर्क-शास्त्र)	३	तदेव
९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (गणित)	१३	तदेव
१०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (बायोलाजी) (जीव-शास्त्र)	५	कुछ चरित्र-पंजियों एवं सूचना की प्रतीक्षा थी ।

परिशिष्ट ४ (अ)---(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	न निबटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
११	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	८	समस्त चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
१२	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में सहायक उद्योग संचालक (आगरा)	१	कुछ सूचना मांगी गई थी।
१३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (रसायनशास्त्र)	७	एक चरित्र-पंजी मांगी गई थी।
१४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा मेंसहायक अध्यापक (भौतिक) (फिजिक्स)	१०	कुछ सूचना एवं चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
१५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (नागरिक शास्त्र)	३	कुछ पूछ-ताछ की गई थी।
१६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (इतिहास)	५	कुछ सूचना एवं चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
१७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र)	३	कुछ सूचना मांगी गयी थी।
१८	अधीनस्थ श्रम सेवा, तृतीय श्रेणी	२	कुछ चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
१९	उत्तर प्रदेश सचिवालय के न्याय शाखा में निर्देश लिपिक	३	
२०	विशेष अधीनस्थशिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (संस्कृत)	९	कुछ सूचना मांगी गई थी।
२१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अरबी एवं फारसी)	५	तदेव

परिशिष्ट ५ (अ)--(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	न निबटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
२२	अधीनस्थ गन्ना सेवा, द्वितीय ग्रूप	७	कुछ सूचना एवं चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
२३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	१६	कुछ सूचना मांगी गई थी।
२४	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (१)	२९	अनेक विभेदों तथा अन्य तथ्यों का स्पष्टीकरण मांगा गया।
२५	प्रशिक्षित स्नातक वेतन-क्रम में हिन्दी अध्यापक	२२	...
२६	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	१	कुछ चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
२७	प्रशिक्षित स्नातक वेतन-क्रम में सहायक अध्यापिकायें	४१	कुछ चरित्र-पंजियों की प्रतीक्षा थी।
२८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भूगोल)	७	कुछ सूचना एवं चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं।
२९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (प्रशिक्षित) स्नातक वेतन-क्रम में सहायक अध्यापकगण	६१	सम्पूर्ण चरित्र-पंजियों की प्रतीक्षा थी।
३०	सिंचाई विभाग में उप-माल अधिकारी	२	...
३१	लोकल फंड आडिट विभाग में सहायक आडिटर्स	१	..
३२	गन्ना विकास विभाग में आडिट पर्यवेक्षक	२	कुछ सूचना मांगी गई थी।
३३	गन्ना विकास विभाग में आडिटर्स	६	तदेव

परिशिष्ट ५ (अ)—(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	न निबटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
३४	अधीनस्थ पशु चिकित्सा सेवा के 'अ' उप-विभाग में पशुचिकित्सा निरीक्षक	१२	कुछ सूचना एवं चरित्र-पंजियों की प्रतीक्षा थी ।
३५	नायब तहसीलदार एवं पेशकार	११	आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देश किया गया, परिशिष्ट ५ के मद संख्या २८ और २९ को देखिये ।
३६	स्वायल संरक्षण एवं ऊसर कृष्यकरण की योजना के अन्तर्गत खेत प्रबन्धक	२	मांगी गई चरित्र-पंजियां वर्ष के अन्तर्गत भी न प्राप्त की जा सकीं ।
३७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में जिला कृषि अधिकारी (जनता सम्पर्क)	१	वांछित सूचना मार्च, १९५६ में प्राप्त हुई ।
३८	फारेस्ट रेन्जर्स	१०	वांछित चरित्र-पंजियां मार्च, १९५६ में प्राप्त हुईं ।
३९	खजाना अधिकारीगण	४	नवम्बर, १९५४ में मांगी गई तदर्थ ज्येष्ठताक्रम सूची एवं चरित्रपंजियां नहीं प्राप्त हुई थीं ।
४०	कार्यालयों के निरीक्षक	२	...
४१	सहकारी आडिट संगठन में सीनियर आडिटर्स	५	१४ पात्र कर्मचारियों की चरित्र-पंजियां मांगी गई थीं ।
४२	पंचायत निरीक्षकगण	१४	मामला पत्र व्यवहारान्तर्गत रहा ।
४३	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (द्वितीय)	४	मांगी गई चरित्र-पंजियां प्राप्त नहीं हुईं ।

परिशिष्ट ५ (अ)--(समाप्त)

पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	न निबटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
४४	डिप्टी कलेक्टर्स (तहसीलदारों की पदोन्नति द्वारा)	७	विभागीय चुनाव समिति ने इनमें से ४ को स्थायी पदोन्नति के लिये संस्तुत किया और ३ को अस्थायी एवं स्थानापन्न रिक्तियों के लिये, किन्तु आयोग ने उनको अनुमोदित नहीं किया। उनके मामले आयोग के पुर्नविचारार्थ निर्देशित किये गये। आयोग ने अपना अन्तिम मत प्रदान करने के पूर्व १५ कर्मचारियों का साक्षात्कार करने का निश्चय किया। साक्षात्कार प्रतिवेदित वर्ष के अन्तर्गत नहीं किया जा सका।
४५	तहसीलदार	६	इन अभ्यर्थियों के मामले आयोग के पुर्नविचारार्थ फिर से निर्देशित किये गये। देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ३९।
४६	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	१	एक चरित्र-पंजी के अभाव में रुका रहा। देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ४१।
	योग ...	३७५	

परिशिष्ट ६

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१	केन्द्रीय कारागारों के अधीक्षक	१०	दो रिक्तियों के निमित्त २ अभ्यर्थी अनुमोदित किये गये।
२	उप-संचालक पशुपालन, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा, प्रथम वर्ग	२	...
३	खेत प्रबन्धक (राजपत्रित) यांत्रिकी राजकीय खेत, हेमपुर, जिला नैनीताल	४	आयोग ने सुझाव दिया कि यह प्रबन्धक्रम न्यूनतम १३ मास तक के लिये होने के कारण, समस्त पात्रता के क्षेत्र में से योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये था न कि अल्पकालिक स्थानीय प्रबन्ध-क्रम की भांति। आयोग ने ज्येष्ठ कर्मचारियों में से एक को अवक्रान्त करने का कोई औचित्य नहीं पाया और उसी ज्येष्ठ कर्मचारी को स्थानापन्न कार्यभारी को हटाकर, उसके स्थान पर रखने के लिये संस्तुति की।
४	पुलिस मोटर वाहन अधिकारी	१	आयोग द्वारा विधिवत् चुनाव होने तक के लिये केवल ६ मास के लिये अनुमोदित हुआ।
५	प्रविधिक सहायक, चुनार मृत्तिका भांड केन्द्र, मिर्जापुर	१	आयोग ने सुझाव दिया कि यह पद नियमित ढंग से विज्ञापन एवं साक्षात्कारादि के पश्चात् भरा जाना चाहिये।

परिशिष्ट ६––(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
६	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (द्वितीय) पुरुष शाखा	५२	आयोग ने ४१ अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया। ११ अभ्यर्थियों के मामले निबटाये न जा सके।
७	ओवरसियर, विद्युत् विभाग	१	...
८	समाज कल्याण के संचालक, उत्तर प्रदेश	१	आयोग इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हुये कि इस पद को विज्ञापन एवं साक्षात्कारादि के पश्चात् भरा जावे यदि वह ३१ मार्च, १९५६ के अनन्तर भी सतत चालू रक्खा जाय। तब शासन ने इस पद पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को १६ दिसम्बर, १९५५ से नियुक्त कर दिया।
९	सहकारी समितियों के निरीक्षक द्वितीय वर्ग	१	तब तक के लिये अनुमोदित किया गया, जब तक कि शासन का निर्णय इस अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता एवं वय बंधन से मुक्त करने के विषय में न हो जाय।
१०	सहकारी समितियों के निरीक्षक, प्रथम वर्ग	१	अनानुमोदित

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
११	सीनियर इस्ट्रक्टर, उत्तर प्रदेश-राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना	२	एक अनुमोदित नहीं किया गया और एक आलेख्य विज्ञापन मांगा गया। दूसरा अभ्यर्थी प्रारम्भ में ४००-१,००० रु० के वेतन-क्रम म परिवहन सहायक आयुक्त (प्रविधिक) के पद पर आयोग की सहमति से नियुक्त किया गया था। तदनन्तर उसको ५००-७०० रु० के वेतन-क्रम में सीनियर इन्स्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त किया गया और सहायक परिवहन आयुक्त के पद को रोक रखा गया था। शासन ने सोचा कि संभवतः इस प्रकार की नियुक्ति के लिये आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। आयोग ने सुझाव दिया कि उनसे इस विषय में परामर्श लेना आवश्यक था, क्योंकि निम्न वेतन-क्रम देकर पदनाम बदल देने के अतिरिक्त, जो योग्यतायें दोनों पदों के लिये निर्धारित थीं, वे भी भिन्न थीं।
१२	उप-मुख्य आडिट अधिकारी (पंचायत)	१	अनुमोदित। तथापि, आयोग ने इंगित किया कि यह एक प्रतिनियुक्ति का मामला था, अतः उनसे परामर्श लेना आवश्यक न था।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१३	अतिरिक्त नायब तहसीलदार (उत्खनन), देहरादून	१	६ मास के लिये विधिवत् चुने गये आदमी द्वारा अपदस्थ किये जाने तक के लिये अनुमोदित किया गया।
१४	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में महिला प्रिंसिपल	१	...
१५	अधीनस्थ यान्त्रिकी एवं विद्युत् अभि-यन्त्रणा सेवा	१४	६ मास अथवा विधिवत् चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, के लिये अनुमोदित किया गया।
१६	शासन के रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश के तृतीय सहायक।	१	...
१७	मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर	१	आयोग ने सुझाव दिया कि इस पद का विज्ञापन किया जाय और स्थानापन्न कार्यभारी भी अन्य की भांति इसके लिये समानावसर ग्रहण करे।
१८	सहायक परीक्षक, स्थानीय कोष-परीक्षण विभाग	३	अननुमोदित, क्योंकि आयोग द्वारा नवम्बर, १९५४ में स्थायी पदोन्नति के निमित्त संस्तुत ३ अभ्यर्थियों में से २ नहीं नियुक्त किये गये थे और स्थानापन्न पदधारियों को लम्बी अवधि वाली रिक्तियों पर बिना विधिवत् चुनाव के ही चलते रहने दिया गया था। तब शासन ने आयोग द्वारा संस्तुत उन दोनों

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१९	अधीनस्थ पशु चिकित्सा सेवा, 'अ' उप-विभाग में जिला पशुधन अधिकारी	१	अनानुमोदित
२०	प्रथम श्रेणी सेवा में समाज कल्याण (महिला) की उप-संचालिका	१	आयोग ने स्थानापन्न पदधारी को ३१ मार्च, १९५६ तक के लिये लगातार अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया और यह सुझाव दिया कि इस पद को शीघ्र ही विज्ञापित किया जाय क्योंकि इसके अगले वित्तीय वर्ष तक भी चलते रहने की संभावना है।
२१	प्रादेशिक सुश्रूषा सेवा में सहायक मैट्रन	२	...
२२	अधीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	अनानुमोदित। शासन को सुझाव दिया गया कि रिक्ति के लिये एक नियमित चुनाव सचिवालयीय प्रशासन (स्थापना) विभाग के गैर-सरकारी पत्र संख्या २०२८-ई/२०-ई-१५७-५३, दिनांक १५ जुलाई, १९५५ ई० के अनुसार किया जाना चाहिये क्योंकि नियुक्ति के एक वर्ष से अधिक चलने की संभावना थी। सुझाव मान लिया गया।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
२३	नायब तहसीलदार	५२	२८ रिक्तियों के लिये, ५२ अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार हुआ, जिनमें से १८ अवक्रान्त कर्मचारी थे और ६ कनिष्ठ कर्मचारी थे। आयोग ने २३ को सतत स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया और ५ को नहीं अनुमोदित किया जो प्रत्यावर्तन के लिये संस्तुत किये गये।
२४	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिये कर्मचारिवर्गः—		
	(१) प्रिंसिपल एवं अधीक्षक	१	
	(२) काया चिकित्सा में रीडर	१	
	(३) आयुर्वेद में लेक्चरर	१	
	(४) डिमान्स्ट्रेटर	१	
	(५) कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	१	
२५	विशेषाधिकारी (भैषजिकी एवं आसवन-शालायें)	१	
२६	स्टाम्प्स एवं रजिस्ट्रेशन के निरीक्षक	१	आयोग ने पूछा कि क्या यह अभ्यर्थी नियमानुकूल पदोन्नति के लिये पात्र था और यदि था, तो क्या उसकी नियुक्ति के साथ किसी अन्य की अवक्रान्ति तो निहित नहीं थी। प्रत्युत्तर में शासन ने कहा कि आयोग द्वारा आपत्ति प्रकट किये जाने के फलस्वरूप वह प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
२७	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक सचिव	१	
२८	सचिव, विधान सभा	१	सुझाव दिया गया कि नियुक्ति की अवधि १ वर्ष से अधिक होने की दशा में मामले को पुनः आयोग को निर्देशित किया जाय।
२९	सहायक बिक्री-कर अधिकारीगण	३	
३०	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में (पदोन्नति द्वारा सहायक अध्यापक)	३	
३१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापक (गणित)	१	अतिरिक्त शिक्षा संचालक को सूचित किया गया कि आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, क्योंकि नियुक्ति की एक वर्ष से अधिक बढ़ने की संभावना नहीं प्रतीत होती थी।
३२	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापक	१२	तदेव
३३	कार्यालय परीक्षक, स्थानीय कोष लेखा उत्तर प्रदेश में सहायक परीक्षक	८	आयोग ने ३ अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया। उन्होंने २ अभ्यर्थियों को अनुमोदित नहीं किया और उनको हटाकर २ अन्य को रखने की संस्तुति की।

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
३४	सहायक यान्त्रिकी अभियन्तागण, सिंचाई विभाग	२	
३५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक	१९	आयोग ने १७ अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया और २ अभ्यर्थियों को अपदस्थ करने के लिये सुझाव दिया, क्योंकि जिन विषयों का अध्यापन वे कर रहे थे उनमें वे शैक्षिक अर्हतायें नहीं रखते थे।
३६	सामान्य सचिवालय में अधीक्षक	१०	६ रिक्तियों के लिये आयोग ने विभागीय चुनाव-समिति द्वारा मुख्य सूची में प्रस्थापित किये गये ५ अभ्यर्थियों को और एक ऐसे अभ्यर्थी को, जो उनके द्वारा आपूरक सूची में दिया गया था, अनुमोदित किया।
३७	सामान्य सचिवालय में सहायक सचिव	८	३ रिक्तियों के लिये आयोग ने विभागीय चुनाव-समिति द्वारा संस्तुत ३ अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया।
३८	श्रम विभाग में जाब एनालिस्ट	१	
३९	श्रम विभाग में सीनियर टाइम स्टडी हैंन्ड्स	५	
४०	उप-संचालक के सहायक एग्रीकल्चरल इन्टेलिजेन्स एवं पब्लिसिटी	१	

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
४१	श्रम संराधन अधिकारी	१	३१ मार्च, १९५६ अथवा नियमित चुनाव होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुमोदित।
४२	प्रिंसिपल, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस	१	
४३	केन्द्रीय डेयरी फार्म, अलीगढ़ के लिये पिगरी विशेषज्ञ	१	आयोग ने इस विशेषज्ञ को १ वर्ष के लिये अनुमोदित किया और सुझाव दिया कि उनके साथ एक सह अध्ययनकर्त्ता की नियुक्ति नियमित चुनाव के पश्चात् की जाय।
४४	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा द्वितीय श्रेणी में जिला पशुधन अधिकारीगण	३	तीनों रिक्तियों का विज्ञापन—वर्तमान पदधारियों के अन्य के साथ समानावसर ग्रहण करने की व्यवस्था सहित—करने का सुझाव दिया गया।
४५	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	१४	आयोग ने १० डाक्टरों को अनुमोदित किया। ४ के मामले निबटाये न जा सके क्योंकि वे वर्ष के अन्त तक प्राप्त हुये थे।
४६	कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, लखनऊ के लिये लेखा-अधिकारी (बीज)	१	
४७	कृषि एवं औद्यानिकीय अध्यापक, (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में)	७	

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
४८	अधीनस्थ गन्ना सेवा, प्रथम ग्रूप	७	ग्रूप २ से स्थानापन्न पदोन्नति के लिये २ अनुमोदित किये गये। ५ ज्येष्ठ कर्मचारी अवक्रमित कर दिये गये।
४९	उत्तर प्रदेश राजकीय संस्कृत पाठशालाओं में आधुनिक विषयों के अध्यापक	९	आयोग ने एक को, जो शैक्षिक अर्हता प्राप्त न था, प्रत्यावर्तित करने के लिये सलाह दी और शेष ८ अध्यापकों के विषय में कुछ और सूचना मांगी।
५०	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापक	३५	आयोग ने विधिवत् चुनाव तक के लिये ३४ का अनुमोदित किया। शेष १ के मामले में कुछ सूचना की प्रतीक्षा थी।
५१	कस्टोडियन, निष्क्रान्त सम्पत्ति (इवैकुई प्रापर्टी) के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	
५२	भूमि-व्यवस्था आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय	१	
५३	भूमि-व्यवस्था में लेखा-अधिकारी	१	इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि यदि पद एक वर्ष से अधिक चालू रहे तो इसकी भर्ती विज्ञापन के पश्चात् विधिवत् होनी चाहिये।

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
५४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	११	तीन अनुमोदित। दो अभ्यर्थियों के मामलों में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके १ वर्ष से अधिक चलने की संभावना नहीं थी। शेष ६ अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कुछ और सूचना मांगी गई।
५५	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	२	एक मामले में घटना पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया गया। दूसरे मामले में सम्पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में से एक विधिवत् चुनाव करने का सुझाव दिया गया।
५६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में कृषि पर्यवेक्षक	५	
५७	कार्यालयों के निरीक्षक	१	
५८	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (ज्येष्ठ वेतन-क्रम) में सीनियर रिसर्च साईकोलोजिस्ट	२	आयोग ने सुझाव दियाकि एक पद का विज्ञापन किया जाय और दूसरे को विधिवत् चुनाव से पदोन्नति द्वारा भरा जाय।
५९	लाइब्रेरियन (पुस्तकाध्यक्ष) लीगल रिमेम्बरेन्सर के पुस्तकागार में	१	नियमित चुनाव होने तक अथवा ६ मास के लिये, जो भी पहले हो, अनुमोदित।

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
६०	तहसीलदार	६१	आयोग ने २८ कर्मचारियों को सतत स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया और सुझाव दिया कि २ कर्मचारियों का अवक्रमण न्याययुक्त नहीं था। १० कर्मचारियों की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये वे सहमत नहीं थे।
६१	कारागार उद्योग के सहायक संचालक	१	जब तक शासन द्वारा जेल जांच समिति की संस्तुतियां परीक्षित नहीं हो जातीं तब तक के लिये इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया कि यदि कालान्तर्गत इस पद के वेतन का क्रम संशोधित हो गया एवं/अथवा उत्तर प्रदेश जेल्स डिपो के प्रबन्धक का पद पुनर्प्रतिष्ठापित किया गया, तो सहायक संचालक के पद पर भर्ती नियमित रूप से की जानी चाहिये ।
६२	प्रिंसिपल जनता महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में	१	३१ मार्च, १९५६ तक के लिये इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि जनता महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के समस्त तीनों पदों पर, यदि ये पद इसके बाद भी चलते रहे, विज्ञापन द्वारा भर्ती की जाय ।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्र-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
६३	प्रिंसिपल के सहायक, कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१	दिसम्बर, १९५४ में मांगी गई समस्त पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची शासन द्वारा नहीं प्रस्तुत की जा सकी क्योंकि इसका संकलन एक सहल कार्य नहीं था। अतः आयोग ने जुलाई, १९५५ में यह सुझाव दिया कि इस पद को सीधी भर्ती द्वारा, विज्ञापन, साक्षात्कारादि के पश्चात् भरा जाय।
६४	जेलर	७	आयोग ने सुझाव दिया कि पदोन्नति के हेतु चुनाव योग्यता के सिद्धांत पर सम्पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में से किया जाना चाहिये। उन्होंने शासन से यह भी अनुरोध किया कि वे जेलर के पदों पर पदोन्नति के लिये उप-जेलरों की पात्रता के लिये कम से कम ५ वर्ष की स्थायी सेवा की अवधि निर्धारित कर दें, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया।
६५	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापक	४३	५ मर गये। शेष अनुमोदित किये गये।
६६	अल्पकालिक सब-रजिस्ट्रार	१५	
६७	खेत प्रबन्धक, यान्त्रिकी राजकीय खेत, माधुरीकुन्ड, मथुरा	१	६ मास के लिये अथवा विज्ञापन के बाद विधिवत् चुने गये अभ्यर्थी के पदस्थ किये जाने तक के लिये, जो भी पहले हो, अनुमोदित।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
६८	पंचायत निरीक्षक गण	६	
६९	आब्स्टेट्रिक्स एवं गाईनोकालाजी के प्रोफेसर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा	१	
७०	आब्स्टेट्रिक्स एवं गाइनोकालाजी के रीडर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा	१	
७१	आब्स्टेट्रिक्स एवं गाइनोकालाजी के लेक्चरर, सरोजिनी नायडू मेडि-कल कालेज, आगरा	१	
७२	आबकारी निरीक्षक	१	अननुमोदित (अपनी नियुक्ति के १ वर्ष के अन्तर्गत ही उस अभ्यर्थी ने पद त्याग दिया था।)
७३	सूचना उप-संचालक	१	
७४	सहायक अभियन्ता (विद्युत् एवं यांत्रिक) सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	
७५	भूमि-व्यवस्था विभाग में लेखा अधि-कारी	७	६ मास के लिये जब तक कि विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती न की जावे, अनुमोदित।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
७६	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) प्रथम	२४	सभी ८ स्थानापन्न पदधारियों के अतिरिक्त आयोग ने दो और को स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस सेवा में विशेषज्ञों के पदों को, उदाहरणार्थ मानसिक चिकित्सालय (मेन्टल अस्पताल), आगरा के लिये सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।
७७	कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिये कृषि अर्थ-व्यवस्था एवं भूसम्पत्ति प्रबन्ध के सहायक प्राध्यापक	१	
७८	श्रम निरीक्षकगण	२	
७९	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	२	
८०	जिला प्रदाय अधिकारी/टाउन राशनिंग अधिकारी	११	
८१	बी० सी० जी० टीका योजना में क्षेत्र संगठनकर्त्ता	१	३१ मार्च, १९५६ तक के लिये अनुमोदित और सुझाव दिया गया कि यदि इस पद के आगे भी चलने की संभावना हो तो विज्ञापन और साक्षात्कारादि के पश्चात् सीधी भर्ती की जावे।
८२	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उप-संचालक	१	

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
८३	ओवरसियर्स, सिंचाई विभाग	१८	
८४	नायब तहसीलदार्स	२	
८५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा या विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भाषा अध्यापकगण	३५	आयोग ने २३ अध्यापकों की सतत नियुक्ति को अनुमोदित किया और ४ को, जो अनुपयुक्त पाये गये, प्रत्यावर्तित करने का सुझाव दिया। ५ अध्यापक पूर्व ही प्रत्यावर्तित किये जा चुके थे। शेष ३ की चरित्र-पंजियां मांगी गईं।
८६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	१०	आयोग ने ९ को अनुमोदित किया और एक को प्रत्यावर्तित करने का सुझाव दिया।
८७	डिप्टी कलेक्टर	१	आयोग ने यह संस्तुति की कि ३ कर्मचारी प्रत्यावर्तित कर दिये जायं क्योंकि वे निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के योग्य न थे। शासन दो को प्रत्यावर्तित करने पर तैयार हुये और १ का मामला पुनर्विचारार्थ आयोग को निर्देशित किया। आयोग ने मान लिया कि उसका परीक्षण एक वर्ष के लिये किया जाय।
८८	संचालक, गन्ना अन्वेषण, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा (ज्येष्ठ वेतन-क्रम) में	१	

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
८९	सहायक बिक्री-कर अधिकारीगण	३	३१ दिसम्बर, १९५६ तक अथवा विधिवत् चुने गये अभ्यर्थियों से अपदस्थ किये जाने तक के लिये सतत नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
९०	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापिकायें	४६	१२ अनुमोदित की गई (इन में एक ऐसी शामिल है, जिसके विषय में घटना पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया गया) और ३ अभ्यर्थियों को अपदस्थ कर नवनियुक्ति के लिये राय दी। शेष अभ्यर्थियों की चरित्र-पंजियां प्रत्येक को अद्यावधि तैयार करने के लिये लौटा दी गयीं। उनके मामले लटके रहे।
९१	राजकीय केन्द्रीय टैक्सटायल संस्था, कानपुर के लिये टैक्सटायल टेक्नोलाजी उपविभाग के अध्यक्ष	१	
९२	पुलिस के उपाधीक्षक	४२	२ रिक्तियों के लिये।
९३	सहायक अभियन्तागण, सार्वजनिक निर्माण विभाग	४	२ रिक्तियों के लिये।
९४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापक	३२	
९५	उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	१	

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
९६	अधीनस्थ कृषि सेवा, उपनिवेशन विभाग में प्रथम व द्वितीय ग्रूप	२४	दो अभ्यर्थियों के मामलों में घटना पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया गया। ३ अभ्यर्थियों के मामले प्रतिनियुक्तियों की भांति व्यवहृत किये गये। शेष १९ अभ्यर्थियों के विषय में आयोग ने उनके साक्षात्कार किये जाने के अनन्तर अपना मत व्यक्त करने का निश्चय किया। वर्ष के अन्तर्गत साक्षात्कार नहीं किया जा सका।
९७	तहसीलदार्स	१०७	२९ रिक्तियों के लिये।
९८	सैन्य शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इन्स्ट्रक्टर्स	३	विधिवत् चुनाव होने तक सतत नियुक्ति के लिये एक अनुमोदित किया गया। शेष दो के सम्बन्ध में आयोग ने राय दी कि चूंकि आयोग द्वारा ये अस्थायी नियुक्ति के लिये संस्तुत किये जाने के फलस्वरूप निर्बाध रूप से निरन्तर स्थानापन्न रूप से कार्य कर चुके थे, अतः पदों के स्थायी न बनाये जाने तक आयोग से कोई नवीन अनुमोदन लेना आवश्यक न था तथा उन पर अस्थायी पदधारियों की नियुक्ति का प्रश्न तब तक न उठाया जाय।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
९९	राजकीय देशीय चिकित्सालयों, उत्तर प्रदेश के लिये हकीम	६	एक अनुमोदित किया गया । चूंकि शेष ५ की नियुक्तियां १ वर्ष से अधिक नहीं होने की थीं, यह सुझाव दिया गया कि उनके मामले आयोग को पुनः निर्देशित किये जायं, यदि तनिक भी आवश्यक समझा जाय ।
१००	ग्रामोद्योग नियोजन में विशेषज्ञ,रिसर्च एवं ऐक्शन संस्थान, उत्तर प्रदेश	१	३१ मार्च, १९५७ तक या एक विधिवत् चुने गये अभ्यर्थी द्वारा पद ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिये अनुमोदित।
१०१	सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियर्स	३१	मई १९५५ में, ओवरसियरों के १०० पदों के लिये अभ्यर्थियों को संस्तुत करते हुये आयोग ने अस्थायी रिक्तियों में पदस्थ ३१ विभागीय अभ्यर्थियों को भविष्य में १ वर्ष तक परीक्षण के हेतु उनको निरन्तर नियुक्ति के लिये भी अनुमोदित किया। अस्थायी नियुक्तियों के लिये, जो एक वर्ष से अधिक की न थीं, साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों में से २६ अभ्यर्थियों की एक और सूची भी प्रेषित की गई । उनका मामला वस्तुतः केवल सीधी भर्ती का ही था।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१०२	जिला नियोजन अधिकारीगण	५१	आयोग ने यह मान लिया कि इनमें से ४९ की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा थी और १ की नियुक्ति को अनुमोदित किया, जिससे आयोग ने सन् १९४९ में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पद के लिये चुना था। शेष एक कर्मचारी ऐसा था, जिसे आयोग ने इससे पूर्व ही विधिवत् चुनाव होने तक के लिये अनुमोदित किया था। आयोग ने शासन को स्मरण दिलाया कि उसके द्वारा गृहीत पद को शीघ्र ही विज्ञापित किया जाये।
१०३	प्रोजेक्ट अधिशासी अधिकारी	१	आयोग ने मान लिया कि यह एक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति का मामला था।
१०४	प्रोजेक्ट उपअधिशासी अधिकारी	२८	आयोग ने १० कर्मचारियों को अनुमोदित कर दिया और सहमत हुये कि १४ कर्मचारियों के मामले प्रतिनियुक्ति के थे। वे एक कर्मचारी के विधिवत् चुनाव होने तक के लिये उसकी निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये भी सहमत हुये। एक अन्य कर्मचारी के विषय में उन्होंने यह राय दी कि उसके द्वारा गृहीत पद नियमानुकूल पदोन्नति द्वारा भरा जाय, शेष २ कर्मचारियों के विषय में और सूचना मांगी गई।

परिशिष्ट ६—(समाप्त)

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१०५	प्रशिक्षण सहित विस्तार प्रोजेक्ट्स में विभिन्न पद	१४	इनमें से ५ पदों को अराजपत्रित स्थिति में कर दिया गया था और शेष ९ को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया बताया गया। तथापि एक कर्मचारी के विषय में, जिसके मामले में थोड़ा सा सन्देह प्रतीत हुआ, अन्य सूचना मांगी गई।
	योग	९९४	

परिशिष्ट ६ (अ)

नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या, जिन पर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
१	सहायक कस्टोडियन, निष्क्रान्त सम्पत्ति	७	कुछ सूचना तथा समस्त पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र-पंजियां मांगी गयी थीं ।
२	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा, द्वितीय (पुरुष शाखा)	११	निबटाया न जा सका, (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ६)।
३	सचिव, विधान परिषद्	१	कुछ पूछताछ की गई ।
४	कृषि के सहायक प्राध्यापक, कृषि-महाविद्यालय, कानपुर	१	कुछ सूचना और अवक्रमित कर्मचारियों की चरित्र-पंजियां मांगी गयी थीं ।
५	ज्येष्ठ सांख्यिकी, सहायक और सांख्यिकी अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में	२	...
६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जीव-शास्त्र के सहायक अध्यापक	२	२३ मार्च, १९५६ को प्राप्त हुआ ।
७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	२२	कुछ सूचना मांगी गई थी ।
८	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा, द्वितीय श्रेणी में जिला पशुधन अधिकारी (राजपत्रित)	१	कुछ सूचना मांगी गई थी ।
९	श्रम निरीक्षक	१	...
१०	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अधीक्षक	१	कुछ सूचना मांगी गयी थी।

परिशिष्ट ६ (अ)—(क्रमशः)

नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या, जिन पर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
११	गन्ना निरीक्षक	६	कुछ सूचना और चरित्र-पंजियां मांगी गयी थीं ।
१२	कोषागार अधिकारी	८	चरित्र-पंजियां और कुछ सूचना की प्रतीक्षा थी ।
१३	अनुपंजीयक (सब-रजिस्ट्रार)	२	वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ ।
१४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	३०	तदेव
१५	तराई के राजकीय खेत के लिये कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी में	२	तदेव
१६	उपसंचालक, यान्त्रिकी राजकीय खेत, उत्तर प्रदेश	१	चरित्र-पंजियों की प्रतीक्षा थी ।
१७	खेत प्रबन्धक, यान्त्रिकी राजकीय खेत, हस्तिनापुर, मेरठ	१	वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ ।
१८	शासन के रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश के अधीन रासायनिक सहायक	७	तदेव
१९	नियोजन, अन्वेषण एवं क्रियात्मक संस्थान, लखनऊ के लिये सहकारिता में विशेषज्ञ के ज्येष्ठ सहचर (सीनियर असोसियेट)	१	तदेव
२०	राजकीय पौलीटेक्निक, चरखारी, हमीरपुर के लिये अधीक्षक एवं सिलाई निर्देशक	२	तदेव

परिशिष्ट ६ (अ)--(क्रमशः)

नियमितकरण के वे मामले, जो एक अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या, जिन पर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
२१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लेक्चरर तथा जनता महाविद्यालयों के प्रसार अध्यापक	२७	वर्ष के अन्तिम समय में प्राप्त हुआ ।
२२	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापिकायें	३६	तदेव
२३	कृषि अधिकारी/सहायक उपनिवेशन अधिकारी, राजकीय स्टेट खेत, तराई, नैनीताल	१	मांगी गई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी ।
२४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में प्रधानाध्यापिकायें	१६	मांगी गई सूचना और चरित्र-पंजियां वर्ष के अन्तिम समय में प्राप्त हुई थीं ।
२५	ओवरसियर्स, सिंचाई विभाग	८	...
२६	कृषि अभियन्ता, सिंचाई विभाग	१	कुछ सूचना मांगी गई थी ।
२७	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा, द्वितीय	१	वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुई ।
२८	सहकारी निरीक्षकगण	२	कुछ सूचना मांगी गई थी ।
२९	प्रति-उप-विद्यालय निरीक्षक	६	इन कर्मचारियों के मामले गत वर्ष उनकी चरित्रावलियों के अभाव में नहीं निबटाये जा सके । उनकी चरित्र-पंजियां १९५५-५६ के अन्तर्गत भी नहीं प्राप्त हुई थीं ।
३०	राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के लिये आधुनिक विषयों में अध्यापक	८	और सूचना मांगी गई (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ४९)।

परिशिष्ट ६ (अ)—(क्रमशः)

नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या जिन पर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
३१	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापक	१	कुछ सूचना की प्रतीक्षा थी। (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ५०)।
३२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	६	कुछ सूचना मांगी गई थी। (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ५४)।
३३	उप-प्रोजेक्ट अधिशासी अधिकारीगण	२	कुछ सूचना मांगी गई थी। (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या १०४)।
३४	उप-संचालक, यान्त्रिकी राजकीय खेत, उत्तर प्रदेश के अधीन अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रुप में डेयरी और पशु प्रभारी	१०	जुलाई, १९५४ में मांगी गई चरित्र-पंजियां १९५५-५६ के वर्ष के भीतर नहीं प्राप्त हुई थीं)।
३५	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	४	वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुई (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ८५)।
३६	शारीर (अनाटामी) में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	उनके कार्य के विषय में प्रतिवेदन मांगा गया था।
३७	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापिकायें	३१	चरित्र-पंजियां उनको अद्यावधि तैयार करने के लिये वापस कर दी गई थीं (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ९०)।
३८	राजकीय ज्योतिषीय वेधशाला, नैनीताल के लिये प्रयोगशाला सहायक और यान्त्रिक	१	...

परिशिष्ट ६ (अ)—(समाप्त)

नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या जिन पर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
३९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापकगण	१११	मांगी गई सूचना वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई थी।
४०	उपनिवेशन विभाग में अधीनस्थ कृषि-सेवा के प्रथम और द्वितीय ग्रूप	१९	आयोग ने निश्चय किया कि वे उनकी उपयुक्तता के विषय में उनका साक्षात्कार करने के पश्चात् सुझाव देंगे, जोकि वर्ष के अन्तर्गत न किया जा सका। (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ९६)।
४१	प्रशासन अधिकारी, गंगाखादर उप-निवेशन योजना, जिला मेरठ	१	पत्र-व्यवहारान्तर्गत रहा।
४२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा या विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भाषा अध्यापक	३	चरित्रपंजियां मांगी गई थीं। (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या ८५)।
४३	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	१६	सीधी भर्ती द्वारा एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की पृथक् सूची तथा अवक्रमित कर्मचारियों की चरित्रपंजियां, जो मांगी गई थीं, वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई थीं।
४४	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप	२०	तदेव
४५	प्रशिक्षण एवं विस्तार प्रोजेक्ट में विभिन्न पद	१	कुछ सूचना मांगी गई थी। (देखिये परिशिष्ट ६ की मद संख्या १०५)।
	योग ...	४४२	

परिशिष्ट ७

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
१	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, इलाहाबाद के लिये सहायक अध्यापक (संगीत)	१	अनुमोदित।
२	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के लिये हिन्दी प्रतिवेदक	२	अननुमोदित, क्योंकि प्रारम्भ में चुनाव बिना आयोग से परामर्श लिये किया गया था। प्रतियोगितात्मक परीक्षोपरान्त सीधी भर्ती करने का सुझाव दिया गया।
३	सार्वजनिक निर्माण एवं विद्युत् विभागों में सहायक अभियन्तागण	*	*आयोग ने मान लिया कि इस मामले में उनसे परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तदनन्तर ३० अधिकारियों का शासन ने पुष्टिकरण कर दिया।
४	पुलिस के उपाधीक्षक	१	अनुमोदित।
५	सामान्य सचिवालय में आशुलिपिकों के अधीक्षक	१	अनुमोदित।
६	स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्तागण	३	अनुमोदित।

परिशिष्ट ७--(क्रमशः)

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधो भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे ।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
७	मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारीगण, आबकारी विभाग	६	आयोग ने ४ को पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित किया और यह राय दी कि शेष २ पदों को विज्ञापित किया जाय । शासन ने आयोग द्वारा अनुमोदित चारों कर्मचारियों को पुष्टिकृत किया और उनसे अनुरोध किया कि शेष २ के मामलों पर वे पुनर्विचार करें। आयोग ने मामले पर पुनर्विचार किया लेकिन पूर्व व्यक्त निश्चय पर अडिग रहे ।
८	उत्तर प्रदेश ब्वायलर्स एवं कारखाना निरीक्षकों की सेवा, द्वितीय श्रेणी, में ब्वायलर्स के निरीक्षक	१	दो वर्ष के परीक्षणकाल पर रखे जाने के लिये अनुमोदित ।
९	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	१	पुष्टिकरण के लिये अननुमोदित। आयोग ने सुझाव दिया कि उसका कार्य अगले वर्ष तक देखा जाय ।

परिशिष्ट ७--(क्रमशः)

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
१०	सहायक रासायनिक अन्वेषण संस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	पुष्टिकरण के लिये अननुमोदित, क्योंकि वह अनर्ह था और इस पद को एक अन्य पद के साथ विज्ञापित किया गया। यह मामला आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर से निर्देशित किया गया, इस विवरण के सहित कि अपनी अस्थायी नियुक्ति के समय सन् १९४६ में उस समय प्रचलित शैक्षिक योग्यताओं को वह रखता था। आयोग अपने पूर्व मत पर दृढ़ रहे, लेकिन उसको सीधी भर्ती के लिये अन्य अभ्यर्थियों के साथ अवसर ग्रहण करने की आज्ञा दे दी, जिसने वैसा ही किया।
११	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के ज्येष्ठ वेतन-क्रम में उद्भिद व्याधिकीविद् (प्लान्ट पैथालोजिस्ट)	१	अनुमोदित।
१२	उत्तर प्रदेश न्यायाधिकारी सेवा	१५१	आयोग ने सभी अस्थायी न्यायाधिकारियों का साक्षात्कार १७, १८, २१ से २५, २८, ३० नवम्बर और १ दिसम्बर, १९५५ को किया और ६१ कर्मचारियों को ६० स्थायीकृत पदों पर पुष्टिकरण के लिये, ८५ कर्मचारियों को सतत अस्थायी नियुक्ति के लिये और शेष ५ को एक मास की सूचना पर पदच्युत करने के लिये संस्तुत किया।

परिशिष्ट ७—(क्रमशः)

एसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
१३	अधीनस्थ जन-स्वास्थ्य सेवा, प्रथम वर्ग	१	अनुमोदित।
१४	सूचना संचालक वर्ग में फोटोग्राफी और फिल्म्स के प्रभारी अधिकारी	१	अनुमोदित।
१५	नर्सरीज के प्रभारी विशेषाधिकारी	१	अनुमोदित।
१६	पंचायत निरीक्षकगण	५	सतत अस्थायी नियुक्ति के लिये भी अननुमोदित।
१७	स्वायत्त शासन अभियन्त्रणा विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत् एवं यान्त्रिक)	१	अनुमोदित।
१८	राजकीय रेडियो अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो उपविभाग में	१	पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित।
१९	सहायक रेडियो अधिकारी (प्राविधिक)	१	निबटाया न गया, क्योंकि कुछ सूचना मांगी गई थी।
२०	,, ,, (संधारण)	१	एक वर्ष के परीक्षणकाल पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
२१	,, ,, (प्रशासन)	१	एक वर्ष के परीक्षणकाल पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित।

परिशिष्ट ७--(क्रमशः)

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
२२	बिक्री-कर अधिकारीगण	५६	विभागीय चुनाव समिति ने ४९ को पुष्टिकरण के लिये संस्तुत किया। आयोग ४५ के पुष्टिकरण के लिये सहमत हो गये और १ को १ वर्ष के और परीक्षण पर और १० को विधिवत् चुने गये अभ्यर्थियों द्वारा पद निवृत्त किये जाने तक संस्तुत किया।
२३	अधीक्षक के पदों पर पुष्टिकरण के लिये मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकगण एवं आशुलिपिकों के अधीक्षक	१०	आयोग ने ८ को पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित किया। वे २ कर्मचारियों के पुष्टिकरण के लिये सहमत न हुये।
२४	ब्वायलर्स के निरीक्षक	१	अननुमोदित, क्योंकि वह कारखानों के निरीक्षक के पद के लिये चुना जा चुका था।
२५	जिला गव्यशाला (डेरी) प्रदर्शन क्षेत्र, मथुरा के लिये सहायक क्षेत्र प्रबन्धक एवं कल्टिवेशन इन्चार्ज	२	अनुमोदित।
२६	सहायक अभियन्तागण, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग	३६	आयोग ने ३५ अस्थायी कर्मचारियों का साक्षात्कार ८, ९ और १० फरवरी, १९५६ को करके और १ पर उनकी अनुपस्थिति में विचार करने के उपरान्त ३० को पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित किया।

परिशिष्ट ७--(क्रमशः)

एसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
२७	सहायक बिक्री-कर अधिकारीगण	५५	विभागीय चुनाव समिति ने ४५ कर्मचारियों को पुष्टिकरण के लिये संस्तुत किया। आयोग केवल ३४ अधिकारियों के पुष्टिकरण के लिये सहमत हुआ, ३ को परीक्षणकाल पर रखने और १६ को पदच्युत करने की संस्तुति की। उन्होंने दो अधिकारियों के विषय में, जिनके विवरण मांगे गये थे, अपने मत रोक रक्खे।
२८	द्वितीय सहायक शिक्षक, राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्थान, बनारस	१	अनुमोदित।
२९	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन ज्येष्ठ अनुसन्धाता (सीनियर इन्वेस्टीगेटर)	२	आयोग ने १ अधिकारी के पुष्टिकरण को मान लिया। दूसरे के विषय में उनका मत था कि जिस पद पर उसे पुष्टिकृत करने का प्रस्ताव किया गया था, स्थायी तौर से रिक्त नहीं पाया गया। अतः किसी के उस पर पुष्टिकृत किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।
३०	शासन के क्राप फिजिओलिस्ट, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित।
३१	श्रम अधिकारी	१	अनुमोदित।

परिशिष्ट ८--(क्रमशः)

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	[illegible]
३२	ओवरसियर्स, सिंचाई विभाग	६	एक अवकाश प्राप्त था। पांच अनुमोदित।
३३	वाइस प्रिंसिपल, राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल संस्थान, इलाहाबाद	१	अनुमोदित।
३४	पंचायतों के अतिरिक्त सहायक संचालक	१	अनुमोदित।
३५	सामान्य प्रबन्धकगण	२	इनमें से १ आयोग द्वारा पुष्टि-करण के लिये संस्तुत किया गया था। बाद में वह लापरवाह एवं निम्न स्तर का पाया गया। अतः शासन ने प्रस्तावित किया कि उसे पुष्टिकृत न किया जाय, वरन् स्थानापन्न अवस्था में ही एक वर्ष के लिये और रहने दिया जाय। आयोग ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में उसे १ वर्ष के परीक्षणकाल पर रक्खा जाय। शासन ने मान लिया। दूसरा अभ्यर्थी हटाये जाने के लिये आयोग द्वारा संस्तुत किया गया। शासन ने प्रस्ताव किया कि उसकी १९५४-५५ की अच्छी प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुये उसे १ वर्ष के लिये रहने दिया जाय। आयोग ने यह मान लिया।

परिशिष्ट ७––(क्रमशः)

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम–संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचा–रियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
३६	असिस्टेंट सर्विस मैनेजर	२	आयोग ने सुझाव दिया कि दोनों स्थायी पदों का विज्ञापन किया जाय, स्थानापन्न पदधारी अन्यों के साथ अवसर ग्रहण करें। शासन ने प्रस्ताव किया कि दोनों स्थानापन्न पदधारी २ वर्ष के परीक्षणकाल पर नियुक्त किये जायं। आयोग ने नहीं माना और अपने पूर्व मत को ही रक्खा। इस पर शासन ने आयोग के मत को मान लिया।
३७	उप–पंजीयक, सहकारी समितियां	३	अनुमोदित।
३८	सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां	८	अनुमोदित।
३९	कृषि विभाग में लेखा अधिकारीगण	४	वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ। अतः निबटाया न जा सका।
४०	राजकीय मुद्रणालयों के लिए सहायक अधीक्षक	१	तदेव
४१	क्षेत्र प्रबन्धक, यान्त्रिकी राजकीय क्षेत्र, सईदपुर (राजपत्रित)	१	तदेव
४२	शारीर में लेक्चरर, उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के लिये	१	तदेव
४३	सूचना संचालक वर्ग में अधीक्षक	१	तदेव

परिशिष्ट ७--(समाप्त)

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	विचार किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
४४	संराधन अधिकारी	१	यह निबटाया न जा सका, क्योंकि कुछ पत्रादि मांगे गये थे।
४५	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय में महिला चिकित्सक	४	अनुमोदित।
४६	रोडवेज संगठन में स्पेयर पार्ट्स नियन्त्रण अधिकारी	१	अननुमोदित। आलेख्य विज्ञान मांगा गया।
	योग ...	३८४	

परिशिष्ट ८

असाधारण चोट या पारिवारिक पेन्शनों और/अथवा उपदानों के सम्बन्ध में सन् १९५५-५६ के अन्तर्गत निम्नांकित व्यक्तियों से दावे प्राप्त हुये—

(१) गोरखपुर जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल रघुबीर पांडे का परिवार।

(२) पीलीभीत जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर राम औतार सिंह का परिवार।

(३) गढ़वाल वन खंड के स्वर्गीय फारेस्टर गोपाल सिंह रावत का परिवार।

(४) कानपुर जिला पुलिस के मृत कान्स्टेबिल गोकुल प्रसाद की माता।

(५) नलकूप शाखा बदायूं के नलकूप चालक, स्वर्गीय श्री भगवान दास का परिवार।

(६) सहारनपुर जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल मुस्तफा हुसेन का परिवार।

(७) पूर्वी यमुना नहर के अपर डिवीजन के स्वर्गीय रनर राजा राम के पिता।

(८) रेलवे सुरक्षा पुलिस, इलाहाबाद के दिवंगत कान्स्टेबिल राम खेलावन तिवारी का परिवार।

(९) आगरा जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल नवाब सिंह का परिवार।

(१०) आठवीं बटालियन, पी० ए० सी०, बरेली के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल कीरत राम का परिवार।

(११) पन्द्रहवीं बटालियन, पी० ए० सी०, आगरा के स्वर्गीय कान्स्टेबिल विन्ध्याचल पान्डे का परिवार।

(१२) इटावा जिला पुलिस के मृत कान्स्टेबिल दूधनाथ सिंह का परिवार।

(१३) १५वीं बटालियन, पी० ए० सी०, आगरा के स्वर्गीय कान्स्टेबिल श्री प्रसाद सिंह का परिवार।

(१४) बदायूं जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर इन्दल सिंह का परिवार।

(१५) द्वितीय बटालियन, पी० ए० सी०, मुरादाबाद के प्लेटून कमान्डर, दिवंगत श्री अख्तर सईद खां का परिवार।

(१६) गोरखपुर जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल पारस नाथ सिंह की विधवा।

(१७) प्रोबेशनरी पुलिस के उपाधीक्षक, स्वर्गीय श्री बी० एल० अहेरवार के पिता।

(१८) पीलीभीत जिला पुलिस के मृत कान्स्टेबिल कुशल मनि की विधवा।

(१९) चतुर्थ बटालियन, पी० ए० सी०, इलाहाबाद के मृत हेड कान्स्टेबिल शिव बहादुर सिंह का परिवार।

(२०) श्री डब्ल्यू० पाटिन्सन, भूतपूर्व कृषि अभियन्ता, लखनऊ को उनके दाहिने हाथ की अनामिका में चोट के कारण।

(२१) चतुर्दश बटालियन, पी० ए० सी०, कानपुर के स्वर्गीय कान्स्टेबिल सर्वश्री शिव मूरत राम और शारदा बख्श सिंह के परिवार।

(२२) आगरा जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर, श्याम सुन्दर लाल का परिवार।

परिशिष्ट द—(समाप्त)

(२३) सीतापुर जिला के स्वर्गीय कान्स्टेबिल करार हुसेन का परिवार।

(२४) आगरा जिला पुलिस के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल राम प्रसाद यादव का परिवार।

(२५) पंचदश बटालियन, पी० ए० सी०, आगरा के स्वर्गीय कान्स्टेबिल कुंवर सिंह के पिता।

(२६) तराई और भाबर वन खंड के क्षेत्रीय अर्दली स्वर्गीय विशम्भर दत्त बिष्ट की विधवा।

(२७) पूर्वी वृत्त, नैनीताल के डिप्टी रेन्जर स्वर्गीय श्री अजीजुल हसन नकवी का परिवार।

(२८) पंचम दश बटालियन, पी० ए० सी०, अगरा के स्वर्गीय कान्स्टेबिल राज बहादुर सिंह का परिवार।

(२९) मिर्जापुर जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर कल्प नाथ सिंह का परिवार।

(३०) अलीगढ़ जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल रघुराज सिंह के पिता-माता।

(३१) मुरादाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल बालम सिंह का परिवार।

(३२) पशु पालन विभाग के चपरासी स्वर्गीय भगवान दास के आश्रितजन।

(३३) पीलीभीत वन खंड के वनरक्षक स्वर्गीय श्री शमशुद्दीन का परिवार।

(३४) झांसी जिला पुलिस के अवकाश प्राप्त हेड कान्स्टेबिल राम आसरे।

(३५) बाराबंकी जिला पुलिस के मृत कान्स्टेबिल उदय राज मिश्र के माता-पिता।

(३६) पंचदश बटालियन, पी० ए० सी०, आगरा के मृत कान्स्टेबिल बिशाल प्रसाद का परिवार।

(३७) अलीगढ़ जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल राम नाथ का परिवार।

(३८) अलीगढ़ जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल इब्राहीम बेग के मृत्योत्तर जात शिशु।

(३९) मुजफ्फरनगर जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल बुद्धि प्रकाश के मृत्योत्तर जात शिशु।

परिशिष्ट ९

निम्नलिखित वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के दावे, जो १९५५-५६ के अन्तर्गत प्राप्त हुये :—

(१) श्री मदन मोहन सिंह अहलूवालिया, आबकारी निरीक्षक को एक मुकदमे में अपनी पैरवी करने के लिये, जो कि एक क्रिमिनल मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा १६१ के अन्तर्गत उनके विरुद्ध दायर किया गया था।

(२) सर्वश्री किशन दयाल और रघुबीर सिंह, एटा जिला पुलिस के कान्स्टेबिलों को एक मुकदमे में अपनी पैरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं ३०४/३०८ के अन्तर्गत दायर किया गया था।

(३) श्री हीरा सिंह, बिजनौर जिला के सब-इन्स्पेक्टर को एक मुकदमे में अपनी पैरवी करने के सम्बन्ध में, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं २२०/३८४ के अन्तर्गत दायर किया गया था।

(४) श्री एस० जे० रसेल, ट्राफिक निरीक्षक को एक मुकदमे में अपनी पैरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारायें १९३/२११ के अन्तर्गत दायर किया गया था।

(५) श्री आर० पी० दुबे को एक शिकायती मुकदमे में पैरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं ३३०/३२३/३४२ के अन्तर्गत दायर किया गया था।

(६) श्री मोहम्मद हनीफ, सब-इन्स्पेक्टर को अपनी पैरवी करने के लिये एक मुकदमे के सम्बन्ध में, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं २२०/३२३/३४२/५०० के अन्तर्गत दायर किया गया था।

(७) नैनीताल जिले के कान्स्टेबिल श्री करन सिंह को अपनी पैरवी करने के लिये एक मुकदमे में, जो कि उनके विरुद्ध इन्डियन पीनल कोड की धारा ३४२ के अन्तर्गत दायर किया गया था।

(८) श्री बाबू खां, सब-इन्स्पेक्टर को एक मुकदमे में अपनी पैरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इन्डियन पीनल कोड की धाराओं ३५४/४५७ के अन्तर्गत दायर किया गया था।

परिशिष्ट १०

सेवाओं तथा पदों के नियम

(१) राजकीय कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण ।

(२) वैद्य एवं हकीमों के अधीनस्थ सेवा नियम ।

(३) अधीनस्थ आबकारी सेवा नियम ।

(४) उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियां) नियम ।

(५) सिंचाई विभाग में अस्थायी एवं स्थानापन्न ओवरसियरों के लिये विभागीय परीक्षा के आलेख्य नियम ।

(६) उत्तर प्रदेश कारागार (कारागरों के उप-प्रधान निरीक्षक) सेवा के आलेख्य नियम ।

(७) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के वैयक्तिक सहायक (कार्यालय) के पद पर भर्ती के विधि सम्बन्धी आलेख्य नियम ।

(८) उत्तर प्रदेश मुख्य प्रोबेशन (सुधारक) अधिकारी सेवा नियमों, १९५३ के नियम ८ का संशोधन ।

(९) उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा (पुरुष शाखा) नियमों, १९४५ के नियम १८ का संशोधन ।

(१०) वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन नियमों के अनुच्छेदों ४९-ब और ५५ (३) का संशोधन ।

(११) सिंचाई विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रणा सेवा नियमों, १९५१ के नियम ९ (ब) में अस्थायी एवं स्थानापन्न कर्मचारियों के लिये वांछित क्रियात्मक ज्ञान के सम्बन्ध में एक परन्तुक का निवेश ।

(१२) उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम ११, १८ (१) और २० (ब) में संशोधन ।

(१३) उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उप-माल अधिकारीगणों के सेवा नियमों, १९५३ के नियम ६ में संशोधन ।

(१४) शासनाज्ञाओं के मैन्युअल (संकलन) के पैरा ३२३ (अ) में संशोधन ।

(१५) उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) नियमों, १९५१ के परिशिष्ट ई में संशोधन ।

(१६) उत्तर प्रदेश मनोरंजन एवं बाजी (बेटिंग) कर सेवा नियमों, १९५५ ।

(१७) सार्वजनिक निर्माण विभाग में समस्त अस्थायी एवं स्थानापन्न ओवरसियरों के लिये निर्धारित विभागीय परीक्षा में हिन्दी को भी अन्य विषयों में से एक निर्धारित करने के लिये पाठविधि के सम्बन्ध में भवन एवं मार्गशाखा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की आज्ञाओं के मैन्युअल (संकलन), प्रथम ग्रन्थ खंड, के नियम २७-अ का संशोधन ।

(१८) अधीनस्थ एकानामिक इन्टेलिजेन्स सेवा के आलेख्य नियमों के नियम १९ का पुनरीक्षण ।

(१९) उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स एवं रजिस्ट्रेशन निरीक्षकों के सेवा नियमों, १९४२ के नियम ५ और ९ के संशोधनों का शुद्धि-पत्र ।

परिशिष्ट १०—(क्रमशः)

(२०) प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (१) के अधिकारियों का सिविल सर्जन के पदों पर पदोन्नति के लिये विभागीय चुनाव समिति के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा (पुरुष शाखा) नियमों, १९४५ के नियम २५ (२) में संशोधन।

(२१) प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के राजपत्रित कर्मचारिवर्ग को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अन्तर्निधान करने के लिये प्रस्तावित सामान्य नियम का संशोधन।

(२२) सार्वजनिक निर्माण विभाग में विद्युत् निरीक्षक की शाखा में अस्थायी सहायक विद्युत् निरीक्षकों एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (विद्युत् एवं यान्त्रिक) के लिये व्यावसायिक एवं हिन्दी परीक्षाओं के आलेख्य नियमों के नियम ३ का संशोधन।

(२३) मुख्य अंकेक्षण अधिकारी एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारीगण, सहकारी समितियां तथा पंचायत, उत्तर प्रदेश के पदों पर भर्ती करने की विधि एवं श्रोत।

(२४) डिप्टी जेलरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता को "इन्टर उत्तीर्ण" से "स्नातक डिग्री" तक उन्नत करना।

(२५) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों का नियमितकरण करने की प्रक्रिया, जो जमींदारी उन्मूलन हानिपूर्ति नायब तहसीलदार हैं।

(२६) अवर से उच्च सेवा या पद के लिये पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के विषय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

(२७) पुलिस निरीक्षकों के मध्य में से पुलिस के उपाधीक्षक (शिकायतों) के पदों पर चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया।

(२८) ७५–५–१२० रु० के वेतन–क्रम वाले वर्तमान अंकेक्षकों को १२०–२५० रु० के पुनरीक्षित वेतन–क्रम में चुनाव किये जाने के लिये निर्धारित अर्हकरी परीक्षा की पाठविधि।

(२९) सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के पुष्टिकृत किये जाने के लिये चुनाव की विधि।

(३०) सचिवालय में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले सहायकों को स्थायी सेवा में अन्तर्निधान करने के लिये सिद्धांत।

(३१) विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायकों के पदों को भरे जाने की प्रक्रिया एवं विधि।

(३२) सम्मिलित राजकीय सेवाओं की परीक्षा की पाठ–विधि में कृषि पर अधिक प्रश्न–पत्र पुरःस्थापन करने का प्रस्ताव।

(३३) चकबन्दी अधिकारियों के पदों पर भर्ती करने के हेतु ऐसे सुपरवाइजर कानूनगोओं को, जिन्होंने ५ वर्ष से कम सेवायें न अर्पित की हों, कम से कम १ वर्ष के लिये स्थानापन्न तहसीलदार रहे हों और १ वर्ष के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हों, पात्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

(३४) परिगणित जाति तथा अन्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित राजकीय सेवाओं की परीक्षा में केवल तीन बार बैठने के प्रतिबन्ध को हटाने का प्रश्न।

(३५) सचिव, विधान सभा एवं परिषद्, उत्तर प्रदेश के पदों पर भर्ती के लिये तदर्थ सिद्धांत।

परिशिष्ट १०--(समाप्त)

(३६) सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिये चुने गये विभागीय एवं वाह्य अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निश्चित करने के लिये सिद्धांत--उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अराजपत्रित मिनिस्टीरियल कर्मचारिवर्ग नियमों, १९४२ के नियम ३४ का पुनरीक्षण।

(३७) ओरिएन्टल कालेज, कानपुर के प्रिन्सिपल और प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती करने के लिए निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम अर्हताओं का निश्चयन।

(३८) राजपत्रित सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के मामले में परिगणित जातियों के लिए आयु में रियायत ३ से ५ वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

(३९) नियमों के निर्माण होने तक कारागारों के प्रधान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की विधि।

(४०) प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

परिशिष्ट ११

महत्वपूर्ण विविध निर्देश

१—श्रीमती यू० ला० फ़्रैनेज, मेट्रन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ की और एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति।

२—अस्थायी संचालक, कारागारोद्योग, उत्तर प्रदेश तथा सचिव, कारागारोद्योग जांच समिति के रूप में डा० बी० ए० अग्निहोत्री की पुनर्नियुक्ति।

३—अधीनस्थ जनस्वास्थ्य सेवा, प्रथम वर्ग में डा० एम० आर० अग्रवाल, मीत सिंह, बी० के० दुबे, बी० पी० शुक्ला, राम करन सिंह, मंगल सेन, पशुरा सिंह, एस० एस० गंगवार, बी० एस० गुप्ता और आत्मा राम की पुनर्नियुक्ति।

४—उत्तर प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा में डा० एम० एन० अग्रवाल की और एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति।

५—अवकाश प्राप्त डिप्टी कलक्टर श्री जगराम सिंह की लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूमि अवाप्ति अधिकारी (लैन्ड एक्वीजिशन अफसर) के रूप में एक वर्षोत्तर सतत पुनर्नियुक्ति।

६—डा० (कुमारी) ए० मुन्डले, अधीक्षक, डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद की और एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति।

७—श्री पी० एल० शर्मा, अवकाश प्राप्त सहायक महांकिक की सहायता एवं पुनर्वास के आयुक्त के वित्तीय परामर्शदाता के रूप में पुनर्नियुक्ति।

८—श्री रघुनन्दन प्रसाद मिश्र की अस्थायी डिप्टी कलक्टर के रूप में सतत पुनर्नियुक्ति।

९—श्री गजाधर लाल की खाद्य एवं रसद विभाग में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१०—श्री कृष्ण स्वरूप गोयल की ३१ मार्च, १९५६ तक के लिए वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, में विशेषाधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति।

११—श्री उमेश्वर सिंह रावत, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलक्टर की डिप्टी कलक्टर, अल्मोड़ा के रूप में पुनर्नियुक्ति।

१२—श्री क्षत्रपाल सिंह, अवकाश प्राप्त स्थानापन्न डिप्टी कलक्टर की एक वर्ष से अधिक की पुनर्नियुक्ति।

१३—डा० सी० बी० सिंह, सर्जरी के प्राध्यापक, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा की पुनर्नियुक्ति।

१४—श्री बी० एन० वर्मा, अवकाश प्राप्त निर्देश लिपिक की उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के रूप में पुनर्नियुक्ति।

१५—श्री फतेह सिंह खांडारी, अस्थायी ओवरसियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की पुनर्नियुक्ति।

१६—डा० खजान चंद, अधीक्षक, भुवाली आरोग्यशाला की एक वर्ष और ३ महीने की अवधि के लिए और पुनर्नियुक्ति।

१७—श्री मुन्शी लाल, अवकाश प्राप्त तहसीलदार की भूमि चकबन्दी योजना में ६० वर्ष की अवस्था तक चकबन्दी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति।

१८—श्री ज्ञान सिंह की सहायक पशु चिकित्सक के रूप में पुनर्नियुक्ति।

परिशिष्ट ११--(क्रमशः)

१९--श्री के० एस० गोयल की उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के शासन के अनुसचिव के रूप में पुनर्नियुक्ति।

२०--सर्वश्री बिजय पाल सिंह और रामाचरन वर्मा की राजकीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश के सदस्य न्यायाधीशों के रूप में सतत पुनर्नियुक्ति।

२१--राम धारी राय, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलक्टर की जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी, बनारस के रूप में सतत पुनर्नियुक्ति।

२२--सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पद पर भर्ती के निमित्त सागर विश्व विद्यालय द्वारा प्रदत्त बी० ई० (पास) और बी० ई० (आनर्स) डिग्रियों की मान्यता।

२३--मुख्य प्रोबेशन (सुधारक) अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए काशी विद्यापीठ, बनारस द्वारा प्रदत्त एम० ए० एस० (मास्टर आफ ऐप्लाइड सोशलार्जी) डिग्री की अधिमान्य अर्हता के रूप में मान्यता।

२४--समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों के निमित्त आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सोशलाजी में एम० ए० डिग्री की मान्यता।

२५--सार्वजनिक निर्माण विभाग/विद्युत विभाग में सहायक अभियन्ता के पदों पर भर्ती के निमित्त इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खरगपुर द्वारा प्रदत्त असैनिक विद्युत अभियन्त्रणा में बी० टेक० डिग्री की मान्यता।

२६--मुख्य प्रोबेशन (सुधारक) अधिकारी तथा प्रोबेशन अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सामाजिक कार्य में एम० ए० डिग्री की अधिमान्य अर्हता के रूप में मान्यता।

२७--उद्योग विभाग में पदों पर भर्ती के निमित्त जो डिग्रियां यान्त्रिकी, विद्युत् एवं रासायनिक अभियन्त्रणा में निर्धारित अर्हतायें थीं, उन्हीं के समकक्ष अभियन्त्रणा एवं टेक्नालोजी, महाविद्यालय जादवपुर, पश्चिमी बंगाल द्वारा प्रदत्त डिग्रियों और डिप्लोमाओं को पर्याप्त अर्हतायें समझी जाने की मान्यता।

२८--किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एम० एड० डिग्री के स्थान पर या उसके विकल्प में लन्दन के विश्वविद्यालय से संबंधित इन्स्टीटयूट आफ एजूकेशन के असोसिएटशिप को प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टि से समान अंगीकृत करना।

२९--आगरा स्थित सम्मिलित डकैती प्रतिरोध क्रिया में नियुक्त व्यक्तियों को असाधारण पेन्शनें और अनुदानों के सम्बन्ध में प्राथम्य देना।

३०--ऐसे व्यक्तियों को राज्य सेवा में नियुक्त करने से वंचित करने का प्रश्न जिनके एक से अधिक पत्नियां हों।

३१--पंचायत अंकेक्षण संगठन के लिए अंकेक्षकों की भर्ती के विषय में आयोग द्वारा सम्पादित परीक्षा एवं एतदर्थ वांछनीय अर्हताओं के सम्बन्ध में प्रश्न।

३२--लोक सेवा (भर्ती के निमित्त अर्हताओं) समिति द्वारा प्रश्नावली।

३३--श्री आर० एच० रिजवी का अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम वर्ग में पदोन्नति के हेतु सन् १९५१ में उनके अवक्रमित किये जाने के विरुद्ध आस्मारक।

३४--शिक्षा सेवा में निरीक्षण से आध्यापिकीय श्रेणी में उभयपक्ष स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सुझाव।

३५--ऐसे कर्मचारियों का, जो टी० बी० (क्षयरोग) से आक्रान्त होने के कारण राजकीय सेवाच्युत कर दिये गये थे, राजकीय सेवा में पुनर्निवेशन।